दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-01 (भाग-2) बुधवार, 25 मार्च, 2015/चैत्र 05, 1937(शक) अंक-04

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2.00 बजे आरम्भ हुआ।
अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुएः-

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री वेद प्रकाश
8. श्री सुखवीर सिंह
9. श्री रितु राज गोविन्द
10. श्री राघवेन्द्र शौकीन
11. कु. राखी बिड़ला
12. श्री बिजेन्द्र गुप्ता
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
15. श्री सोम दत्त
16. कु. अलका लाम्बा
17. श्री इमरान हुसैन
18. श्री विशेष रवि
19. श्री हजारी लाल चौहान
20. श्री शिव चरण गोयल
21. श्री गिरीश सोनी
22. स. जरनैल सिंह
23. स. जगदीप सिंह

24. स. जरनैल सिंह
25. श्री राजेश ऋषि
26. श्री महेन्द्र यादव
27. श्री नरेश बाल्यान
28. श्री आदर्श शास्त्री
29. श्री गुलाब सिंह
30. श्री कैलाश गहलोत
31. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
32. कु. भावना गौड़
33. श्री सुरेन्द्र सिंह
34. श्री विजेन्द्र गर्ग विजय
35. श्री प्रवीन कुमार
36. श्री मदन लाल
37. श्री सोमनाथ भारती
38. श्रीमती प्रमिला टोकस
39. श्री नरेश यादव
40. श्री करतार सिंह तंवर
41. श्री प्रकाश
42. श्री अजय दत्त
43. श्री दिनेश मोहनिया
44. श्री सौरभ भारद्वाज
45. श्री अवतार सिंह कालका
46. श्री सही राम
47. श्री नारायण दत्त शर्मा
48. श्री अमानतुल्ला खान
49. श्री राजू धिंगान
50. श्री मनोज कुमार
51. श्री नितिन त्यागी
52. श्री ओम प्रकाश शर्मा
53. श्री एस.के. बग्गा
54. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
55. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
56. श्रीमती सरिता सिंह
57. चौ. फतेह सिंह
58. श्री हाजी इशराक
59. श्री श्रीदत्त शर्मा
60. श्री जगदीश प्रधान
61. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-01 (भाग-2) बुधवार, 25 मार्च, 2015/चैत्र 4, 1937 (शक) अंक-04

सदन अपराह्न 2.03 बजे समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन पटल पर प्रस्तुत-पत्र

अध्यक्ष महोदय : आज दूसरे दिन मैं आप सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रीमान मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की हिन्दी-अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : श्री गोपाल राय जी, माननीय परिवहन मंत्री, दिल्ली परिहवन निगम कर्मचारी भविष्य निधि न्यास के वर्ष 2012-13 हेतु वार्षिक लेखा तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की हिन्दी-अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

परिवहन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली परिवहन नियम कर्मचारी भविष्य निधि न्यास के वर्ष 2012-13 हेतु वार्षिक लेखा तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की हिन्दी-अंग्रेजी की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ।

नियम-280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के निमित्त आज 20 सदस्यों के निवेदन प्राप्त हुए थे। समय से ठीक 11 बजे से पूर्व लॉटरी द्वारा दस विषय निकले, लेकिन अधिक संख्या होने के कारण मैंने विचार किया समय है आज, तो पंद्रह सदस्यों को मैं इसकी अनुमति प्रदान कर रहा हूँ। सर्वप्रथम जो नाम है, श्री ओम प्रकाश शर्मा जी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी विधान सभा एसी 59, विश्वास नगर, पूर्वी दिल्ली, जिसमें कि हेडगेवार हॉस्पिटल है, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। उस अस्पताल में जितनी भी मशीनें मरीजों की जाँच के लगाई गई हैं, वो ज्यादातर खराब हैं और वो जो खराब हैं जो अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर हैं, उनकी मिली-भगत से खराब हैं। अस्पताल के सामने एक बाजार लगा हुआ है जहाँ जाँच की मशीनें और अनेकानेक उपकरण लोगों ने प्राइवेट तौर पर लगाये हुए हैं। अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेशन मरीजों को इस बात के लिए मजबूर करता है कि वो लोग पैसे खर्च करके, जो निजी बाजार है, उसमें अपनी जाँच करायें, जिसमें कि निजी दुकानदार और अस्पताल के लोगों की मिली-भगत है और वो लोग जो जाँच कर रहे हैं, उनकी मशीनें भी अप्रामाणिक हैं और उनकी जो कीमतें हैं, उनका भी किसी प्रकार का कोई रेशनलाइजेशन नहीं है।

इसी प्रकार पी.पी.पी. मॉडल पिछला जो बजट दिल्ली का केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया था, उसमें इस अस्पताल में डायलेसिस मशीनें लगाने का जो अनुदान दिया था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उनकी क्या स्थिति है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसकी जानकारी मिले और उसमें जल्दी प्रगति हो जिससे कि क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिल सके।

दिल्ली सरकार के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके लिए जो दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं उसमें भी बहुत दिक्कत का सामना बुजुर्ग लोगों को करना पड़ रहा है और उनमें ज्यादातर लोग दिल्ली सरकार के ही कर्मचारी हैं जो वहाँ कैमिस्ट जिसकी नियुक्ति दिल्ली सरकार के द्वारा की गई थी, किन्हीं कारणों की वजह से वो ब्लैक लिस्ट हो गया और उसके ब्लैक लिस्ट होने के बाद बहुत ज्यादा समय के अंतराल के बाद जिसकी नियुक्ति हुई, उसका संबंध पूर्वी दिल्ली से है, जिससे कि दवाइयाँ सुचारु रूप से उपलब्ध नहीं हो रहीं और दवाइयाँ भी जो उपलब्ध हो रही हैं उनमें भी जो रेप्युटिड कंपनी है, उनकी बजाय प्राइवेट जो छोटी कंपनी है, उनके मूल्य दो-तीन गुना बढ़ाकर उस पर प्रिंट होते हैं वो लोगों को दी जा रही हैं। मेरा आपके माध्यम से यह कहना है और स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार जो दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं उनके बाहर अस्पताल से भी बड़ा एक बाजार चारों ओर विकसित हो गया है जिससे कि गरीब और जरूरतमंद लोगों का शोषण हो रहा है। मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में आप किसी दिन दौरा करें, जिससे कि इन चीजों के ऊपर दिल्ली की सरकार ध्यान दे और दिल्ली की जो जरूरतमंद जनता है, उसको इन चीजों से निजात मिले। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री महेंद्र गोयल जी।

श्री महेंद्र गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिल्ली में होने वाले जल संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अब दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ने वाली है और हम सभी को मालूम है कि दिल्ली की जनता को पानी की भारी किल्लत झेलनी पड़ती है। दिल्ली की आबादी हरियाणा से छोड़े गए पानी के भरोसे ही रहती है, लेकिन पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है।

अध्यक्ष महोदय, हम जनता के नुमाइंदे हैं और अपने क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे पहले जनता हमसे यही सवाल करती है कि अब की बार पानी की आपूर्ति सही होगी। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र रिठाला की कई ऐसी कालोनियाँ हैं जहाँ अभी से पानी की आपूर्ति कम होने लगी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि दिल्ली में पानी की समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं नेता विपक्ष का भी यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वो भी यहाँ के दिल्ली की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हरियाणा में उनकी पार्टी की सरकार है वो भी हरियाणा के सी.एम. पर दबाव बनाकर, जिस पानी पर जनता का हक है, उसको दिलाने के लिए वो भी कोशिश करें। मैं यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी और वाइस चैयरमेन, जल बोर्ड कपिल मिश्रा जी का यहाँ पर धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि जनता से किया हुआ वायदा 20 हजार लीटर तक मुफ्त पानी का उन्होंने निभाया। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधान : माननीय अध्यक्ष महोदय सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली बार विधान सभा सैशन जब चला था 2013-14 को मैंने क्षेत्र की कुछ समस्या उठाई आपके सामने रखी, आज तक उसका कोई भी, किसी डिमार्टमैंट से कोई जवाब आज तक नहीं मिला है। एक तो मैं जानना चाहूंगा कि जो सदस्य यहाँ कोई क्षेत्र की समस्या, दिल्ली की समस्या उठाता है

उसका जवाब कितने दिन में मिलना चाहिए। दूसरा महोदय, हमारे यहाँ एक रोड की समस्या है, बहुत भयंकर समस्या है, भजनपुरा से लेकर शिवविहार तिराहे तक एक तरफ करावल नगर विधान सभा दूसरी तरफ मुस्तफाबाद विधान सभा लगती है एक ही रास्ता है दोनों विधान सभा में जाने के लिए, पूरे दिन जाम रहता है इस रोड को चौड़ी करने का काम करीब 8-9 साल पहले आरंभ हुआ था और उस समय 27 करोड़ रुपया यमुना पार विकास बोर्ड ने इस सड़क के लिए दिया था उसके बाद 5-6 साल तक काम बीच में रुका पड़ा रहा। दो साल पहले भजनपुरा से लेकर और दयालपुर तक रोड़ चौड़ी करण का काम हो गया है और जबकि दयालपुर से लेकर शिवविहार तक land acquisition होना था 202 लाख एमसीडी लैंड डिपार्टमैंट को दे चुकी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने दिनों तक काम क्यों रुका पड़ा है क्योंकि इसकी वजह से जो हमारे यहाँ बस डिपो है, करावल नगर में वहाँ से आज 6-7 साल से बसें बिल्कुल बंद हैं एक बस आती है सुबह वो भी टाईम से वहाँ कभी नहीं पहुंच पाती किसी आदमी को सर्विस जाना हो, Central Secretariat जाना है, लाजपत नगर जाना है तो उसको तीन-तीन सवारियाँ बीच में बदलनी पड़ती हैं, जिससे उसका पैसा व्यर्थ में जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो हमारे क्षेत्र का काम रुका हुआ है, मुख्यमंत्री जी से खासकर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ एक विधान सभा की बात नहीं है बल्कि मैंने पीछे भी कहा था कि यमुना पार पहले पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था आज जबकि दिल्ली में कोई पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तो करावल नगर विधान सभा, मुस्तफाबाद विधान सभा, गोकलपुर विधान सभा कि स्थिति बहुत दयनीय है। मैं आपसे ये ही हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि इस रोड का जल्दी से जल्दी शुभारम्भ किया जाये ताकि वहाँ के लोगों को निजात मिल सके। दूसरा इस पूरे रोड के ऊपर एक सर्कल बनता है, भजनपुरा से लेकर ब्रिज पुरी तक, उस रोड के ऊपर कबाड़े की दुकान खुली हुई हैं, करीब 30-40 दुकानें हैं, और पूरे दिन सुबह 7 बजे जाओगे, 8 बजे जाओगे, 10 बजे

जाओगे, 11 बजे जाओगे बड़े-बड़े ट्रक 10-10 टायरों वाले, उनमें सामान लोड होता है, अन-लोड होता है आने-जाने वाले को यहाँ तक की थ्री व्हीलर, स्कूटर वाले भी, कोई बच्चा स्कूल में टाईम पर नहीं पहुंच पाता, सर्विस वाला अपना टाइम पर सर्विस पर नहीं पहुंच पाता पूरे दिन वहाँ जाम रहता है, ट्रैफिक वाले कोई वहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं, पूरे रोड के ऊपर encroachment है, तो मेरा मुख्यमंत्री जी से आपसे, खासकर हाथ जोड़कर मैं विनती करना चाहता हूं कि इस पर मुझे बताया जाये कि कितने दिन में रोड जो उसके ऊपर illegal पार्किंग बना रखी हैं वह कब हटा दी जायेंगी, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान् आदर्श शास्त्री जी - अनुपस्थित ।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान् श्री वेद प्रकाश जी।

श्री वेद प्रकाश : माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से एवं सदन के माध्यम से मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा रोहिणी के अंदर प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं। हमारे सरकारी अस्पतालों में जो सुविधाएं नहीं हैं वहां के रेट्स के बारे में आपको कहना चाहूंगा एक आई.सी.यू. में दाखिल होने के अस्पताल 5000 हजार से शुरू होकर सर गंगा राम अस्पताल तक एक लाख तक पहुंच जाती है। मैं पूछना चाहूंगा कि उस आई.सी.यू. में ऐसे कैसे डॉक्टर हैं कैसी दवाइयाँ हैं जो रोहिणी में पाँच हजार में काम खत्म हो जाता है और आई.सी.यू. का 24 घंटे का, गंगा राम, अपोलो तक का आते-आते वहाँ के रेट एक लाख तक कैसे हो जाता है। इसकी वजह से ग्रामीण और गरीब लोग जिनको रैफर कर दिया जाता है, हमारे सरकारी अस्पतालों में इतनी अच्छी और सघन आई.सी.यू नहीं है उसके कारण ये जो प्राइवेट हॉस्टिपटल हैं, जिनमें गंगा राम है अपोलो है, बी.एल. कपूर है उनका रेट रोहिणी और आस-पास के छोटे नर्सिंग होमों का रेट जिसमें कि 2000 (दो हजार) सौ गुणा रेटों का फर्क है। मैं खुद

सर्वे करके आया हूं अस्पतालों का, गंगा राम में वही आई.सी.यू. की फीस 70 हजार की है, रोहिणी के संतोम होस्पिटल में वही आई.सी.यू. पांच हजार की है, तो इस फर्क पर गौर किया जाये क्योंकि आम आदमी गरीब आदमी इलाज तो दूर की बात है वहां पर सोचने के लिए भी हिम्मत नहीं कर सकता जिसके कारण दिन प्रतिदिन मौतें होती हैं। मैं एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में महर्षि बाल्मिकी हॉस्टिपटल पड़ता है जिसमें मैंने मीटिंग ली थी, एम.एस. वगैरह के साथ वहां पर पता चला कि specialist डॉक्टर वहां नहीं आ पाते वो कहते हैं कि गांव के दूर-दराज में हम नहीं जायेंगे आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कोई ऐसा शैड्यूल तैयार किया जाये कि हर तीन महीने तक किसी भी पी.जी. डॉक्टर को अपनी ट्रैनिंग के दौरान अपने तीन साल के कोर्स के दौरान तीन-तीन महीने का रोटेशन किया जाये जिससे की गांव क्षेत्र के गरीब लोगों का, जे.जे. कल्स्टर के गरीब लोगों का इलाज हो सके और वहाँ पर स्पेस्लिस्ट डॉक्टर सुनिश्चित किये जा सकें, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री आदर्श शास्त्री जी।

श्री आदर्श शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान द्वारका विधान सभा में दिल्ली जल बोर्ड के सीवर के कार्यक्रम पर ले जाना चाहता हूं। द्वारका विधान सभा लगभग 80 प्रतिशत अनधिकृत कालोनियों से भरा हुआ है और वहां पे पिछले 15 साल में पहली बार सीवर लाईन का नया एक कार्यक्रम चल रहा है, जो लगभग 87 करोड़ का है, जो बात बहुत आश्चर्यजनक है, वो ये है कि 15 साल के बाद पहली बार जो सीवर लाइन डल रही हैं उसमें भी केवल 60 प्रतिशत द्वारका विधान सभा के इलाके को कवर किया जा रहा है और बाकी को नहीं रखा जा रहा है। मैं दिल्ली जल बोर्ड की तरफ इस बात का ध्यान ले जाना चाहता हूं कि जो 40 प्रतिशत द्वारका विधान सभा को छोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये प्रोग्राम लगभग 20 साल की सीवर की समस्या का हल है और इसमें 40 प्रतिशत विधान सभा को अगर नहीं कवर किया जायेगा तो

उन लगभग डेढ़ लाख लोगों की आबादी की समस्या का हल निवारण नहीं हो पायेगा। दूसरा इसमें जो पैसा आर.आर. कट के लिए दिया जाना चाहिए वो दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से उस तेजी से अलग-अलग विभागों को नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से काम नहीं शुरू हो पा रहा है, और उसकी वजह से काम में जो लगभग डेढ़ साल का जो ये प्रोजेक्ट है और धीमी गति से चल रहा है, तो मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी और सदन का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया इसके लिये धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसी विधान सभा क्षेत्र से आता हूं जिसे आप एक मिनी इंडिया के तौर से देख सकते हैं, जहाँ पर विभिन्न समाज के, धर्म के, जाति के, विभिन्न वर्ग के लोग लगभग बराबर के अनुपात में रहते हैं, विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों ने इसका प्रतिनिधित्व किया है और अपने नाम के अनुरूप ही वजीर पुर विधान सभा के लोगों के जो दिल हैं वो भी वजीरों जैसे, राजाओं जैसे हैं। शायद इसीलिए मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को उन्होंने अपनी सेवा करने का मौका दिया है, अध्यक्ष महोदय इस विधान सभा में जहाँ मेरे जैसे मध्यम परिवार के लोग हैं, उसी तरीके से हजार-हजार गज की कोठी में रहने वाले लोग भी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी है जोकि झुग्गियों में रहते हैं। वो झुग्गियां जिनके बारे में आपने 11 तारीख के अखबार में पढ़ा होगा, उसमें कहा गया कि वो रेलवे के अंदर डैंजर जोन में आ रही हैं, वहाँ पर विभिन्न तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि उन झुग्गियों को हटाया जाये। मैं आपके माध्यम से बात को रखना चाहता हूं जो झुग्गियाँ 1993 से डैंजर जोन के अंदर आ रही थीं ऐसा क्या हुआ एकदम से की एक साधारण व्यक्ति के वहाँ पर आने से, ऐसी क्या बात

उठी की उनको तोड़ने के लिए वहाँ पर नये-नये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं वहां प्रचार किये जा रहे हैं, पेपर डिस्ट्रब्यूट हो रहे हैं, पर्चे लगाये जा रहे हैं कि इन झुग्गियों को हटाया जायेगा, हटाएँगे भी वो लोग जो इसका प्रतिनिधित्व आज कर रहे हैं मेरे जैसे लोग जिनको इन लोगों ने बहुतायत से वोट दिया आज हम जैसों के बारे में कहा जा रहा है हम उन्हें हटाएंगे, दुनिया भर की अफवाहें रोज फैलाई जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल अगर आप इन पर ध्यान दें तो वहां के सांसद, वहाँ के विधायक और वहां के निगम पार्षद तीनों एक ही पार्टी से आते थे अभी किसी ने उन झुग्गियों के बारे में कोई बात नहीं की। एकदम से ऐसा क्या हुआ जनता बड़े दिल वाली है वहाँ पे लेकिन नादान या भोली नहीं है इस बात को जरूर समझती है कि शायद जो इतने वोट पड़े, जिन्होंने एकतरफा वोट करा, उसके साइड इफैक्ट के तौर पर उसको देखा जा रहा है वहाँ पर। इन सभी झुग्गियों को वहाँ से हटा दिया जाये जो किसी एक पार्टी का वोट बैंक हो सकती हैं, तो मैं आपके माध्यम से सदन के जो लोग साथी जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं बड़े भाई बिजेन्द्र गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे जो सांसद हैं वहां के हर्षवर्धन जी हैं, क्योंकि उन्हें भी उन्हीं झुग्गियों ने वहाँ से वोट किया है हम सबसे अनुरोध करते हैं कि वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत है उसको देखा जाये। मेरी जानकारी के अनुसार 18 करोड़ डी.डी.ए. को दे दिये गये थे ताकि उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करायी जाये। हमारी ही विधान सभा के अंदर एक जगह है जेलर वाला बाग है वहाँ पर इसी तरह की व्यवस्था की शुरुआत भी की जा रही है, जहाँ पर उन झुग्गियों की जगह डी.डी.ए. फ्लैट बनायेगा और उन्हें देगा। मेरा अनुरोध है कि डेंजर जोन में आने वाली जो झुग्गियाँ हैं, हम भी मानते हैं कि डैंजर जोन में झुग्गियों का ना होना ठीक है शायद लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के बिना उन झुग्गियों को वहाँ से ना हटाया जाये क्योंकि रेलवे पटरी से शायद कभी-कभी उतरती है लेकिन बहुत सारे लोगों की जिन्दगी पटरी से तभी उतर जायेगी जब उनके साथ ऐसा किया जायेगा।

मेरा एक और अनुरोध है आपसे कि ये माना जाता है कि शायद हम जो राजनीति करते हैं वो झुग्गियों की करते हैं, लेकिन मेरा अनुरोध है, बाकी पार्टियों से हम जो राजनीति करते हैं हम ना झुग्गियों की करते हैं ना कोठियों की करते हैं, हाँ, हम उनमें रहने वाले लोगों की जरूर राजनीति करते हैं हम ये नहीं मानते कि वो एक झुग्गी है हम मानते हैं कि वो किसी महिला की वो इज्जत है, किसी बच्चे का वो सपना है, किसी बाप की वो यादें हैं तो मेरा अनुरोध है उन झुग्गियों के बारे में ऐसा बिल्कुल न सोचा जाये, तोड़ने के बारे में कि 60 प्रतिशत झुग्गियाँ वहां से साफ हो जायें। बस मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि प्लीज इस पर ध्यान दिया जाये, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : कपिल मिश्रा जी

श्री कपिल मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि पूरी दिल्ली में यह देखने में आया है कि यह नगर निगम, डी.डी.ए. और भाजपा जब से चुनाव हारे हैं ऐसा लगता है कि माहौल बना दिया कि दिल्ली के लोगों के घर तोड़े जायें। मेरी विधान सभा में बुलडोजर भेजा गया तोड़ने के लिए जब मैं वहां गया रोकने के लिए तो कहा गया कि सांसद महोदय का फोन आ रहा है इसको तोड़ा जाएगा। अभी उनसे मैंने appointment मांगा है मनोज तिवारी जी से कि भइया बताओ जिन्होंने वोट दिया आपको तो पहुंचाया है संसद में क्यों तोड़ना चाहते हो लेकिन गुप्ता जी ये विनती करता हूं कि चुनाव हारना और जीतना चलता रहता है राजनीति है भाजपा ने बहुत लम्बी राजनीति देखी है एक समय में दो सीटें होती थीं आज दिल्ली में 3 सीटें हैं आप लोग नगर निगम और डी.डी.ए. में कोशिश कीजिए यह बुलडोजर की राजनीति बंद कर दीजिए। ये तोड़ने की राजनीति बंद कर दीजिए.....**(व्यवधान)**

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : यह मैं समझता हूं कि बिल्कुल unethical है।

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र जी, मैं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : सदन में जो मौजूद नहीं हैं उनके बारे में इस तरह की भाषा बोलना यह मैं समझता हूं कि सदन की कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री कपिल मिश्रा : आप मौजूद नहीं हैं क्या?

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मेरा यह अनुरोध है कि यह सदन की कार्यवाही से निकाला जाये।

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र जी, मैं बोल रहा हूं। एक सैकेण्ड रुकिए। एक तो जो भी बात कहें किसी का नाम लेकर न कहें।

श्री कपिल मिश्रा : मैं विनती कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, एक सैकेण्ड रुकिए। मुझे इंगित करके बात करें और सदन में जो मौजूद नहीं है। आप सांसद कह सकते हैं। क्षेत्रीय सांसद कह सकते हैं। नाम लेकर न बोलें।

श्री कपिल मिश्रा : अध्यक्ष जी, मैं यह विनती करना चाहता हूं..... **.(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया उसको

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, कार्यवाही में नाम आना इसका अर्थ यह है कि आपने उसको इजाजत दे दी सदन में नाम लेने की और आपने खुद ही रूलिंग दी है कि नाम न लिया जाये। मेरा इतना अनुरोध है कि उन्होंने जो भी ठीक है नासमझी में कह दिया। आप आदेश दे दीजिए कि सदन की कार्यवाही में सांसद का नाम नहीं आएगा। इतना मेरा अनुरोध है और बहुत सामान्य बात है।

श्री कपिल मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, नाम मेरे लिए important नहीं है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि.....**(व्यवधान)**

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, आपकी रूलिंग पर अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बोलने तो दें। आपने खुद ही कहा है नये कार्यकर्ता हैं, नये हमारे विधायक हैं, खुद ही कहा है कि नासमझी में उन्होंने बोल दिया। मैंने खुद ही आपके सामने बोल दिया है उन्होंने स्वीकार किया आगे ध्यान रखेंगे।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, यह अनुरोध कर दिया जाये कि सांसद का नाम न लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : इतनी बड़ी बात नहीं है। कई बार नाम .....**(व्यवधान)**

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, इतनी बड़ी बात इसलिए है कि नासमझी में तो उनको माफ किया जा सकता है पर आप रूलिंग नहीं देंगे तो उसका मतलब यह है कि आपने उनको इजाजत दे दी।

अध्यक्ष महोदय : शार्ट करिए।

श्री कपिल मिश्रा : अध्यक्ष जी, बिल्कुल एक लाइन में खत्म कर रहा हूं। यह कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भाजपा के जो सांसद महोदय हैं पूरी दिल्ली में और बाकी एजेंसियां जहां भाजपा के पास ताकत है ये बुलडोजर की राजनीति कर रहे हैं इसको बंद किया जाये। इसको बरदाश्त नहीं करेंगे हम लोग।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी। गम्भीर आरोप लगाये हैं और वो भी चुने हुए प्रतिनिधियों पर आरोप लगाये हैं और पार्टी पर आरोप लगाये हैं। मैं

इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि झूठ और फरेब की राजनीति करने की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। लोगों को गुमराह कर रहे हैं आप। अध्यक्ष जी, लोगों को गुमराह किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : बैठिए, जरनैल सिंह जी, आप बोलिए।

श्री जरनैल सिंह (आर.जी.) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी भी यहां पर मौजूद हैं। जब मैं 11 साल का बच्चा था तो मैंने 1984 का कत्लेआम अपनी आंखों से देखा था उसकी विधवायें और पीड़ित जो हैं वो आज भी इंसाफ की बाट जोह रहे हैं लेकिन आज तक इंसाफ नहीं हो सका। खासकर मैं जिस राजौरी गार्डन विधानसभा से चुनकर आता हूं तो वहां एक इलाका पड़ता है जिसे विडो कालोनी कहा जाता है तिलक विहार, उसका कुछ हिस्सा मेरे विधानसभा में पड़ता है कुछ हमारे दूसरे जरनैल सिंह जी बैठे हैं उनकी विधान सभा क्षेत्र में आता है जो आज तक इंसाफ की बाट जोह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं जिन्होंने पिछली बार एस.आई.टी. का गठन किया था और इस बार हम पूर्ण बहुमत के साथ इस सदन में चुनकर आये हैं तो मैं आशा करता हूं कि उस कार्यवाही को आगे बढ़ाया जायेगा उसके ऊपर एक एस. आई.टी. का गठन शायद केन्द्र की तरफ से किया गया है तो उसमें हम किस तरह सहयोग कर सकते हैं कोई आयोग बनाया जा सकता है इस पर कार्यवाही को आगे किया जाये। मैं समझता हूं कि दिल्ली पुलिस हमारे अन्तर्गत नहीं आती है तथा वो सी.बी.आई. भी तो इसलिए ज्यादा जिम्मेदार है वो केन्द्र में बैठी हुई मोदी सरकार की बनती है। बेहतर होता कि दिल्ली पुलिस भी हमारे अन्तर्गत आती तो हम जितने भी केसिज हैं रि-ओपन करके उनके ऊपर जल्द से जल्द मुकदमा चलाया जाता। लेकिन फिर भी हमारी जो दिल्ली की सरकार है उसको चाहिए कि उन पर पूरा दबाव किया जाये। फास्ट ट्रेक कोर्ट का गठन किया जाये। जितेन्द्र तोमर जी बता रहे थे कि अदालतों का गठन किया जा रहा है

तो कम से कम एक विशेष अदालत का गठन किया जाये एक और भ्रम जो फैलाने की कोशिश हो रही है 5 लाख का मुआवजा देने की बात कही गई थी ऐन इलैक्शन के वक्त जब चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान भी लिया था सिर्फ 17 लोगों को वो दिया गया उसके बाद लोग हमसे पूछ रहे हैं कि वो पैसा कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा एक बात आ रही है कि ये पैसा जो राज्यों की सरकारें हैं वो देंगी उसके बाद re-imbursement किया जाएगा अगर ऐसा है तो वित्त मंत्री जी भी मौजूद हैं कि ऐसा कोई उनसे communication आया है तो क्या जो बजट हम अनुदान मांगों में ला रहे थे इनका कोई प्रावधान किया गया है। आखिर वो लोग कब तक इंतजार करते रहेंगे उनको घरों की मरम्मत हमारे मेनीफैस्टो में भी था तो उसमें जो कुछ बातें हैं मेरा मानना है कि समय कम है विशेष उल्लेख की तरफ कभी इसमें ज्यादा चर्चा करने का मौका मिला तो बात करेंगे तो मैं मुख्यमंत्री जी भी अगर इसमें सदन को आश्वासन दें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा पूरी दूनिया में बैठे हुए लोगों को जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो आशा कर रहे हैं कि आप इस मामले में कुछ न कुछ करेंगे और जो कलंक भारत के माथे पर लगा हुआ है इसको धोने की पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी कर सकेगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रीदत्त शर्मा जी।

श्री श्रीदत्त शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत फ्लाईओवर निर्माण के विषय में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो कि निम्नलिखित है-

भजनपुरा क्रासिंग पर ट्रैफिक जाम एवं वाहनों की अधिकता के कारण यहां जाम की समस्या विकराल है। इस वजीराबाद रोड पर पूर्व में गोकलपुरी क्रासिंग,

लोनी क्रासिंग, रेलवे क्रासिंग तथा मंडोली क्रासिंग पर इसी प्रकार की स्थिति थी। लेकिन इन स्थानों पर फ्लाईओवर बनने से न केवल जाम की स्थिति समाप्त हुई बल्कि बिना रुके यातायात संभव हुआ। इस प्रकार भजनपुरा क्रासिंग पर भी फ्लाईओवर का निर्माण कार्य होना चाहिए ताकि स्थानीय जनता को जाम से निजात मिल सके। सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण भी चल रहा है जिसके बाद भजनपुरा क्रासिंग पर जाम की समस्या विकराल रूप ले लेगी। अतः आपसे अनुरोध है कि इस पुल का निर्माण सिग्नेचर ब्रिज के साथ-साथ पूरा हो जाये तो इस क्षेत्र की जनता को जाम से मुक्ति मिल जाएगी।

इसी क्रम में वजीराबाद के निकट यमुना पर बने पुल पर ट्रैफिक की समस्या सोचनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। यह पुल 1950 के दशक में बनाया गया था। इसके डिजाइन तथा वाहनों की अधिकता के कारण स्थिति यह है यातायात को सिंगल लेन में बारी-बारी से चलाया जाता है जिससे समय और उर्जा की बर्बादी होती है। यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण की गति के अनुसार आगामी कुछ वर्षों तक इस पर यातायात की सुविधा के शुरू होने पर संशय है। वजीराबाद पुल पर आधार स्तम्भ विद्यमान हैं। अतः क्षेत्र की प्राथमिक आवश्यकता है कि वजीराबाद पुल के समानांतर एक और पुल बनाया जाये। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाब सिंह : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आज जिस विषय पर मैं बात रखने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि माननीय सभी सदस्यगण इस विषय को बड़ी गंभीरता से लें। आज सभी सदस्य जानते हैं कि पानी की किल्लत दिल्ली में कितनी है। और इसका हम सब मिलकर समाधान खोजने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन भविष्य में मास्टर प्लान 2021 की अगर बात करें तो मैं

जिस विधान सभा क्षेत्र मटियाला से आता हूं। 1990-92 में वहां पर डी.डी.ए. ने द्वारका में हाई राइज बिल्डिंग खड़ी की। गगन चुम्बी इमारतें खड़ी तो कर दीं लेकिन साथ साथ दिल्ली जल बोर्ड ने 1990-92 में ये चिट्ठी लिखकर उनको अवगत कराया था कि पानी की बड़ी किल्लत है और हम आपको पानी की सप्लाई नहीं दे सकते। उसके बावजूद भी डी.डी.ए. ने द्वारका को खड़ा किया और 2004 में दिल्ली जल बोर्ड ने दुबारा से अपनी असहमति पानी देने की जताई। लेकिन 2021 मास्टर प्लान के लिए जिस देहात की पृष्ठभूमि से मैं आता हूं, वहां पर अलग-अलग बिल्डर्स ने अपने फ्लैट्स के लिए आवंटन शुरू कर दिए हैं। यह बहुत ही सोचने का विषय है कि आज फ्लैट्स तो बेच दिए जायेंगे। उस जमीन पर दुबारा बिल्डिंग तो बना दी जायेगी लेकिन क्या डी.डी.ए. के ऊपर एक जवाबदेही नहीं होनी चाहिए कि वह पहले यह क्लीयर करे कि वह इन फ्लैट्स वालों को, जो नये फ्लैट्स बनने जा रहे हैं 2021 के मास्टर प्लान में, उनको पानी कहां से मुहैया होगा। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। मैं चाहूंगा कि दिल्ली जल बोर्ड लिखित में इस पर ऑब्जैक्शन जताए और तब तक मास्टर प्लान 2021 पर रोक लगे जब तक कि डी.डी.ए. अपनी स्थिति क्लीयर नहीं करता कि सभी फ्लैट्स को पानी कहाँ से दिया जायेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश पति त्रिपाठी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : धन्यवाद महोदय आपने बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के तीन कालोनियों के बारे में जो लम्बे अर्से से अपने अधिकारों से अभी तक वंचित रहे हैं, उनका मामला मैं सदन के माध्यम से उठाना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में डेसू कालोनी, डी.टी.सी. कालोनी और एम.सी.डी कालोनियाँ हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कालोनिया 1952 और 1956 दो सालों में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके समय

में एक योजना बनाई गयी थी, निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए घर बनाने का। इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया था कि भारत सरकार 80 प्रतिशत ऋण स्थानीय निकायों को या स्थानीय विभागों को देगी। अपने अपने लेबर्स के लिए, निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों के लिए घर बनाकर उनको देंगे। सेम पैटर्न पर नीमड़ी कालोनी बनाई गई। जिसे 1984 में मालिकाना हक दे दिया गया। उसके बहुत पहले बनाई गई डेसू कालोनी जो 1956 में जिसकी योजना की नींव रखी गयी थी। आज एक रु. लीज पर बी.एस.ई.एस. के पास है क्योंकि दिल्ली सरकार की सम्पत्ति है। जब ये योजना बनी थी तो ये कहा गया था कि 80 प्रतिशत जो ऋण दिया जा रहा है, और जो 20 प्रतिशत निकाय अपने सोर्सेज से लेंगे, वह 20 प्रतिशत उनसे किरायेदारी के रूप में या जब मालिकाना हक देंगे तो उनसे लेकर उनको या तो मालिकाना हक दे दिया जायेगा या तो उनको किरायेदार के रूप में रखा जायेगा। समाज के क्योंकि निम्न आय वर्ग के लोग वहां पर अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के लोग वहां पर ज्यादातर रहते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनकी भी कालोनी है। वे अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सके। इसलिए उनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया। जब कि नीमड़ी कालोनी सेम पैटर्न पर बनाई गई थी। उनको क्योंकि वहां पर डाक्टर्स/इंजीनियर्स/मास्टर्स और कुछ प्रशासन में जो लोग रहते हैं, वे लोग थे और उन्होंने मिली भगत करके वहां का मालिकाना हक ले लिया, अपना अधिकार ले लिया। लेकिन आज ये तीनों कालोनियाँ अपने मालिकाना हक के लिए अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि योजना जो थी, उसकी मूल भावना को ध्यान में रखकर के उसकी जांच कराई जाये कि क्यों इनको मालिकाना हक से अभी तक वंचित रखा गया है। योजना की जो मूल भावना थी, वह विधायिका के संविधान के बराबर, यहां के कानून के बराबर होती है। ऐसे कानून को बदला जा रहा है। तो मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि उसकी मूल भावना का ध्यान रखते हुए उसकी जांच कराई जाये और जब तक जांच न हो जाये तब तक वहां पर रह रहे लोगों को खाली न कराया जाये।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही संजीदा मैटर है। क्योंकि तीन तीन कालोनियाँ हमारे यहां इतने समय से ऐसे ही पड़ी हुई हैं। वे कालोनियां जिस समय बनी थीं, उस समय जंगल हुआ करते थे। आज चूंकि सरकार और कुछ भू-माफिया लोगों की भी वहां पर नजर है। क्योंकि ये आजाद पुर - आजाद पुर मैट्रो स्टेशन के सामने आ गया। डी.टी.सी. कालोनी बहुत ही प्राइम लोकेशन पर आज मार्केट के बीच में निकल आयी है। और इसी प्रकार डेसू कालोनी है। तो इस पर जनहित केन्द्रित निर्णय लिया जाये। आज कारपोरेट सैन्ट्रिक पहले पूर्व सरकारों द्वारा निर्णय लिए गए, जो कि घोर निन्दा का पात्र है। मैं मांग करता हूं कि फिर से इसकी जांच करायी जाये और मूल योजना को लागू किया जाये, धन्यवाद।

श्री जगदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं इसी के समर्थन में दो लाइनें कहना चाहता हूँ। सिर्फ इसी सवाल में कि ऐसी की कालोनी हरि नगर में भी है। जो डेढ़ सौ फ्लैटों के पीड़ित लोग है वहां पर। डेढ़ सौ फ्लैट हरिनगर में भी हैं। इस प्रश्न पर भी पूर्ण विचार किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं इसी में जोड़ना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुखवीर सिंह।

श्री सुखवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे कोरम पूरा होने के बाद भी मौका दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन का ध्यान दिल्ली देहात की एक ज्वलंत समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। समस्याएं तो वहां बहुत हैं। लेकिन यह एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है। दिल्ली देहात के सभी गांव में ग्राम सभा की जमीन होती है। जो गांव वालों ने अपने प्रयोग और विकास कार्यों के लिए अपनी निजी जमीन से ग्राम सभा को दी है। लेकिन पिछले सरकारों के षड्यंत्र से ग्राम सभाएं आज वहां नहीं हैं। ग्राम सभा की जमीनों को सभी कानूनी प्रक्रिया और नियमों

को ठेंगा दिखाते हुए लाल फीताशाही द्वारा बंदरबांट कर सरकारी, गैर सरकारी और अर्द्ध सरकारी विभागों को बांट दी गई है। उसके बदले में न तो किसी ग्राम सभा को कोई मुआवजा दिया जाता है और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कोई भी सरकार किसी भी गांव की जमीन को उनके प्रतिनिधि लोकल एम.एल.एज. की सहमति के बिना नहीं ले सकती है। सरकार ने इस निर्णय की अनदेखी करते हुए तुगलकी फरमान जारी कर गांव वालों की ग्राम सभा की जमीन विभिन्न विभागों को बांट दी है। बाकी जमीन जो बची है, उस पर बी. डी.ओ. ने अपना कब्जा जमा रखा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस घोटाले की जांच की जाये और अगर सरकार को जमीन मजबूरी में अधिग्रहण करनी भी पड़ती है तो गांव वालों को मार्केट रेट पर उसका मुआवजा दिया जाये। जिसका पैसा उसी एरिया के प्रतिनिधि द्वारा उनके विकास में लगाया जा सके। इसके दो फायदे होंगे, एक तो सरकार से ज्यादा फंड की जरूरत नहीं होगी और वह पैसा उसी इलाके में उनके विकास के लिए लगाया जा सकता है जो वहां पर प्रतिनिधि होता है, उसके द्वारा खर्च किया जायेगा और उसका विकास बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का इसी संदर्भ में एक और बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 20-30 वर्षों से ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा की जमीन उसी गांव के दलित और पिछड़े वर्गों को 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत रिहायशी और कृषि के लिए दी गई थी। लेकिन उनके साथ पिछली सरकारों ने धोखा किया और बहकाते रहे कि आपको मालिकाना हक दिया जायेगा। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक उन दलित और पिछड़े वर्गों को उनका हक नहीं मिला और उससे उनको महरूम रखा गया है। मेरा आपके माध्यम से सदन से अनुरोध है कि कानूनी रूप से दी गई जमीन पर उन्हें मालिकाना हक दिलाया जाये। जिससे वे महसूस कर सकें कि आम आदमी की सरकार ने जो

वायदे गांव के लिए किए थे, उनको पूरा करने की कवायद शुरू हो गयी है और हमारी सरकार पर विश्वास पैदा हो। साथ ही आपसे अनुरोध है कि गांव के लिए लागू धारा 81 और 33 खत्म करने की कवायद शुरू की जाये जिससे कि जो साढ़े आठ हजार के करीब मुकदमे एस.डी.एम. की कोर्ट में पड़े हैं, उनका निपटारा जल्दी से जल्दी हो, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : दिनेश मोहनिया।

श्री दिनेश मोहनिया : माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली में जैसे ही गर्मियां आती हैं तो बिजली कंपनियां घाटे में हैं और घाटे को पूरा करने के लिए इनको फिर एक बार बिजली के दाम बढ़ाने की इजाजत दी जाए, डी.ई.आर.सी. के द्वारा। सन् 2002 से जब से ये कंपनियां दिल्ली में आई हैं और इन्होंने काम संभाला है। निरंतर हर साल इस तरीके का propaganda किया जाता है ये कंपनियां लगातार घाटे में हैं, लगातार नुकसान झेल रही हैं और इनका दाम बढ़ाने का ये एक तरीका हो गया है। लेकिन इन बिजली कंपनियों का जो काम करने का तरीका है वो शुरू से संदेहास्पद रहा है, मतलब कुछ चीजें छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा ये सदन से अनुरोध है कि इस विषय पर ध्यान दिया जाए और ये बिजली कंपनियां किस तरीके से काम कर रही हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा बिजली वितरण का जो पूरा एक प्रोसेस है उसमें डी.ई.आर.सी. एक संस्थान है जिसका भी एक महत्वपूर्ण रोल है। कहने को तो यह एक independent regulatory authority है लेकिन जिस तरीके से डी.ई.आर.सी. का व्यवहार रहा है पिछले 13 सालों में बिजली के दामों को लेकर और कई बार तो इवन यह हुआ है कि बिजली कंपनियों के डिमांड न करने के बावजूद उन्होंने सैल्फ तरीके से मीटिंग बुलाकर और बिजली के दाम बढ़ाने की कोशिश की है,

समर्थन किया है। जिस तरीके का व्यवहार डी.ई.आर.सी. का रहा है जो लोगों के मन में एक शक पैदा करता है कि डी.ई.आर.सी. का जो रोल है क्या वे independent है। क्या वो दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं या ये बिजली कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, जरा प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं। मैंने उनको समय दिया है, आउट आफ वे जाकर समय दिया है। जो 10 नाम लोट आफ ड्रा में निकले थे। मैंने उनके विषय जो बाकी 10 रह गए थे वो पढ़े हैं 10 में से 5 मैंने अलग से छांटे हैं। जो जनभावनाओं से जुड़े हुए थे। इनका विषय वाकई में गंभीर विषय है मैंने इसलिए इसको प्रायोरिटी दी है। एक बार उनको अपनी बात को गंभीरता से रखने दीजिए, प्लीज।

श्री दिनेश मोहनिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये डी.ई.आर.सी. जो एक independent regulatory authority है, कहने को तो लेकिन ये जिस तरीके का इनका व्यवहार हैं बिजली कंपनियों को लेकर और बिजली के जो दाम हैं उनको लेकर, ये बड़े प्रश्न खड़े करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि बिजली कंपनियां जो पिछले 12 साल से दिल्ली की जनता को लुटने का प्रयास कर रही हैं इनकी जो जांच की गई थी, उसके लिए सी.ए.जी. आडिट की मांग की गई थी। लेकिन ये बिजली कंपनियां लगातार सी.ए.जी. आडिट का विरोध कर रही हैं। क्या छुपाने का प्रयास कर रही हैं, ये मैं सदन के माध्यम से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो क्या कारण है कि पिछले 13 सालों में डी.ई.आर.सी. ने लगातार बिजली कंपनियों को दाम बढ़ाने की छूट दे रखी है और जिस तरीके से ये डी.ई.आर.सी. व्यवहार कर रहा है उससे कतई नहीं लगता है कि ये दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं। अरविंद जी इनके लिए तो मुझे एक मुहावरा

अच्छा लगता है कि ''सईया भए कोतवाल तो डर काहे का''। बिजली कंपनियों को ये लगता है कि डी.ई.आर.सी. बैठा है जितने मर्जी दाम बढ़ाओ। अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि इन बिजली कंपनियों की लूट बंद की जाए और डी.ई.आर.सी. जिसका गठन 1999 में एक दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन के अंतर्गत हुआ। उसके काम का भी एक रिव्यू होना चाहिए कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या वो कारण है कि ये लगातार बिजली कंपनियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। अध्यक्ष महोदय इसके साथ बिजली वितरण कंपनियों ने जो उपकरणों की खरीद की है वो भी एक बड़ा जांच का विषय है। उसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मुझे दिखाई देता है उसकी जांच होनी चाहिए और इन बिजली कंपनियों ने गलत ढंग से जो घाटे दिखाए हुए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक और विषय उठाना चाहूंगा पिछली फरवरी में डी.ई.आर.सी. ने नुकसान का हवाला देकर इन बिजली कंपनियों के एक Bail-out-package की मांग की है जो कि पूरी तरह से नाजायज है और मुझे जो लगता है कि ये एक और लूटने का प्रयास है जनता को और दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है और इन बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने की पूरी-पूरी कोशिश की जा रही है।

मुझे लगता है कि जिस तरह के प्रचंड बहुमत की सरकार है उसमें भी अगर इस तरह की लूट चली तो मुझे नहीं लगता कि हम जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें डी.ई.आर.सी. का जो भी रोल है, बिजली कंपनियों का रोल है, उसकी एक गहन जांच होनी चाहिए और जो बिजली के दाम बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको रोके जाने की जरूरत है। अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि डी.ई.आर.सी. के चेयरमैन से पूछा जाए कि वो दिल्ली की जनता के लिए काम

कर रहे हैं या इन बिजली कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि डी.ई.आर.सी. के चेयरमैन को यहां सम्मन किया जाए।...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : आप कन्क्लूड कीजिए, मोहनिया जी कन्क्लूड कीजिए प्लीज।

श्री दिनेश मोहनिया : अध्यक्ष महोदय सदन की जो भावना दिख रही है उसे देखते हुए हमें डी.ई.आर.सी. के चेयरमैन को यहां बुला लेना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं आप लोग दो मिनट रुकिए। दिल्ली की जनता बिजली कंपनियों की मनमानी से दुखी है। इसमें कोई शक नहीं है। मैं सहमत हूं इस बात से और सदस्यों की भावना मैं समझ रहा हूं, मैं बिजेन्द्र गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा आप इस पर अपना दो मिनट के लिए वक्तव्य रखिए कि जो भावनाएं हैं सदन की उसके अंतर्गत बुलाया जा सके।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, डी.ई.आर.सी. इसको constitute कौन करता है इसके गठन का अधिकार किसके पास है। मेरी जानकारी के अनुसार इसके constitution का अधिकार दिल्ली सरकार के पास है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिस चेयरमैन की, जिस Statutory body की, जो एक तरह का Quasi-Judicial Panel है उसको बिना समझे यहां पर इस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं...**(व्यवधान)**...

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : एक सेकेंड़, मुझे इजाजत दी गई है, मुझे अपनी बात पूरी करने दी जाए। ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट रुकिए मुझे इन्हें शांत करने दीजिए। देखिए मैं चाह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए एक बार, बाजपेयी जी बैठिए,

प्लीज, मोहनिया जी बैठिए, प्लीज। बिजेन्द्र जी मैंने विषय यह रखा था, मैंने भी कई बार डी.ई.आर.सी. पर धरने दिए हैं, प्रदर्शन किए हैं। उनकी दीवारों को लांघा है। एक सैकेंड, मैं प्रार्थना जो कर रहा हूं कि दिल्ली की जनता की भावना को समझते हुए, तो मैं जो कहना चाह रहा हूं दिल्ली की जनता की भावना को समझते हुए, सदन की भावना को समझते हुए, आप डी.ई.आर.सी. का विषय केवल...

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय मैं बात वही कर रहा हूं वही आएंगी आप बात को पूरा तो होने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : बाजपेयी जी आप बैठ जाइए, प्लीज। मैं जो कहना चाह रहा हूं एक बार सुन लीजिए। अब बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उनको मैंने कहा है बोलने के लिए, ये इतना गंभीर विषय है उनके मन में क्या है जनता के सामने आने तो दीजिए, सदन के सामने आने तो दीजिए, आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको आने दीजिए खुलकर के। बिजेन्द्र जी बोलिए।

बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, आपकी इजाजत से खड़ा हुआ हूं। मैं सिर्फ सदन के समक्ष वस्तु-स्थिति रखने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर सदस्य सिर्फ एक विरोध प्रकट करके और एक मीडिया न्यूज बनाने के लिए यहां डिस्कशन कर रहे हैं या फिर इसमें वास्तविकता में कोई तथ्यों के आधार पर हमें कोई कार्रवाई करनी है। मेरा ध्येय यह था। ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : बाजपेयी जी मैं यही तो कहना चाह रहा हूं डी.ई. आर.सी. के चेयरमैन को यहां बुलाया जाए ये आपकी मांग है, उस पर पांच

मिनट ये फालतू समय ले लेंगे तो कोई आफत नहीं आ रही, कोई मुसीबत नहीं आ रही, उनको बोलने दो, वो हां में है या ना में है। अंततोगत्वा उनको कन्क्लूड तो करने दो। अब ना डिस्टर्ब करें, प्लीज।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, सारी स्थिति को ध्यान में रखकर और दूसरा चार्ज क्या है हमारे उसको एक कनक्लूड बनाकर आपके अधिकार क्षेत्र में है मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में है निश्चित रूप से किसी भी अधिकारी को सदन में बुलाया जाना, मैं नहीं समझता कि कोई इसकी बंदिश होनी चाहिये लेकिन अगर नियम और कानून इस बात की इजाजत देता है और तमाम चीजें इस बात की इजाजत देती हैं तो निश्चित रूप से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत बहुत धन्यवाद। अगली सदन की बैठक में डी. ई.आर.सी. के चैयरमैन को बुलाया जाये। नरेश बाल्यान जी।

श्री नरेश बाल्यान : माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली देहात के गांव का लाल डोरा क्षेत्र बढ़ाये जाने की मांग अक्सर समय समय पर उठती रही है। कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने भी इस मुद्दे पर आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं किया। आजादी के बाद केवल एक बार लाल डोरा बढ़ाया गया कुछ गांवों का और गांव की आबादी निरंतर बढ़ती रही है आज अगर कोई व्यक्ति गांव का मकान बनाता है बढ़ी हुई आबादी में तो नगर निगम की तरफ से लाखों रुपये की मांग उसमें की जाती रही है। और गांव में केवल आमदनी जो केवल किराये की है किराये के अलावा मतलब 80 परसेंट घरों में किराया है तो लोग मकान बनाना चाहते हैं नक्शे पास होते नहीं हैं। मेरी मांग है एक बार एक कमेटी बनाकर दिल्ली के गांव में लाल डोरा बढ़ाया जाये और यह हमारी सरकार ने चुनाव के समय लोगों से वायदा भी किया था और जितनी भी यह

हमारी दिल्ली डायलाग कमीशन के तहत गांव में वायदा किया गया था कि हम गांव का लाल डोरा बढ़ायेंगे तो मेरे उपमुख्यमंत्री जी से यह मांग है इसमें कोई आश्वासन हमें दें।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। श्री विजेन्द्र गर्ग।

श्री विजेन्द्र गर्ग : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपनी बात रखने का समय दिया इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सवाल बिजली कंपनियों की मनमानी से जुड़ा हुआ है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक कलाकारों की झुग्गी बस्ती है जिसको कठपुतली कालोनी के नाम से जाना जाता है। इस झुग्गी बस्ती के कलाकार देश और विदेश में अपनी कला के माध्यम से जाने जाते हैं लेकिन इस बस्ती पर पिछले कुछ महीनों से भारी संकट आया हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां बिजली कंपनी टी.पी.डी.डी. एल. इस क्षेत्र में बिजली प्रदान करती है परंतु उसकी मनमानी इतनी बढ़ गई है कि वहां पर पिछले कुछ महीनों से तीन से चार घंटे शाम के समय बिजली की भयंकर कटौती की जा रही है जिससे वहां के नागरिकों का जीना दुश्वार हो गया है और जो विद्यार्थी अध्ययन करते हैं उनके अध्ययन कार्य में बाधा आ रही है। महिलाएं गृह कार्य करने में बाधा महसूस कर रही हैं और ये बिजली कंपनियां एक एक लाख रुपये के बिल इस कठपुतली कालोनी के गरीब लोगों को भेज रही है जिनकी महीने की इनकम चार या पांच हजार से ज्यादा नहीं है। उनको भारी बिलों का भुगतान करने के लिये मजबूर किया जा रहा है और पुलिस बल के साथ इनके घरों में चाहे दिन हो चाहे रात का समय हो सुबह के छह बजे हों भारी मात्रा में रेड की जाती है और इनको मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो इन बिजली कंपनियों की मनमानी को तुरंत रोकने के उपाय किये जायें और यहां पुलिस भी इन पर काफी जुल्म ढा रही है इनके 15 से 20 लोगों को पकड़कर झूठे मुकदमों में फंसा दिया

जाता है। ये गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं इनको रोज थाने में ले जाकर प्रताड़ित किया जाता है। मैं आपके माध्यम से यह बात सदन के समक्ष रख रहा हूं। इस पर तुरत कार्रवाई करके रोक लगाई जाये। धन्यवाद, जय हिंद।

अध्यक्ष महोदय : पंकज पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्कर : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सम्मानित सदन का ध्यान शिक्षा से जुड़े कुछ बिंदुओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं वह दिल्ली विश्वविद्यालय का क्षेत्र है पूरे देश के और दिल्ली के छात्र वहां बहुत अपेक्षा रखते हैं। मेरा सबसे पहले सवाल है कि वस्तुस्थिति यह है कि दिल्ली का जो युवा उच्च शिक्षा में जाना चाहता है। उसके 90 प्रतिशत उस युवा को दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाता है। और वह मजबूरन School of Open Learning है उसमें जाता है दो लाख से ज्यादा छात्र वहां पंजीकृत हैं और मैं बहुत गंभीर विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं क्योंकि वह पूरा छात्र वर्ग दिल्ली का युवा वर्ग है दिल्ली का मतदाता है इसलिये इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसके साथ जो घनघोर उपेक्षा, भेदभाव वह पूरा संस्थान अनियमितताओं का एक क्रमशः एक वहां पर एक प्रक्रिया बन गई है। छात्रों की जो फीस है वह करोड़ों की संख्या में, करोड़ों की मात्रा में उसका डाइवर्जन गैर शैक्षिक कार्यों की तरफ हुआ है और छात्रों के लिये ना पठन सामग्री वहां उपलब्ध है छात्रों के लिये शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं उस पर एक विस्तृत चर्चा की मैं आपसे कभी भी यथा समय उसकी और ध्यान चाहूंगा।

दूसरी चीज शिक्षा का जो पूरा प्रसंग है पूरा परिप्रेक्ष्य है उसमें सारे सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं प्राथमिक शिक्षा फिर माध्यमिक शिक्षा फिर उच्च शिक्षा हमारे पास जिस तरह का जनादेश है इस सदन के पास जिस तरह की जिम्मेदारी

है वह ना केवल तात्कालिक सवालों को हल करने की है बल्कि हम दिल्ली में एक दूरगामी व्यवस्था कायम कर सकें जिसके लिये शिक्षा में बहुत ही निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता है। शिक्षा में किस तरह का निवेश हो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दिल्ली पूरे देश की राजधानी है और भारत जिसमें कि हमेशा से शिक्षा को लेकर ज्ञान को लेकर एक विशेष, एक बहुत अतिरिक्त जिम्मेदारी की ओर मैं रेखांकित करना चाहता हूं और आज क्योंकि हमारे पास बजट की चर्चा का भी विषय है। माननीय वित्त मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री भी हैं यह बात कहना इस समय बहुत उचित होगा कि हम निवेश ना केवल दिल्ली में छह प्रतिशत तक बढ़ायें शिक्षा पर और पूरा यह सदन एकमत से इस बात को केन्द्रीय सरकार के सामने भी रखे। यह पूरा संघीय बजट जो है उसका भी 6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा की और जाये ओर उसी से जुड़ा पहलू यह है कि शिक्षा में बजट बढ़ाने का अर्थ इमारत बढ़ाना, physical infrastructure बढ़ाना नहीं छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना, शिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। शिक्षकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना ये नया paradigm हमको चाहिये जिस पर की तत्काल ध्यान दिया जाना आवश्यक है और अंतिम बात मैं केवल यह कहूंगा कि हमने गुणवत्ता पर आज तक चर्चा जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत हुई है यह माना गया है कि वह काम एस.सी.ई.आर.टी. का है, एन.सी.ई.आर.टी. का है लेकिन इस पर सर्वअनुमति बने सभी राजनैतिक हलकों, समूहों और दलों के बीच की शिक्षा के मामले को एक राष्ट्रीय दायित्व के रूप में लिया जाये। राजनीतिक दलगत प्रतिबद्धताओं से ऊपर का एक विषय माना जाये, क्योंकि अगर हम शिक्षा में एक नई दृष्टि के साथ काम कर पाते हैं तो पूरे देश और अपने पूरे दिल्ली महानगर को एक नई तरह की व्यवस्था दे पायेंगे। इस समय जो गुणवत्ता की स्थिति हमने अपने तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र के एक वार्ड में शिक्षा की गुणवत्ता पर कुछ काम किया है, सर्वे किया है, मल्कागंज वार्ड में, मैं माननीय सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि बहुत

ही सोचनीय स्थिति है। कभी अवसर होगा तो उस पर मैं, उसकी जो परिणतियाँ हैं उसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, सदन के सामने रखना चाहूँगा। हमारे कक्षा आठ के निकले हुए छात्र, कक्षा दो और तीन की भाषा और गणित में ठीक नहीं हैं। यह बहुत ही पैथोलॉजिकल सिच्युऐशन है। इस पर सम्मानित सदन यथोचित्त ध्यान दें। धन्यवाद।

नियम-90 के अन्तर्गत संकल्प

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास दो सदस्यों के और निवेदन आये थे, लेकिन समय अभाव के कारण एक घंटा पूरा हो गया है। मैं समय नहीं दे सकूँगा, इसके लिए मुझे खेद है। नियम 90 के अंतर्गत श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री बिजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : बोलिये। क्या प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। कौन से नियम के तहत क्या है, बताइये।

श्री बिजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, 90 पर। जो मनीष सिसोदिया जी संकल्प ला रहे हैं। उस पर मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : हां, बताइये।

श्री बिजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, यह रूल बुक है, मैं इसको सम्मानित सदन के समक्ष पढ़ रहा हूँ, अध्याय 12 और Rule of Procedure & Conduct of Business धारा 90 सरकार द्वारा संकल्प की सूचना। यदि मंत्री कोई संकल्प प्रस्तुत करना चाहें तो मैं हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ दूंगा, यदि मंत्री कोई संकल्प प्रस्तुत करना चाहें तो, वे सात दिन की सूचना देंगे और उसके साथ संकल्प की एक प्रति सचिव को भेजेंगे जो साधारणतया उसकी प्राप्ति के अड़तालीस घंटों के भीतर उसकी प्रतिलिपियाँ सदस्यों को भिजवायेंगे। अगला लिखा है-

परन्तु अध्यक्ष इससे कम समय की सूचना स्वीकार कर सकेंगे। कम समय, एक मिनट मैं पढ़ दूँ पहले, फिर मैं अपना प्वाइंट ऑफ ऑर्डर आपके सामने रख दूँगा, फैसला आप करियेगा। अंग्रेजी में लिखा है "Notice of Resolution by Government:

If a Minister desires to move a resolution, he shall give seven days notice and shall, alongwith it, supply a copy of the resolution to the Secretary who shall have its copies sent to Members ordinarily within fourty-eight hours of its receipt."

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र जी, आपने रूल 90 पढ़ दिया।

श्री बिजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, एक सेकेंड। मैं पढ़ रहा हूं पूरा, पूरी बात सब के समक्ष आ जाये।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, मेरी बात सुन लीजिये।

श्री बिजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, बात सब के समक्ष आ जाये, फिर आप जरूर provided that the Speaker may allow shorter notice.

अध्यक्ष महोदय : आप आगे रूल 90 केवल पढ़ लीजिए। देखिये, प्लीज यह विषय गम्भीर है। मैं इसको पढ़ चुका हूँ, अध्ययन कर चुका हूँ। रूल 90 में मुझे प्राप्त हुआ, मैंने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए और रूल 90 को पढ़ते हुए पूरा उसको संज्ञान में लेते हुए तब यह स्वीकार किया है।

श्री बिजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं वही आपके समक्ष कहना चाहता हूँ, ऑन टेबल लाना और shorter duration में उसको अलाउ करना इसमें बहुत अंतर है। यह ऑन टेबल, देखिये, अध्यक्ष जी, मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री।

श्री बिजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, देखिये, मैं यह कहना चाहता हूं इस तरह से कानून का, रूल का यहाँ पर voilation नहीं होना चाहिये और इस तरह के सीरियस प्रस्ताव, इतने सीरियस रेजोल्यूशन पर मुझे लगता है .....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई और नहीं बोलेगा, प्लीज।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं .....**(व्यवधान)**

श्री बिजेंद्र गुप्ता : लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा करना, इस तरह की परिस्थितियाँ बार-बार नहीं चलेंगी.....**(व्यवधान)**

उप मुख्यमंत्री : भ्रष्टाचार से लड़ने की जब-जब बात आती है, तो कुछ लोगों को परेशानी होने क्यों लगती है। मुझे समझ नहीं आता.....**(व्यवधान)**

श्री बिजेंद्र गुप्ता : जब-जब भ्रष्टाचार से लड़ने की बात आती है, माननीय अध्यक्ष जी, तो ये लोग विरोध क्यों करने लगते हैं कि लड़ो मत, अच्छे कानून मत बनाओ, अच्छी व्यवस्था मत बनाओ, भ्रष्टाचार के खिलाफ यह सदन .....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, बिजेंद्र जी, मैं अपनी रूलिंग इस पर दे चुका हूँ। मैं 90 को पढ़ चुका हूँ, जब मेरे पास आया था, मैं पढ़ चुका, मैं फिर पढ़कर सुना देता हूँ आप कहाँ का context इसमें दे रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, इसमें बहुत क्लियर लिखा है If a Minsiter desires to move a resolution, he shall give seven days notice and shall, alongwith it, supply

a copy of the resolution to the Secretary who shall have its copies sent to Members ordinarily within fourty-eight hours of its receipt provided that the speaker may allow shorter notice." That's all.

श्री बिजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं बोल सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब इसमें विषय खत्म हो गया। उसके बाद मैंने.....**(व्यवधान)**

श्री बिजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, एक मिनट आप.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं जब तक खड़ा हूँ आप बैठिये प्लीज।

श्री बिजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं पूरे मान-सम्मान के साथ कहना चाहता हूं.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये प्लीज। इसके बाद कुछ है ही नहीं इसमें। 91 शुरू हो जाता है और आगे कुछ लिखा नहीं। वो मेरी अपनी पावर है Shorter notice का कोई boundation नहीं है। मैं इसको ले चुका हूं। श्रीमान मनीष सिसोदिया जी।

श्री बिजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि ऑन टेबल.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्लीज। अब नहीं। अब कुछ नहीं।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ.....**(व्यवधान)**

श्री बिजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, बार-बार मुझे कहना पड़ता है, मेरा माइक ऑन करने के लिए। यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप बार-बार इस ढंग से डिस्टर्ब करेंगे .....**(व्यवधान)**

उप मुख्यमंत्री : इसके लिए भी कोई रूल ढूँढ़ लीजिएगा।

श्री बिजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, जब मैं खड़ा हूँ तो मेरा माइक ऑन होना चाहिए। जब आपका ऑर्डर होगा, मैं बैठूँगा। लेकिन माइक बंद करवा देना यह सही नहीं है।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस रिजोल्यूशन को पेश करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब 49 दिन की सरकार आम आदमी पार्टी की बनी थी, तो देश के राजनीतिक इतिहास में लोगों ने एक अद्भुत घटना अनुभव की थी और वो घटना यह थी कि पहली बार लोगों को लगा कि भ्रष्टाचार बंद तो हो सकता है। अभी तक लोग यही कहते थे कि साहब, कोई कहता था दाल में नमक बराबर, कोई कहता था आटे में नमक बराबर भ्रष्टाचार तो चलेगा ही चलेगा। राजनीति है बाबू यह तो भ्रष्टचार चलेगा ही। कुछ लोग कहते थे कि साहब रगों में आ गया है भ्रष्टचार कहाँ तक रोकोगे। जब-जब कोई भ्रष्टाचार रोकने की बात उठाता था तो लोग कहते थे कि भ्रष्टाचार को रोकना नामुकिन है। लेकिन पिछली सरकार में 49 दिन की आम आदमी पार्टी की सरकार में लोगों को न सिर्फ भरोसा हुआ, बल्कि लोगों ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया कि दिल्ली में, दिल्ली सरकार के कामकाज में, दिल्ली पुलिस के कामकाज में, नगर निगम के कामकाज में, डी.डी.ए. के कामकाज में, यहाँ तक कि इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंट के कामकाज में रिश्वतखोरी और भ्रष्टचार पूरी तरह से बंद हो गया। यह हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास की एक ऐसी अद्भुत घटना थी जिसका अनुभव दिल्ली के लोगों ने किया था और इसका जिक्र दिल्ली के कोने-कोने में साधारण चर्चाओं में हुआ, नुक्कड़ सभाओं में हुआ, नुक्कड़ चर्चाओं तक में

हुआ कि साहब कुछ भी हो ये लड़के नई पौधगी की तरह आये थे, लेकिन भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़े वटवृक्ष को इन्होंने उखाड़ तो दिया। यह बार-बार कहा गया। शायद वही भरोसा और वही अनुभव उस चुनाव में काम आया जिस चुनाव के तहत दिल्ली में इस विधान सभा का चुनाव किया गया हम दिल्ली के लोगों ने। लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद इस विधान सभा से यही है कि हमने आम आदमी पार्टी ने बहुत लोगों की जिंदगी की जरूरतों के हिसाब से, अपनी जिंदगी की जरूरतों के हिसाब से हम भी दिल्ली वाले हैं, बहुत सारी चीजें रखी हैं अपने मैनीफेस्टो में, लेकिन उसमें सबसे अहम चीज है लोगों का यह भरोसा कि साहब यह लोग 500 नहीं, तो हो सकता है 495 स्कूल खोल देंगे। 20 कॉलेज नहीं हो सकता है 19 कॉलेज खोल देंगे। लेकिन भ्रष्टाचार को तो जीरो कर देंगे यह इनका भरोसा है। लोगों को इस बात का पूरा भरोसा है और इसलिए हिन्दुस्तान की राजनीति के इतिहास में पहली बार इस तरह का बहुमत देकर किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने भेजा है। जब हम सरकार में आये हैं तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ वही तेवर लेकर चल रहे हैं जो पिछली सरकार में थे या सवाल हमारा नहीं है कि हमारी सरकार में पिछली में क्या थे और इसमें क्या थे। हम वही तेवर लेकर चल रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसकी दिल्ली के लोगों को दरकार है, जिसकी दिल्ली के लोगों को जरूरत है। आपने देखा होगा कल ही दिल्ली जल बोर्ड के तीन ऐसे कर्मचारियों को, तीन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिन्होंने कागज पर जल बोर्ड का काम किया था। हकीकत में नहीं हुआ, कागज पर हो गया। यह सरकार किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। यह हमारा कमिटमेंट है। zero tolerance against corruption. ये हमारा commitment है। हम बार-बार पिछली बार भी कहते थे कि ना खायेंगे और ना खाने देंगे लेकिन इसके साथ एक चीज और कहते हैं ना खायेंगे, ना खाने देंगे और अगर कोई खाने की हिम्मत करेगा तो सीधे तिहाड़ जेल भेज देंगे ये हमारी गारंटी है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सरकार

तो सख्त है लेकिन आज इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान ऐसे आदेश की तरफ दिलाना चाहता हूं जो केन्द्र सरकार ने जारी किया है और दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान को कमजोर करने के लिए है कमजोर करने की नीयत से शायद किया गया होगा। दिल्ली सरकार की जो ए.सी.बी. एंटी करपशन ब्रांच है इसके पास पावर है, 93 के आदेश में साफ-साफ लिखा गया है दिल्ली के क्षेत्र में होने वाले किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में ये एंटी करप्शन ब्रांच वहाँ दखल देकर एफ.आई.आर. कर सकता है लोगों को गिरफ्तार कर सकता है यही डर है कि पिछली बार इन्कम टैक्स जैसे, दिल्ली पुलिस जैसे डिपार्टमैंटस में, डी.डी.ए. जैसे डिपार्टमैंटस में भ्रष्टाचार रुका आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान। इस बार क्या हुआ अभी जुलाई, 2014 में जब यहाँ माननीय बिजेन्द्र गुप्ता जी की पार्टी की सरकार एल.जी. साहब के माध्यम से सरकार चला रही थी उस दौरान एक आदेश वहाँ से जारी किया गया केन्द्र सरकार की तरफ से दिल्ली के लिए और उसमें ये कहा गया कि सिर्फ ए.सी.बी. जो यह सिर्फ दिल्ली सरकार के विभागों की, ए.सी.बी. के दायरे में आयेंगे इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि अगर दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार होगा तो एंटी करप्शन ब्राँच उसकी जांच नहीं कर पायेगा। अगर डी.डी.ए. में भ्रष्टाचार होगा, दिल्ली के लोग दुखी हैं, दिल्ली के लोग मकान बनाने जाते हैं तो उनसे वसूली होती है। जन्म प्रमाण-पत्र बनवाने जाते हैं तो उनसे वसूली होती है, किसी भी काम में उनसे वसूली होती है, लेकिन अब ये आदेश के हिसाब से अगर इसको, मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर इसको अमल में लाया जाता है तो इसके बाद दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस, इन्कम टैक्स जैसे तमाम डिपार्टमैंट्स, पासपोर्ट विभाग अगर किसी से पासपोर्ट में रिश्वत मांगी जा रही है तो वो आदमी यहाँ एंटी करप्शन ब्रांच में कम्पलैंट नहीं कर सकता, अगर यह अमल में आ गया। तो इसलिए ये आदेश जो है मेरा मानना है

अध्यक्ष महोदय, संविधान के खिलाफ है ये दिल्ली के हम दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार के कार्यक्षेत्र में अनावश्यक दखल दे रहा है अगर इसको अमल में लाया गया तो अनावश्यक दखल देगा। 1993 से चल रहा है 22 साल में इन्कम टैक्स के खिलाफ कार्यवाई हुई, पुलिस के खिलाफ कार्यवाई हुई, डी.डी. ए. के खिलाफ कार्यवाही हुई, एम.सी.डी. के खिलाफ कार्रवाही हुई दिल्ली सरकार के अधिकारियों के खिलाफ तो हुई, वहाँ तो एफ.आई.आर. हुई 22 साल में किसी ने प्रश्न नहीं किया लेकिन अचानक अब क्या हो गया अचानक यह क्या हो गया कि 22 साल से चली आ रही व्यवस्था को और वो भी दिल्ली सरकार के आदेश के तहत चली आ रही व्यवस्था को curtail करने के लिए उसके पंख काटने के लिए केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया वो भी एक ऐसे समय में जब उनकी सरकार बनी थी। दो महीने पहले उनकी सरकार बनी थी तो इसके आलोक में जो मैंने आपके सामने बात रखी। अध्यक्ष महोदय में आपके सामने यह प्रस्ताव रख रहा हूं जिसका औपचारिक मजमून अंग्रेजी में लिखा है- "The Government of India vide notification daded 23rd July, 2014 of the Ministry of Home Affairs has unilaterally restricted the powers of Anti corruption Branch. This Notification is beyond the competence of Government of India and if operated upon will severely hamper the anti-corruption efforts of the Government of NCT of Delhi. The people of Delhi have given historic mandate to eradicate corruption in Delhi. The said notification has limited the scope of Anti Corruption Branch only to the officers and employees of Government of NCT of Delhi. The malice of corruption does not restrict only to the new scope provided by the Government of India through this Notification. This House fully understand the will of the

people of Delhi to completely eradicate the scourge of corruption from every sphere of life and resolve that no efforts to dilute the Anti-Corruption Movement should be acceptable in Delhi.

The House resolves that the Government of NCT of Delhi should immediately take up the matter with Ministry of Home Affairs, Government of India for the immediate withdrawal of this notification dated 23rd July, 2014.

This House further resolves that Government of NCT of Delhi shall function as per the original mandate against corruption as it existed prior to the notification dated 23rd July, 2014 and continue with its anti-corruption efforts as it was functioning prior to the said notification.

अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह सदन दिल्लीवासियों की जरूरत और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और जब मैं यह सदन कहता हूं तो इस सदन के जो पार्टी के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के साथी विधायक हैं वो भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि रूल्स पर प्रश्न कर सकते हैं उनकी अपनी interpretation हो सकती है, लेकिन यह तय करना कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं या भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा होना चाहते हैं ये एक बड़ा सवाल हम उनके सामने भी रख रहे हैं इस प्रस्ताव को रखने का अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेंड जरा बैठिये प्लीज। आप बैठिये। अनिल जी बैठिये, मैं रख रहा हूं भई। इस प्रस्ताव को जो उप मुख्यमंत्री जी ने रखा है मैं सदन में चर्चा के लिए रख रहा हूं। श्रीमान सोमनाथ भारती जी। मैं माननीय विधायकों से प्रार्थना कर रहा हूं कृपया बैठ जायें। ये बहुत गम्भीर मुद्दा है हम

इसको खड़े होकर मुद्दों को, पहले तो देखिये मैं प्रार्थना कर रहा हूं जब भी कोई माननीय मंत्री जी बोल रहा हो, अपना उद्‌बोधन दे रहा हो किसी भी माननीय सदस्य को बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यह बहुत गम्भीर विषय रहता है। ये मैं यहां तक कह रहा हूं माननीय मंत्री जी के बोलते वक्त बोलना ये उनकी अवमानना रहती है वो बोल रहे हों जब उनका भाषण शालीनता से पूरा हो जाये उसके बाद आप रखिये बात को। अभी नये हैं थोड़ा सीखना पड़ेगा, काफी कुछ सीख लिया है, और धीरे-धीरे सीख जाऐगे कोई चिंता की बात नहीं है। अब मैं इस प्रस्ताव को चर्चा के लिए रख रहा हूं। सर्वप्रथम सोमनाथ भारती जी अपनी बात रखेंगे।

श्री सोमनाथ भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका तहेदिल से धन्यवाद करता हूं। मैं अभी जो 23 मार्च को हमने शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का जो हमने शहीदी दिवस मनाया और आपका शुक्रगुजार करता हूं कि आपने बड़े शोर्ट नोटिस में इसको आयोजन करके दिल्ली विधान सभा का जो मान बढ़ाया। आज मैं जब सुन रहा था अपने उप मुख्यमंत्री साहब को यह कहते हुए और बीच में जो टोका-टोकी हो रही थी बिजेन्द्र गुप्ता जी के द्वारा मैं उनको आपके जरिए सदन को बताना चाहता हूं कि हम सिर्फ माला पहनाने के लिए नहीं आये। शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर केवल माला पहनाने नहीं आये उनके विचारों को कार्यान्वित करके दिखायेंगे और आज जो माननीय उप मुख्यमंत्री साहब ने बात कही है यह उस दिशा में एक कदम है और इस कदम की मैं सोच रहा था कि यह अगर माननीय स्पीकर साहब का उसमें discretion है तो बिजेन्द्र गुप्ता जी के द्वारा जो ऑबजेक्शन उठाया गया यह बड़ा खेद पूर्ण हो मैं आशा करता हूं कि जब भी हमारी सरकार या सदन भ्रष्टाचार विरोधी कोई कार्य के प्रति एक कदम बढ़ाये तो बिजेन्द्र गुप्ता जी का साथ उसको मिले इसकी मैं आशा करता हूं। यह बहुत ही संजीदा मामला है। 1970 में Anti-corruption Wing

की स्थापना हुई थी जब 1992 में दिल्ली सरकार बनी उसके बाद 1993 के अंदर माननीय उप राज्यपाल महोदय के consent से Anti-corruption Branch की जो scope of work है जो territoril jurisdiction है उसको पूरे एन. सी.टी. ऑफ दिल्ली को बढ़ा दिया गया। इसके जैसा माननीय उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा 22 साल तक ये निरंतर काम करता रहा। 22 साल तक यह निरंतर काम करता रहा और कई विभाग दिल्ली सरकार में नहीं आते हैं एम.सी.डी. हो, दिल्ली पुलिस हो, डी.डी.ए. हो, इनकम टैक्स हो इस सब के उपर निरंतर काम करता रहा। यह अचानक जो जुलाई 2014 में एक एक्जीक्यूटिव आर्डर के द्वारा जो दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच के पर कतरे गये, कतरने का प्रयास किया गया। उसकी जितनी निंदा की जाये मेरे पास शब्द नहीं हैं। जब पहली बार अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार आई थी उसकी popularity और जनता में जो विश्वास जगा था गरीब से गरीब आदमी भ्रष्टाचार से मुक्त होने का विश्वास देने का प्रयत्न किया था इस बार वो किसी को उपलब्ध नहीं हो पा रहा। और यह बहुत चिंता का विषय है और हम सब इस बात से अवगत हैं कि किस तरह से अभी भी दिल्ली पुलिस के लोग ठेले वालों से, एम.सी.डी. के लोग ठेले वालों से, पटरी वालों से पैसे लेकर के और किसी कारण ये जो नोटिफिकेशन आया इस नोटिफिकेशन के आधार पर वो भ्रष्टाचार करने में बिल्कुल हिचक नहीं रहे। ये बहुत ही निंदा का विषय है और बहुत ही गंभीर विषय है। उस वक्त ऐसी क्या जरूरत पड़ गई ऐसी कौन सी एमरजेंसी हो गई कि यह नोटिफिकेशन के जरिए जो Constitutionally guarateed power है, उसको कतरने का प्रयास किया गया। जहां तक मुझे ज्ञात है उस वक्त कोई देश के famous industrialist हैं उद्योगपति उनको फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया। यह फिर दर्शाता है कि हमारी जो allegiance है जो हमारी प्रतिबद्धता है उस जनता के प्रति जिन्होंने इतनी आशाओं से, भाव से इस कदर से प्रचण्ड बहुमत देकर के आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया और उसको पूरा करने में आज यह

सदन एकमत से मुझे लगता है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसकी निंदा की जानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि जो विपक्ष के तीन सदस्य हैं वो बाकी सदन के साथ भी इसमें खड़े मिलेंगे यह बहुत ही जरूरी है। मैं इसमें चूंकि मैं वकील हूं इसमें मैं संविधान की क्योंकि किस तरह से असंवैधानिक है इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय यह अपने संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को दिया था, उसका किस तरह से इस नोटिफिकेशन के द्वारा अपमान किया गया उसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय अपने संविधान में तीन लिस्ट हैं लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 केन्द्र सरकार के scope of work को डिफाइन करता है। लिस्ट 2 राज्यों के scope of work को डिफाइन करता है और लिस्ट 3 Concurrent List। जब भी लॉ मेकिंग की बात आती है तो जो Concurrent List है उसमें पार्लियामेंट को edge है लेकिन जब execution की बात आती है तो Article 73 of the Constitution of India, that clearly says. I will read that out "that State has exclusive jurisdiction over execution of the power. I'II just read that out. Extent of the executive Power of the Union sub-clause (1): "subject to the provisions of this Constitution, the Executive Power of the Union shall extend to the matters with respect to which Parliament has power to make laws i.e. only List 1 and to the exercise of such right, authority and jurisdiction as are exercisable by the Government of India by virtue of any treaty on agreement, provided that the Executive Power referred to in sun-clause(a) shall not, save as expressly provided, it means except expressly provided in this Constitution or in any law made by the Parliament, extend in any state in matters with respect to which the Lagislature of the State has also power to make laws.

अध्यक्ष महोदय, यह साफ साफ मुझे समझ में नहीं आता किसने केन्द्र सरकार को उस वक्त ऐसी सलाह दी, किन कारणों से किया गया, किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा था। इसके बावजूद संविधान साफ-साफ जो हम सब का जिसको हम Fountain Head कहते हैं, Grund Norm कहते हैं इसके कारण हम हैं। इसके बावजूद एक Executive के द्वारा जो संवैधानिक अधिकार है दिल्ली सरकार के, उसको कुचलने का प्रयास किया गया और अगर जैसे अध्यक्ष महोदय यह सी.आर.पी.सी. जो है Criminal Procedure Code इसका जो Jurisdiction है वो territorial होता है मतलब एन.सी.टी. आफ दिल्ली में रहने वाले सारे लोगों पर लागू होगा। अब आज अगर कह दें कि दिल्ली सरकार के कर्मचारियों पर सिर्फ लागू होगा और जो केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा यह तो बहुत ही हास्यास्पद बात है। कल को यह भी कह सकते हैं कि भई सफेद कुर्ता पहनेंगे उस पर लागू नहीं होगा क्योंकि अधिकतर लोग सफेद कुर्ता पहनते हैं और गलत काम करते हैं। यह तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा .....**(व्यवधान)** अब देखिए इतने लोग बैठे हुए हैं आपने objection नहीं उठाया।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी आप अपना जारी रखिए।

श्री सोमनाथ भारती : तो यह हास्यास्पद बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हास्यास्पद बात.....**(व्यवधान)**

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय ये जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं इसको आप वापिस लीजिए।

श्री सोमनाथ भारती : यह Executive Order के द्वारा इतनी सीरियस स्थिति इस कदर से अध्यक्ष जी, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे माननीय सदस्य को किस बात पर आपत्ति है.....**(व्यवधान)**

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, इस पर आप व्यवस्था दें। आप अपनी तरह सबको समझ रहे हैं क्या?

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी एक मिनट, देखिए ओमप्रकाश जी आप मेरे से बात करिए।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, इस पर आप व्यवस्था दें।

अध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट बैठिए।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, बैठूंगा आप व्यवस्था दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। दो मिनट में बताता हूं।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, बैठूंगा आप व्यवस्था तो दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठेंगे तभी तो मैं व्यवस्था दूंगा।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष जी किसी के नाम का उल्लेख नहीं लिया।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी एक मिनट।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, आप व्यवस्था दीजिए। यह क्या xxxx है xxxx नहीं चलेगी हाउस में। यह बिल्कुल xxxx है जो आप कर रहे हैं यहां। यह तानाशाही है। आप इस पर व्यवस्था दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा व्यवस्था लीजिए आप।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, इस पर आप व्यवस्था दें।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था दे रहा हूं आप सुनने को राजी हों।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, दीजिए न व्यवस्था।

---

xxxx चिह्नित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेश से कार्यवाही से निकाले गए।

अध्यक्ष महोदय : सभी सदस्य बैठ जायें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, इसके ऊपर व्यवस्था दीजिए। यह गुंडागर्दी है क्या.....**(व्यवधान)**

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : गुंडागर्दी करेंगे आप.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जगदीश जी यह भाषा उचित नहीं। त्यागी जी बैठिए प्लीज। आप बोलने दीजिए उनको। आप बैठिए प्लीज।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, व्यवस्था दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : गोयल साहब बैठ जाइए, अनिल जी आप बैठ जाइए अब कोई नहीं बोलेगा मैं व्यवस्था दे रहा हूं। उन्होंने सफेद वस्त्र कहा है वो न कोई धर्म से जुड़ है, न किसी जाति से जुड़ है, न किसी विशेष वर्ग से जुड़ा है, न किसी विशेष व्यक्ति से जुड़ा है। एक मिनट मेरी बात सुनिए। संवैधानिक व्यवस्था में कोई धर्म या जाति, कोई वर्ग या व्यवसाय उससे जुड़ा हुआ कोई इस रंग का, मैं व्यवस्था दे रहा हूं, कानूनी व्यवस्था, सुन लीजिए बात को।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, आप इस पद की गरिमा का उल्लंघन कर रहे हैं मेरा ये कहना है।

अध्यक्ष महोदय : चलिए आपने ये कह दिया ये ठीक है। मैं जो व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, यह गलत है यह आपको शोभा नहीं देता।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइए। सोमनाथ जी, जरा जल्दी कनक्लूड कीजिए।

श्री सोमनाथ भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उससे आगे चलता हूं कि चलो कपड़े पर आपने बड़ा आब्जेक्शन किया पता नहीं क्यों किया लेकिन अगर यह बड़ा सीरियस मामला है.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अरे भाई आप चुप रहेंगे नहीं कमाल है बाजपेयी जी। बाजपेयी जी आप सीनियर आदमी हैं हमारे।

श्री सोमनाथ भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह फेडरल स्ट्रक्चर है इसके तहत हमारा देश govern किया जाता है। जो संविधान की रूपरेखा से देश की governance decide होती है। अगर इस कदर से किसी भी स्टेट की Executive Power को कतरने की कवायद जारी रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तो फिर तो बड़ा गजब होने वाला है देश में कि आप फैसला कर देंगे कि महाराष्ट्र में कल जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनके ऊपर ही वहां का एंटी करप्शन ब्रांच काम करेगा बाकी जो उनके स्कोप में नहीं आते हैं उनके ऊपर नहीं करेगा यह तो बहुत बड़ा interference है कि सारे स्टेट्स जितने भी राज्य हैं सबके लिए खतरे की घंटी है। यह एक दिल्ली में सिर्फ लॉ एण्ड ऑर्डर और लैण्ड तो नहीं है। बाकी सब तो हमारे पास है। इन्वेस्टिगेशन हमारे पास है। संघीय ढांचे पर जो इन्होंने प्रहार किया, और इस तरह से प्रहार किया, जब दिल्ली सरकार नहीं थी। ऐसी क्या अफरा-तफरी थी, किसको बचाने की कवायद चल रही थी कि ऐसा ऑर्डर जारी किया गया? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री साहब का बहुत ही तहेदिल से और आपका तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ये जो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना जो असंवैधानिक आदेश जो केन्द्र सरकार ने एक लेजिटिमेट गवर्नमेन्ट की एबसैन्स में जारी करके एन्टीकरप्शन ब्रांच को अपंग बनाने का प्रयास किया और जो भ्रष्ट और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के प्रयास किया गया, इसकी मैं आपके जरिए इस सदन में गुजारिश करता हूं कि हम सब एकमत से इसकी निन्दा करें और माननीय मुख्यमंत्री साहब से

आपके जरिए मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सरकार को आदेश दें कि इसको केन्द्रीय सरकार के साथ टेक अप किया जाये और जब तक ये ऑर्डर विदड्रा नहीं किया जाता तब तक ये सदन आपके माध्यम से कहना चाहता है कि इस आदेश को null & void, void ab-initio डिक्लेयर किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागी : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि इस तरह का जो आदेश है, जो दिया है, उसके बारे में आपके माध्यम से पूरे सदन से अनुरोध करूँगा कि इस चीज को सपोर्ट करें कि ये माना नहीं जाना चाहिए। आपके माध्यम से एल जी साहब को ये बताना चाहिए, होम मिनिस्टर साहब को ये बताना चाहिए कि इस तरह से दिल्ली की जनता को ट्रीट करना, क्या ये किसी एक पर्टिकुलर व्यापारिक घराने को बचाने की कोशिश शायद उन लोगों ने की होगी कि उसी वक्त ये आया। किस डर से ये किया गया है? क्या उनके अपने किसी राज्य में जहाँ पर उनकी अपनी सरकार है केन्द्र में जो पार्टी है, उसकी अपनी सरकार है। वहां पर ये लाने की कोशिश कर पायेंगे, हिम्मत कर पायेंगे? क्या किसी और राज्य में लाने की हिम्मत कर पायेंगे? और क्या वजह है कि ये स्टेट्स को, उनकी पॉवर्स को डायल्यूट करना चाहते हैं? किस तरीके से करप्शन करना चाहते हैं? उनकी मंशा क्या है, ये जानना चाहते हैं। हम सब जानना चाहते हैं और दिल्ली की जनता जानना चाहती है। इस पर बहुत क्लेयरिटी होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती प्रमिला टोकस।

श्रीमती प्रमिला टोकस : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी निन्दा करती हूं और जो बीस सालों से ये

चला रहे हैं, अब एक साल में ऐसा क्या हुआ? क्या केन्द्र सरकार ने ये देखा है कि 49 दिनों की सरकार ने, जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किया है। उससे लोगों को इतना विश्वास है कि वह फिर से ऐसा करेंगे। क्या केन्द्र सरकार को डर है? किसको बचाना चाहते हैं इससे कि वे एन्टी करप्शन को लांच नहीं करने देते? हम इस सदन के माध्यम से चाहते हैं कि इस प्रावधान को वापस लिया जाये। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री बिजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्थिति स्पष्ट कर दूं। अभी मंत्री जी ने कहा...

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट आप बैठिए। देखिये मैं सदस्यों से प्रार्थना कर दूं कि वे जो बोलना चाहें, उनको बोलने दें। भले ही हमारे विरुद्ध बोल रहे हैं या आपके विरुद्ध बोल रहे हैं या मेरे विरुद्ध बोल रहे हैं। उनको बोलने दें। कोई बीच में टोके नहीं।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि ए.सी.बी. के परव्यू में दिल्ली नगर निगम आता है। दिल्ली सरकार के कण्ट्रोल में है दिल्ली नगर निगम। दूसरा में इसमें कुछ इसके दायरे को बढ़ाना चाहता हूं। इसमें गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव को भी शामिल किया जाये। और इसमें डिफेन्स फोर्सेज तो आ ही गयी होंगी। आर्मी, एअर फोर्स और नेवी। वे तो इसके स्कोप में आ ही गयी पहले से ही। इसमें गुड़गांव, गाजियाबाद और एन.सी.आर. सारा आगे बरेली वगैरह सब। वह सारा इसमें शामिल कर लिया जाये। वहां पर दिल्ली सरकार की एन्टी करप्शन ब्रांच... आगरा तक... आगरा तक कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : एक बार सलाह कर लीजिए दोनों बैठकर।... बिजेन्द्र जी। ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप टोकेंगे तो सभा का आनन्द सारा खराब हो जाता है। मैं बिजेन्द्र जी से प्रार्थना कर रहा हूं।...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : अनिल जी आप बार-बार डिस्टर्ब करते हैं। आप दोनों ही सलाह कर लीजिए दो मिनट। मैं दुबारा समय दे दूंगा।...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कहा था कि सदन को डिस्टर्ब न करें प्लीज। त्यागी जी आप बैठिए न। दो मिनट आप सलाह कर लीजिए। ओम प्रकाश जी, बिजेन्द्र जी आप दो मिनट सलाह कर लीजिए।... हो गई सलाह। फिर दुबारा तो नहीं होगी आपस में। धन्यवाद। अब नहीं, दो मिनट रुक जाइये प्लीज।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है हर कानून की अपनी एक परिधि होती है, एक सीमा होती है। हम जानते हैं कि आप एक एनार्किस्ट पार्टी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसको लोगों ने अपना ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र जी, मेरी प्रार्थना है आप अपना विषय रखिए। छेड़खानी मत कीजिए प्लीज। ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : बीच में छेड़खानी करेंगे तो...

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आप बहुत अच्छा सदन चला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए आपका हृदय से आभार करता हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हर अधिनियम की, हर कानून की परिधि होती है, सीमाएं होती हैं। ठीक है। एक एनार्किस्ट माइंडसेट है। उसका अर्थ ये नहीं कि आप सदन की गरिमा के अंतर्गत भी इस तरह के प्रस्ताव लायें जो वांछनीय नहीं हैं। मैं इसमें से कुछ शब्द पढ़ रहा हूं। इसमें कहा गया है उक्त अधिसूचना से भ्रष्टाचार निरोधक शाखा का कार्यक्षेत्र केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों तथा कर्मचारियों तक सीमित हो गया है। प्रश्न यह है कि कोई भी एन्टी-करप्शन सिस्टम किसी एक व्यक्ति पर दो कानून नहीं लग सकते। और परिधि का यही अर्थ है। अगर आज हम इस सदन में यह पारित कर दें कि ये कानून हरियाणा पर भी लागू होगा तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये हरियाणा पर लागू हो जायेगा। दूसरा हमारा यह कहना है कि...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेण्ड। दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है, वह सब समझती है। उनको बोलने दीजिए।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : बिल्कुल समझती है। अध्यक्ष महोदय, आपकी बात को मैं पूरी तरह से ...**(व्यवधान)**...

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : यह सदन यह भी संकल्प करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार विरोधी अपने मूल आदेश के अनुसार कार्य करेगी। जैसी स्थिति दिनांक 23 जुलाई, 2014 की अधिसूचना से पहले विद्यमान थी और अपने भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों...प्रश्न यह है कि आप एक मंत्री के द्वारा लाया गया प्रस्ताव इतना contradictory और rule of law के against हो इससे पहले मैं नहीं समझता कि इस सदन में सरकार द्वारा इस तरह के contradiction सदन के फ्लोर पर official business में किए गए होंगे। ये पूरे संघीय ढांचे पर एक प्रहार है। आपका कोई भी विरोध है। अध्यक्ष महोदय, आपका कोई भी विरोध है, कोई भी बात जो आपको acceptable नहीं है। उसके लिए चर्चा के दरवाजे हैं, वह हमेशा खुले हैं। आप अपनी बात जाकर जिस भी संबंधित अधिकारी, किसी नेता, किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री यहां तक कि प्रधानमंत्री जी के पास भी आप जा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। उसके लिए बैठक कर सकते हैं। उस पर अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। अगर वह नहीं होता है तो उसके लिए आपको पार्टी विरोध कर सकती है। उस पर कोई आन्दोलन कर सकती है। लेकिन सदन की परिधि के अंदर, इस गरिमामय सदन के अंदर इस तरह के xxx[1] प्रस्ताव जिनकी कोई Sancity नहीं है, वह भी सरकार के द्वारा लाये जा रहे हैं, मेरा उस पर गहरा रोष है और मैं इसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : xxx शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाये। यह असंसदीय भाषा है।

...(व्यवधान)...

---

xxx चिह्नित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेश से कार्यवाही से निकाले गए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। मुझे सदन चलाने दें। **...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसे बिल्कुल एलाउ नहीं करूँगा।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए प्लीज। श्री अनिल बाजपेयी। **...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेण्ड गोयल साहब, महेन्द्र गोयल जी आप बैठिए। बाजपेयी जी। मैंने एक व्यवस्था दी है यह XXX शब्द असंसदीय है। यह कार्यवाही से निकाल दें। बाजपेयी जी, आप बोलिये।

श्री अनिल बाजपेयी : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय मनीष सिसौदिया साहब ने जो यह प्रस्ताव रखा है पूरा सदन इनके साथ है और यह हम सब सदस्यों की भावना है कि इस पर बिल्कुल गौर न किया जाए और माननीय उपराज्यपाल महोदय को और केन्द्र सरकार को सूचित कर दिया जाए कि यह दिल्ली की विधानसभा का फैसला है और ये बिल्कुल भी न माना जाए। ये हम सभी सदस्यों का मानना है और हम इसका समर्थन करते हैं सब। अध्यक्ष महोदय साहब 49 दिन की सरकार में आप आदमी पार्टी ने पिछले वर्ष जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया। आम समझिए दिल्ली के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली थी। आज उसी की वजह से आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीट जीतकर दिल्ली के अंदर आई है। आज जो हमारे माननीय सदस्य बैठे हुए हैं मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, या भ्रष्टाचार के साथ हैं। अगर उनके अंदर जमीर है तो दिल पर हाथ रखकर देखे कि अगर डी.डी.ए. का कोई अधिकारी उनके विधानसभा क्षेत्र में उनके किसी

XXX चिह्नित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेश से कार्यवाही से निकाले गए।

आदमी से पैसा मांगता है रिश्वत का, तो गलत है। उसको मुअत्तिल किया जाना चाहिए या नहीं। अगर कोई एम.सी.डी. का कर्मचारी उनके विधानसभा क्षेत्र में उनके किसी आदमी से पैसा मांगता है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या नहीं होनी चाहिए। आज जो केन्द्र सरकार ने यह बात रखी है इससे उन सभी लोगों को भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिलेगा। हम माननीय सिसौदिया साहब के इस प्रस्ताव का, जो रखा है, समर्थन करते हैं और आपसे भी अपील करते हैं कि जरा सी भी नैतिकता अगर आपके अंदर है तो हमारे इस प्रस्ताव का आप समर्थन करो, धन्यवाद जी।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिव चरण गोयल जी।

श्री शिव चरण गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय जी यह जो कानून 23 जुलाई, 2014 को लागू किया गया है इसकी मंशा क्या है। हमें इसकी मंशा को जानना चाहिए। हम इस कानून के द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते है या भ्रष्टाचार हम खत्म करना चाहते हैं। यदि हम इसकी मंशा को जानेंगे तभी हम जो दिल्ली की जनता, जिन्होंने हमें इतना बहुमत दिया है, तभी हम इस पर कार्यवाई कर सकते हैं, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्त : अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बात रखने का मौका दिया। ये 23 जुलाई को जो कानून हमारे गृह मंत्रालय से केन्द्र सरकार ने पारित किया। उस समय प्रेजीडेंट रूल था और आम आदमी पार्टी उससे दो महीने पहले ही जीतकर आई थी, 49 दिनों का हमारा काम जनता ने देखा था और उस काम के माध्यम से जनता बहुत हमसे खुश थी। मुझे लगता है कि जो केन्द्र सरकार की मंशा रही होगी इसके पीछे उसमें मैं कुछ थोड़ा सा ध्यान आपको दिलाना चाहूंगा कि जब जनता देख रही थी कि हम इतना अच्छा काम रहे हैं और

corruption दूर हो रहा है और कुछ समय बाद शायद हम फिर दुबारा जनता का विश्वास लेकर जाए और हम आज जनता के विश्वास से ही इस सदन में बैठे हुए हैं। इस तरीके के कानून पास करने का कोई औचित्य, मुझे, ऐसा लगता है कि किसी individual को, किसी ओर्गनाइजेशन को पर्सनल फायदा पहुंचाने के लिए हुआ होगा और हमारे उपमुख्यमंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम है अगर इस तरीके के कानून आगे बनते रहे या ये कानून चलता रहा तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं वो जनता जो हमसे इतनी उपेक्षा रखती है, अपेक्षा रखती है। उसका हम कैसे समर्थन करेंगे तो मैं आपसे यह गुजारिश करता हूं कि इस कानून को किसी भी कीमत पर हटाया जाए और पुराने 20 साल से दिल्ली के अधीन जो कानून चल रहे थे उनको पुनः स्थापित किया जाए। जिससे कि हम जनता को वही 49 दिन-5 साल में ऐसे दें कि हम भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूद कर दें और इस सदन से मेरी यह गुजारिश है कि सभी इसका समर्थन करें और इस कानून को वापस लिया जाए और हमारी दिल्ली की कानून व्यवस्था को as it is पहले जैसा सुव्यवस्थित किया जाए, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रवीण कुमार जी।

श्री प्रवीण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका तहेदिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने यहां पर मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय जिस तरीके से प्रचंड बहुमत से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को यहां पर सदन में भेजा है और 67 सीटों के साथ भेजा है। उनकी बहुत उम्मीदें और बहुत आशाएं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय 49 दिन की सरकार के दौरान जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिससे दिल्ली की जनता अत्यंत खुश रही और माननीय अध्यक्ष महोदय

जिस तरीके से 49 दिन की सरकार के दौरान A.C.B. (Anti-corruption Bureau) का performance रहा। जिस तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर एफ.आई.आर. की और एक बहुत बड़े industrialist पर एफ.आई.आर. की। मुझे लगता है कि केन्द्र सरकार ए.सी.बी. के performance से काफी डरी हुई है। इससे मुझे लगता है कि यही reason रहा होगा कि इतनी जल्दबाजी में, जुलाई के महीने में जब कोई सरकार नहीं थी। उस महीने में उन्होंने जल्दबाजी में इस तरीके का एक प्रस्ताव पारित किया इसीलिए माननीय अध्यक्ष महोदय मैं सारे सदन से गुजारिश करूंगा कि इस तरह के कोसी भी प्रस्ताव को यहां पर सदन में ना माना जाए और मैं शुक्रगुजार हूं माननीय उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया जी का, कि इस तरीके का प्रस्ताव उन्होंने रखा और मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदय : जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधान : माननीय अध्यक्ष जी जहां तक भ्रष्टाचार की बात हुई तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बी.जे.पी. की ओर से पिछली सभा में भी हमने कहा था और आज फिर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार दिल्ली में खत्म हो उसके लिए हर तरह से हम 24 घंटे आपके साथ हैं। जहां तक सदन में जो शोर-शराबा होता है उसमें मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं इसमें समय बर्बाद ना करके कोई भी सदस्य बोल रहा हो उसकी बात सुन ली जाए, उसके बाद उसका जवाब दिया जाए। किसी पर छींटाकशी करना मैं समझता हूं, अच्छी नहीं है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो यहां राशनिंग मंत्री हमारे यहां बैठे हुए हैं, उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये जो दिल्ली के अंदर गरीब परिवार को दो रुपए किलो आटा या गेहूं मिलता है। हर दुकानदार तीन रुपए के पैसे वसूल रहा है। यह आप किसी भी कालोनी में चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, किसी विधानसभा में चले जाएं, दो रुपए का गेहूं आज

भी तीन रुपए किलो उन गरीब परिवारों को मिल रहा है। दूसरा बिजली की भी बात हुई यहां पर कि बिजली का तार किसी का जरा सा छील गया या फट गया तो उस पर एक लाख का बिल भेज देते हैं फिर उस पर रिश्वत लेकर आज भी उसको कम किया जाता है। उन बिजली के जितने भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो। हम उसमें आपके साथ हैं। राशन दफ्तर की मैं बात बता रहा हूं आपको ये जो राशन कार्ड लोगों के एक साल से बने हुए हैं उनके घर में आज तक राशन कार्ड नहीं पहुंच पाए हैं और राशन कार्ड मांगने जाते हैं तो दुकान वाला उनसे सौ-दौ सौ रुपए की मांग करता है। दफ्तर जाते हैं तो वहां पैसे की मांग की जाती है। उनको बगैर पैसे राशन कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरा जो राशन कार्डधारी है हमारे बिजली के किसी भी यूनिट में आ गया कि एम.डी.आई. 2.1 उसका लोड तीन किलो वाट कर दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : जगदीश जी, चर्चा विधेयक पर कर लीजिए। मैंने आपको समय दे दिया, दो बातें राशन पर आपकी आ गईं, बिजली पर आ गईं। अब विधेयक पर आपको कुछ कहना है।

श्री जगदीश प्रधान : दिल्ली, पूर्ण भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली हो, हम 24 घंटे उसके लिए आपके साथ हैं, हर तरह से आपके साथ हैं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री कपिल मिश्रा जी।

श्री कपिल मिश्रा : सबसे पहले तो अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अनुमति देने के लिए और ये प्रस्ताव जो उपमुख्यमंत्री महोदय ने रखा है, मैं इसका समर्थन करता हूं। एक चीज जरूर कहना चाहता हूं जिस प्रकार का विरोध जब सोमनाथ भाई बोल रहे थे, भाई सफेद पोश

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी देखिए वो चीजें छोड़ दीजिए,

श्री कपिल मिश्रा : ठीक है, दो लाइन में सब समझ में आ जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं अपना विषय रखिए.....

श्री कपिल मिश्रा : नहीं विषय ही रख रहा हूं.....

''जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे,
कमीशन दो तो हिन्दुस्तान को नीलाम कर देंगे।

कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे''। ये बीस साल से चली आ रही थी ए.सी.बी.। 20 साल पुरानी ताकत है जिसको भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना था और 49 दिनों में इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है ये देश ने और दुनिया ने देखा। दिल्ली की जनता ने देखा कि हां एंटी-करप्शन नाम की कोई संस्था भी दिल्ली में होती है। उससे पहले 20 साल से दिल्ली में पता ही नहीं था कि ये संस्था करती क्या है। जब इसने काम करना शुरू किया तो परेशानी किसको हुई। इस देश में भाजपा की भी सरकार रही है, 2001 से लेकर 2004 तक आपकी सरकार रही है और इससे पहले 13 दिन फिर 13 महीने और उसके बाद देश में सरकार चली तब भी आपके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने ये नहीं सोचा कि इस संस्था के पर काट दिए जाएं। आज ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि आप इसका विरोध भी करते हैं और मजाक भी उड़ाते हैं हरियाणा, आगरा। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आग हरियाणा, आगरा नहीं ये गुजरात तक जाएगी। अब देश धीरे-धीरे लड़ रहा है भ्रष्टाचार से। लेकिन आज ये विधानसभा, दिल्ली विधानसभा है। दिल्ली के बारे में चर्चा करते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ, एम.सी.डी. के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्या

डी.डी.ए. के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्या दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार नहीं है, क्या, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या। आप विरोध किस चीज का कर रहे हैं। आप आखिर असहमति किस चीज पर जता रहे हैं आप आखिर पर किस चीज के काट रहे हैं। ए.सी.बी. को कमजोर करके किसको लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए। बहुत गंभीर विषय है। दिल्ली में और देश में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है और लोग जाग रहे हैं, निकल रहे हैं सड़कों पर और लड़ रहे हैं। आज उसको दबाने की कोशिश की जाएगी तो कल ये ज्वालामुखी भी बन सकता है। दिल्ली की विधानसभा में यह जो प्रस्ताव आया है मैं इसका समर्थन करता हूं, निवेदन करता हूं जो लोग विरोध कर रहे हैं वह आंखें खोलें और केन्द्र सरकार के पास भी जायें और इस बात को रखें कि ऐसे असंवैधानिक प्रस्तावों को ना पास किया जाये। मनीष जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, इस प्रस्ताव को रखने के लिये और मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसौदिया जी से प्रार्थना करता हूं कि चर्चा का उत्तर देंगे।

वित्त मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसमें क्योंकि अधिकतर सदस्यों ने तो प्रस्ताव के समर्थन में ही कहा है मैं बस सदन का ध्यान दो बिंदुओं की तरफ दिलाना चाहता हूं क्योंकि हमारे एक माननीय सदस्य ने दो शब्द ऐसे इस्तेमाल किये जिनको लेकर शायद विधानसभा की कार्यवाई की रिकार्डिंग भी होती है ये सिर्फ आज की आज की चर्चा के लिये नहीं भविष्य के दस्तावेज के रूप में भी लिखा जाता है, रखा जाता है। तो सदन का एक सदस्य कुछ cunfusion में, कुछ भ्रम में कुछ गलती में कुछ कह दे तो आगे के लिये रिकार्ड में ये नहीं जाना चाहिये कि सदन में क्या इस चीज के बारे में लोगों को पता नहीं था और सदन में बाकी लोग कैसे चुप रहे इस पर। ये एन.सी.आर. और एन.

सी.टी. दो शब्द हैं National Capital Territory और National Capital Region दो अलग-अलग शब्द हैं, इनकी अलग-अलग व्याख्या है। मैं उम्मीद करूंगा कि कभी हम लोग बैठेंगे, यहां सदन के अलावा चर्चा में training में बैठेंगे। इनकी अच्छे से व्याख्या करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे पर ये रिकार्ड में ले लिया जाये कि एन.सी.टी. और एन.सी.आर. दो अलग-अलग शब्द हैं....**(व्यवधान)**

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : दिल्ली के अलावा हरियाणा पर भी लागू होगा।

वित्त मंत्री : वो तो मैंने कल भी कहा था कि अध्यक्ष महोदय कि जब तक इनको टोकने-टाकने की आदत नहीं है उनको मीडिया मजबूरी है उनको पता है टोकेंगे नहीं तो मीडिया नोटिस में कैसे लेगी वरना जैसे जगदीश प्रधान जी ने कहा कि अगर ये तीन साथी हैं तीन साथी और 67 साथी नहीं हैं पूरी सरकार की मशीनरी है अगर corruption के खिलाफ सरकार के किसी भी काम में सहयोग देने की अपेक्षा रखती है, इच्छा रखती है तो हम तहेदिल से ना सिर्फ स्वागत करेंगे बल्कि दिन-रात 24 घंटे मिलकर उनके साथ काम करके corruption को खत्म करना चाहेंगे। लेकिन यह शब्दों में उलझा के, लाइनों में उलझा के, proviso में उलझा के जो मूल मुद्दा है भ्रष्टाचार दिल्ली के लोग दुखी हो रहे है साहब रिश्वत देनी पड़ रही है जब उस पर चर्चा करने की बारी आती है तो कहते हैं कि साहब फलानी लाइन के, फलानी कामा के, फलाने, डिकना ये सब। अरे सर जी उसका सोचो वो बेइमानी अगर आज उसकी रिश्वत बंद हो गई तो कितना लाभ होगा उसका आप ये किताब बाद में पढ़ लेना। किताबों में जो कुछ लिखा है दिल्ली के लिये लिखा है उसका interpretation बाद में कर लेना। कुछ उल्टा-सुलटा हो रहा हो तो अलग बात है अभी तो मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि एन.सी.आर. और एन.सी.टी. दो शब्द हैं उनकी ओर भी ध्यान दिया जाये और दूसरा देश में जहां-जहां Anti Corruption Branches हैं। मैं सिर्फ संज्ञान में लाना चाहता हूं वहां-वहां उन-उन राज्यों में

Anti Corruption Branches के पास में वहां के territories में उस territory पर दायरा है territory Anti Corruption Branch के दायरे में आती है। वहां पर जो भी हो, लाल कुर्ते वाला हो, पीले कुर्ते वाला हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। केन्द्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो उससे फर्क नहीं पड़ता है जो भी उस territory में Government का function कर रहा है public money से काम कर रहा है। वह उसके दायरे में आता है। दिल्ली में ऐसी क्या अद्भुत व्यवस्था हो गई कि 22 साल की ऐसी चलती हुई व्यवस्था को रोकने का प्रस्ताव किया गया। मैं सिर्फ सदन के संज्ञान में और आगे पढ़ने वाले लोगों के लिये रिकाड्र्स में बात लाना चाहता हूं कहीं ऐसा न हो कि ये आगे दस साल बाद जब रिकार्ड पढ़े जायें तो लोगों को लगे कि अरे सदन में चर्चा हुई एन.सी.आर. एन.सी.टी. बाकी राज्यों का उदाहरण दे दिया गया और किसी ने कोई बात स्पष्ट नहीं की। मैं सिर्फ स्पष्टीकरण के लिये कहना चाहता हूं। अब सदन के सामने प्रस्ताव है। वोटिंग करा सकते हैं सर।...**व्यवधान**...

(बी.जे.पी. के तीनों सदस्यों का सदन में बहिर्गमन)

अध्यक्ष महोदय : माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प जो सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं वह हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं वह ना कहें
सदस्यों के हां कहने पर हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।
संकल्प पास हुआ।

...(व्यवधान)...

विधेयक पर विचार एवं पारण

अध्यक्ष महोदय : श्री मनीष सिसौदिया जी माननीय वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 24 मार्च, 2015 को सदन में पुरःस्थापित दिल्ली मूल्य कर

सम्बन्धित (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-03) पर विचार किया जाए।

वित्त मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 24 मार्च, 2015 को सदन में introduce किये गये The Delhi Value Added Tax first Amendment Bill 2015 पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं; वे हां कहें,
जो इसके पक्ष विरोध में हैं, वे ना कहें,
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,
प्रस्ताव पास हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर चर्चा होगी। श्री मान बग्गा जी।

श्री एस.के. बग्गा : मैं वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं बजट में बिजली पानी का प्रावधान किया है इससे 90 परसेंट उपभोक्तओं को फायदा बिजली में होगा। 50 परसेंट पानी के उपभोक्ताओं को फायदा हो रहा है। इसके लिये वित्त मंत्री जी और पूरी दिल्ली सरकार बधाई की पात्र है। जिस प्रकार दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है, विश्वास किया है, आज वह विश्वास यकीन में बदल गया है कि हमारी सरकार ने वो काम कर दिखाये हैं जो वायदे किये थे वह पूरे किये हैं, दूसरे दिल्ली के व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण amendment section-11 की घोषणा की है carry forward tax जो है व्यापारी अंतिम तिमाही में tax को carry forward भी कर सकता है और refund भी क्लेम कर सकता है। आपने यह जो कदम उठाया है इससे पूरी दिल्ली के व्यापारियों में खुशी की लहर है तथा आपका धन्यवाद करते हैं। मैं भी पेशे से एक tax का वकील हूं। मुझे पता है व्यापारी भाई, वकील भाई कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। पहले की भांति 31/03/14

की quarterly return में व्यापारी केवल refund claim करता था अब refund कब मिलेगा या नहीं मिलेगा या अगले quarter की return में भी टैक्स जमा का भुगतान करेगा। refund के लिये व्यापारी apply करता है इसके लिये refund का दिये जाने के लिये बोगस डीलर का सहारा लेकर उनका refund कैंसिल किया जाता है और व्यापारियों पर कई बंदिशें लगाई जाती हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वैट एक्ट में बोगस की क्या definition है और कौन से सैक्शन में उसको चर्चित किया गया है। डीलर बेचारा चक्कर काटता रहता है। department उसकी default assessment करके उसके खिलाफ डिमांड निकाल देता है, refund को खत्म करके उसके विरुद्ध डिमांड निकालने के लिये 100 परसेंट penalty का भी provision है। विषय बहुत गंभीर है। व्यापारियों पर विश्वास नहीं किया जाता। वैट का concept था व्यापारियों पर विश्वास करना, भरोसा जताना, भरोसे नाम की भी चीज नजर नहीं आ रही। व्यापारी परेशान है। और harassment किया जा रहा है, व्यापारियों को रिफंड दिलाया जाये। इससे पहले जो कमीश्नर थे, प्रशांत गोयल जी, उन्होंने इतने नोटिफिकेशन निकाले हैं, उस नोटिफिकेशन के जरिये से पूरे एक्ट का जो है, मीनिंग ही बदल दिया है जिससे लोग परेशान थे। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि व्यापारियों को रिफंड दिलाया जाये तथा जो भी नोटिफिकेशन पहले कमीश्नर ने निकाले हैं, उसको एग्जामिन किया जाये, उनको कैंसिल किया जाये और व्यापारियों को इतना तंग किया गया है और दूसरा, मेरी आपसे गुजारिश है कि जो पेनल्टी लगाई गई हैं Under Section 86 (9) में रिटर्न लेट फाइल करने की, वो आज की डेट में one thousand par day और maximum fifty thousand उसको कम करके जो पहले प्रोविजन था hundred rupees का उसी को ही बहाल किया जाये। दूसरी पैनल्टी थी 86(10), 86(12) और 86(15) की इससे भी लोग परेशान हैं, इन पैनल्टियों को भी rationalize किया जाये और व्यापारियों को अपने विश्वास में लिया जाये, जिससे कि टैक्स का भुगतान वो टाइम से करें।

दूसरा, Limitation Act जो है वो चार साल का था, एक नोटिफिकेशन के थ्रू एक साल किया गया है। आपसे गुजारिश है कि यह चार साल का ही रखें, जिससे व्यापारी अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकता है और जितने भी objesctions pending पड़े हैं, वो objection करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपसे प्रार्थना है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाये। और रिफंड को तेजी से दिया जाये, जो पुराने रिफंड पड़े हैं, वो भी रिफंड दिलाये जायें। मुझे आशा है कि आपके माध्यम से यह काम आसानी से होगा। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अब वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

वित्त मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि The Delhi Value Added Tax (First Amendment) Bill, 2015 को पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : अब यह Value Added Tax Amendment Bill, 2015 मैं सदन के सामने पारित करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

बजट (लेखानुदान) 2015-16 पर चर्चा श्री मनीष सिसोदिया जी, वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2015 को सदन में प्रस्तुत बजट लेखानुदान 2015-16 पर चर्चा के लिए मैं सोमनाथ भारती जी को प्रार्थना करता हूँ वो आयें। श्रीमान सोमनाथ भारती जी।...**(व्यवधान)**...

बजट (लेखानुदान) 2015-2016 पर चर्चा

अध्यक्ष महोदय : बजट पर चर्चा हो रही है, बैठिये। देखिये, बजट पर चर्चा हो रही है। यह बहुत गम्भीर विषय है, मीडिया सामने बैठी है ओम प्रकाश जी प्लीज। श्रीमान सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मैंने पूरा का पूरा डाक्युमेंट जो होनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर का स्पीच है और जो सारा ब्यौरा रखा गया सदन के समक्ष, उसका अध्ययन किया। मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह के भाव प्रकट किए गए सदन के सामने, मुझे लगता है कि पहली बार अपने देश के इतिहास में ऐसे भाषण और ये भाव रखे गए होंगे। इसमें डायरेक्टली, जो direct participation of the people of Delhi जो माननीय उप मुख्यमंत्री साहब ने बात कही, इससे एक बात तो साफ-साफ जाहिर होती है कि जिस तरह के रिफार्म्स और जिस तरह के कार्य, इस सरकार ने करने का फैसला किया है वो बिल्कुल ही इस डॉक्युमेंट में visible है। मैं धन्यवाद करता हूं, जो इसमें बताया गया है कि इस बार बजट बनाने में, जो फाइनल बजट है, यह तीन महीने का बजट है, जो फाइनल बजट बनाने में समय इसलिए लिया जा रहा है कि दिल्ली की जनता को डायरेक्टली पार्टिसिपेशन के दौरान उनके विचार लिए जायें और bottom - up approach अपनाया जाये, यह देश के इतिहास में मेरी नजर में पहली बार हो रहा है। इस बार जो आम आदमी पार्टी ने एक तो बहुत बड़ा मुद्दा जो भ्रष्टाचार का था, जो 49 दिनों की सरकार ने कर दिखाया कि किस तरह से भय का माहौल था पूरी दिल्ली में, किस तरह से गरीबों को, लाचारों को जो फायदा मिला था, उसे जो हमने पीछे अभी पारित हुआ, कुछ तो हो रहा है और यह बजट जिस पर चर्चा अभी की जा रही है, उसमें

और दिखता है। दिल्ली के लोगों को बहुत आशा है और उस आशा की पूर्ति के लिए ही सरकार ने दिल्ली डायलाग कमीशन की स्थापना करी है। इसके जरिये एक्सट्र्स और जितने भी subject experts हैं और जिन-जिन की मंशा है कि सरकार में active participation के द्वारा दिल्ली में जो समस्याएँ हैं, उस पर अच्छे काम हों। यह बहुत बड़ा सराहनीय कदम है दिल्ली डायलाग कमीशन की स्थापना। मुझे याद है कि जब हम आम जनता की तरह जाया करते थे मंत्रियों से मिलने, विधायकों से मिलने और कुछ सलाह देते थे कि इस सब्जेक्ट पर इस तरह का अगर काम करें तो अच्छा होगा और किस तरह से दुतकार के उन सारी सलाहों को, उन सारे सजेशन्स को दरकिनार कर दिया जाता था। इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली डायलाग कमीशन के जरिये direct and unhindered involvement subject experts की, उन सारी समस्याओं के ऊपर जो कि दिल्ली फेस कर रही है, चाहे वो पानी का मसला हो या सीवर की समस्या का मसला हो, जो सत्तर प्वाइंट एजेंडा है, मैं सरकार को मुबारकवाद देता हूँ कि आपने यह अभूतपूर्व कदम उठाया है जिससे दिल्ली में हर सारे एक्सपट्र्स, हर सारे ईमानदार एक्सपट्र्स आज आगे आ-आकर के दिल्ली डायलाग कमीशन में भाग लेकर दिल्ली की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो Fourteenth Central Finance Commission है, यह बड़ा एक संजीदा मामला है, कल भी इसे ऊपर थोड़ी चर्चा हुई थी कि 2001-02 से केन्द्रीय कर, जो दिल्ली से इकट्ठा हो रहा है, उसमें से सिर्फ 325 करोड़ रुपया ही तब से आज हो गए 14 साल एकमुश्त राशि ही मिल रही है, जबकि बड़े खुले शब्दों में कल बताया गया था, हम सब को, माननीय वित्त मंत्री साहब ने हमें बताया था कि किस तरह से Fourteenth Central Finance Commission ने जो devolution of Central Taxes to states वो रिकमंड करिये कि 32 परसेंट से वो 42 परसेंट की जाये। लेकिन दिल्ली Union Territory

है इस वजह से इस recommendation का फायदा दिल्ली को अब तक नहीं मिला है यद्यपि दिल्ली में और राज्यों की तरह एक consolidated fund है और सारी की सारी ये बड़ी जानकारी दिल्ली में कई लोगों को नहीं है जितने भी दिल्ली सरकार के खर्चे हैं जो व्यय हैं ये हम meet out अपने से ही करते हैं हमारे अपने resource हैं बहुत लोगों को चुनाव के पहले ये बहुत लोगों ने बताया की भाई अगर आप दिल्ली में भाजपा सरकार नहीं लाओगे तो सेंट्रल सरकार आपको खर्चे नहीं देगी, लेकिन ये बात दिल्ली के लोगों को पहली बार मालूम पड़ी है दिल्ली के खर्चे दिल्ली सरकार अपने ही स्रोतों से पूरा करती है और उसके बावजूद भी और राज्यों की तरह जैसे की 2014-15 हरियाणा सरकार को केन्द्रीय सरकार के कर के हिस्से से 3548 करोड़ मिल रहा था उसको बढ़ाकर के 2015-16 में करने का विचार है 5685 करोड़ और अब पंजाब में जहां चुनाव कुछ दिन बाद होने वाला है वहां तो इसको डबल कर दिया है। तो ये जो सौतेला व्यवहार है दिल्ली के साथ क्यों इस बात को उठाकर के माननीय वित्त मंत्री ने हम सबको अवगत कराके, माननीय वित्त मंत्री ने एक बहुत ही सराहनीय काम किया है और आपके जरिए इस मुद्दे का निपटारा किया जाना चाहिए कि क्यों जबकि दिल्ली से सातों एम.पी. भाजपा के हैं और इन सातों एम.पी. ने और जो हमारे तीन सदस्य यहाँ पर भाजपा से हैं इन सबसे गुजारिश करता हूं कि इस मामले को अगर proportionally ना कर पायें तो कम से कम 325 करोड़ से बढ़ाकर के इसको डबल तो कर ही दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, जो एक बात कल खुलकर जो सामने आई कि पिछले एक साल में जो Budgeted revenue collection था उसमें 4500 करोड़ का कम collection हुआ और उस समय कौन था सरकार में। प्रेजिडैंट रूल लगा था और एल.जी. साहब के जरिए केन्द्र सरकार यहाँ पर शासन कर रही थी। ये बड़े खेद की व चिंता का विषय है कि 4500 करोड़ का कम कलैक्शन पिछले budgeted revenue

collection के अनुसार हुआ। मैंने जो detailed report है उसको भी अध्ययन किया और मैं आपके जरिए सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं। 109 departments है, इन 109 departments में से मुझे लगता है अगर इन departments की पूरे transparency के साथ audit की जाये utility/ relevance audit कह सकते हैं इसमें से बहुत कुछ निकलेगा और जो wasteful expenditure है उसकी कटौती हो पायेगी चूंकि हमारी सरकार इसी मुद्दे पर आई है कि कहाँ-कहाँ wasteful expenditure हो रहा है। कहाँ-कहाँ कटौती हो सकती है मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, कि सरकार इस पर विचार करे कि 109 डिपार्टमेंट्स में से कौन-कौन से डिपार्टमैंटस ने अपना purpose खत्म कर दिया है, कहाँ-कहाँ क्या-क्या कटौती हो सकती है उसपर विचार किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये चूंकि हम बरसों से ये सुनते आ रहे हैं कि डी.टी.सी. loss में है, डी.टी.सी. loss में है, फिर 1083 करोड़ रुपया बताया गया कि वो loss में है मैं आपके जरिए माननीय मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करूंगा कि अगर private enterprises prolit में हो सकते हैं तो डी.टी.सी. क्यों नहीं profit में हो सकती। इसपे जांच की जानी चाहिए और मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ निकलेगा। जैसे कि और पार्टियों के साथियों ने जो हमारी पिछली सरकार ने CAG audit Order किया था बिजली कम्पनियों का उसमें बाधा पहुंचाने का प्रयास किया। हमारे बात तो सी.ए.जी. ऑडिट बहुत स्लो हो गया था, करीब-करीब खत्म हो गया था मैं गुजारिश करूंगा कि सी. ए.जी. ऑडिट को पुरजोर तरीके से revive किया जाये और रिवाईव करके जो हमारे साथी सदन में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे कि दिल्ली की जनता त्रस्त है, बिजली कम्पनियों से और उनके मनमाने rates के कारण तो सी.ए.जी. ऑडिट की तरह ही डी.टी.सी. का भी ऑडिट किया जाये और पता किया जाये की इसमें कारण क्या है, क्या ये profitable नहीं हो सकता। मैं फिर आपके जरिए इस बजट में लाये गये provisions को और जो इसके अंदर व्यक्त की गई

भाव है कि दिल्ली की जनता पहली बार बजट बनाने में direct participate करेगी इसके लिये मैं सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : सुश्री अलका लाम्बा।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, मैं तहेदिल से धन्यवाद करती हूं कि जब-जब जनहित से जुड़ी समस्याओं को आपने सामने लाकर रखा आपने उनकी गम्भीरताओं को देखते हुए आपने मुझे इस सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं और मैं सबसे पहले कल बी.जे.पी. के हमारे साथी बोल रहे थे कि क्या जल्दी है इतनी कि इस बजट को लाया जा रहा है पूरा बजट लाया जाना चाहिए था लेकिन जब हमारे वित्त मंत्री साहब ने उनके पीछे की मंशा का कारण बताया उनकी मंशा क्या है, उनकी मंशा ये है कि आम आदमी का बजट, आम आदमी द्वारा, आम आदमी के लिए तैयार किया जाये तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल सराहनीय कदम है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब बनी तो आम आदमी में ये विश्वास हो की उसकी सरकार आयेगी, ये बजट उसका है तो मैं उसके लिये मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं और कहा जाता है कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। एंटीकरैप्शन ब्यूरो के ऊपर जब चर्चा हो रही थी, उसके कामों के ऊपर, विपक्ष के तो नहीं मैं कहूंगी, बी.जे.पी. के साथियों ने कहा कि जब-जब कड़े कानूनों की आवश्यकता होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हम साथ खड़े होंगे लेकिन बात ये है कि वो साथ खड़े नहीं हुए बल्कि सदन से बाहर हो गये। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं नगर निगम की हम बात उठाएं तो नगर निगम के तीनों मेयर दिल्ली सरकार के खिलाफ बाहर धरने पर बैठे हुए हैं उन्होंने जाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनसे पैसे की मांग की। मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि मेल टूडे की रिपोर्ट है उसके

अनुसार पता चलता है कि तीन निगमों ने अभी तक 40 प्रतिशत जो धन है जो उनको पूरा धन मिलता है उसमें से 40 प्रतिशत धन का अभी तक कोई खर्च उन्होंने नहीं किया है, जिसे अभी तक लोगों के विकास पर खर्च किया जाना चाहिए था और उसका उनसे कोई ब्यौरा भी मांगेंगे तो वो उनके पास नहीं है। कुछ आर.टी.आई. एक्टीविस्ट ने जब सूचनाएं लेनी चाहीं नगर निगम से तो ये पाया कि पूरे दिल्ली के जितने भी सरकारी विभाग हैं उसमें नगर निगम से ये पाया कि जितने भी सरकारी विभाग हैं नगर निगम मोस्ट कराप्टिड डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर है, जानकारी के तौर पर चाहेंगे तो दिल्ली नगर निगम में 22853 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें मैं कागजी कर्मचारी कहूंगी जो सिर्फ कागजों पर दिखेंगे, कागजों पर सिर्फ तनख्वाह लेते हुए दिखेंगे, लेकिन हकीकत में जमीन पर बिल्कुल नहीं दिखेंगे ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये 22853 एम.सी.डी. के कर्मचारी खासतौर से सफाई कर्मचारी कहूंगी क्योंकि ये केन्द्र में बैठी बी.जे.पी. सरकार मोदी सरकार का सपना है कि स्वच्छ अभियान के तहत 10 हजार तस्वीरें आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने तीनों नगर निगम के मेयरों को भेजी ताकि हकीकत जो है स्वच्छ भारत अभियान की उनके सामने ला सके और उस पर ईमानदारी से काम हो सके ना कि सिर्फ एक दिखावे भर से। साउथ दिल्ली नगर निगम की अगर हम बात करें 45.5 करोड़ रुपये लगभग इतना पैसा सिर्फ साउथ दिल्ली नगर निगम को दिया गया और उसमें लड़ाई लड़ने के लिए हम 5574 डेंगू के, 200 मलेरिया के जो है वो दर्ज हुए केस सिर्फ खर्च कितना हुआ 18.8 करोड़ बाकि पैसे का उपयोग हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ये जानकारी देना जरूरी है। 2012 में डिटेल्स स्टोरी है 2013 में 455 करोड़ रुपया जो इनको दिया गया हालात बद से बदतर हैं उपलब्ध धन का उपयोग नहीं किया जा रहा और धन की मांग की जा रही है। अगर इसी की मांग के ऊपर आऊं तो 600 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार जो है स्थानीय निकायों के लिए देती है लेकिन दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो पिछले एक साल से दिल्ली

में गवर्नर रूल लागू है, वो 600 करोड़ रुपये आया केन्द्र से नगर निगम में निकायों के कामों के लिए या नहीं आया मैं बिजेन्द्र गुप्ता जी बैठे हैं मैं जरूर कहूंगी केन्द्र सरकार से पूछियेगा हमें भी सदन को सूचित करियेगा की 600 करोड़ रुपया जो दिल्ली निकायों को दिल्ली सरकार से आना था वो आया या नहीं आया नहीं आया तो क्यों नहीं आया। इस साल का भी जो 600 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार ने नगर निगम स्थानीय निकायों के विकास कार्यों के लिए देना है मैं उम्मीद करूंगी कि हमारे केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेतली साहब आपको समय जरूर देंगे। अभी तो यह भी खबर आ रही है कि केन्द्रीय मंत्रियों जो हैं बी.जे.पी. कार्यकर्ताओं को समय नहीं दे रहे हैं कि उनको कल से आदेश हुआ है कि आप अपने बी.जे.पी. कार्यालयों में बैठिए और बी.जे.पी. के कार्यकर्ताओं को मिलिए पर मैं उम्मीद करती हूं कि कम से कम वित्त मंत्री आपको समय जरूर देंगे और दिल्ली का 600 करोड़ जो उनका हक है निकायों के ऊपर उसको जो है वित्त मंत्री से लाकर नगर निगम की हमारी मदद करेंगे और एक बहुत मैं कहूंगी मन को छूने वाला है। ओल्ड ऐज पेंशन की अगर मैं मांग करूं अध्यक्ष जी मेरे पास एक वीडियो भी है दिल्ली सरकार की अलग पेंशन्स होती हैं नगर निगम की अलग पेंशन्स होती हैं। डेढ़ साल से वृद्धा पेंशन को बंद कर दिया गया है चुनाव में जब हम वोट मांग रहे थे बहुत से वृद्धाओं ने कहा कि हमारी पेंशन रोक दी गई और हमसे विश्वास चाहा कि हम सरकार में आयेंगे तो उनकी पेंशन जो है लगा दी जाएगी। आप यकीन मानिएगा अध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार का मुझे फार्म मिला वृद्धा पेंशन का और मैं जब उस बूढ़ी मां के पास लेकर गई तो पता चला कि डेढ़ साल के इंतजार जो नगर निमम की पेंशन उनको आनी थी उस इंतजार के बाद वो मां उस पेंशन को मुझसे लेने के लिए रही ही नहीं और आपके पास ऐसा भी वीडियो मैं दिखा सकती हूं जिसमें इतना गुमराह नगर निगम कर रहा है पेंशनें नगर निगम की रुकी हैं और ये कहा जा रहा है कि आपने वोट तो अरविंद केजरीवाल को दिया था अब उसी से

पेंशन ले लीजिएगा। इसकी सच्चाई आना सामने बहुत जरूरी है एक राजनीतिक साजिश के तहत उन बुजुर्गों की पेंशनें रोकी जा रही हैं और या फिर हकीकत में पैसा नहीं है तो मुझे उम्मीद है कि केन्द्र सरकार से ये पैसा जो है हमारे बी.जे.पी. के तीनों साथी हमें मदद करेंगे और मिलेगी। चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों की अगर मैं बात करूं जैसे हमारे साथी भारती जी ने भी जिक्र किया है 2001–02 में 325 करोड़ रुपया जो है वो हमें दिल्ली को मिलता है लेकिन अभी जो चौदहवें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दी लेकिन दिल्ली का जो भागीदारी हिस्सा होना चाहिए था वो 2001 की बात करूं तो भगवान राम का चौदह सालों का बनवास पूरा हो गया लेकिन 2001 से 2015 तक दिल्ली वालों का बनवास अभी भी पूरा नहीं हुआ। उम्मीद करती हूं कि राम भगवान से हम सबका और खास तौर से बी.जे.पी. का बहुत लगाव रहा है ये बनवास दिल्ली का जो है वो बी. जे.पी. मदद करेंगे कि खत्म हो और ये 325 करोड़ जो हमें मिला है कम से कम उसे भी जो है 32 से 42 प्रतिशत जैसे किया गया दूसरे राज्यों के लिए दिल्ली के लिए भी किया जाये मैं ऐसी उम्मीद करती हूं। मैं सिर्फ पंजाब का एक उदाहरण देती हूं पंजाब में 2014–15 में अध्यक्ष जी 4703 करोड़ रुपये मिले पंजाब को बी.जे.पी. की केन्द्र सरकार ने दिया और अभी 2015–16 में बिल्कुल दुगुना करके 8273 करोड़ कर दिया गया तो जैसे अभी भारती जी ने कहा कि दिल्ली के साथ ही ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों हरियाणा और पंजाब पर इतना न्यौछावर क्यों है यह जानना होगा। पंजाब का जब बजट दुगुना किया गया तो हकीकत यह आई कि केन्द्रीय मंत्रियों ने वहां के उनके जो राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायकों ने अपनी तनख्वाहों को 100 प्रतिशत जो है बढ़ोतरी तुरंत कर दी, जैसे उनका बजट बढ़ा और हकीकत मानिएगा। जिन बुजुर्गों की पेंशन नगर निगम को देनी थी उन्हें रोक दी जो तनख्वाह हमें नहीं मिली मेरे सहित बहुत से विधेयक ऐसे हैं जो उन बूढ़ी मां और बूढ़े पिताओं को अपनी तनख्वाहों में से

पैंशनें दे रहे हैं नगर निगम की यह हकीकत है। मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगी डी.डी.ए. की लैंड का जिक्र करते हैं 40 हजार करोड़ रुपया डी.डी.ए. ने दिल्ली की जमीनों को बेचकर कमाया और जब हम खुद अपने दिल्ली के लोगों के लिए जमीन की मांग करते हैं कि हमे हास्पिटल्स चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, डिस्पेंसरियां चाहिए दिल्ली के लोगों के लिए तो मार्किट की कीमतों पर हमें वो जमीन डी.डी.ए. खरीदने को कहता है। तो यह बहुत बड़ी नाइंसाफी है कि दिल्ली की जमीन को दिल्लीवासियों की जरूरतों के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए हमें ऊंचे दाम पर, मार्किट के दाम पर खरीदने को कहा जा रहा है। मैं वित्त मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसे दोहराऊंगी और उसका समर्थन करती हूं कि राज्य की वित्तीय संस्थाओं को एक बड़ा हिस्सा भूमि खरीदने पर खर्च हो जाता है। जनता के टैक्स के जिस पैसे का उपयोग हम बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कर सकते हैं वह हमें भूमि खरीदने पर करना पड़ता है। यह अत्यंत आवश्यक है कि बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए दिल्ली सरकार को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाये और शहर के विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास संचित संसाधनों को साझा किया जाये दिल्ली से। मैं आपसे इसकी मांग करती हूँ और उम्मीद करती हूं अभी एक जिक्र जरूर करूंगी बी.जे.पी. के हमारे फिर कहूंगी गुप्ता जी ने कहा अराजकता मैं उनका धन्यवाद करती हूं कि सबको बार–बार इस्तेमाल करने का अराजक ही नहीं नक्सल कहा गया जंगल जाने को कहा गया। धन्यवाद कि हम 28 से जो है 67 हो गये उसको लिए धन्यवाद। घूम के ढाक के वही तीन पात। ये बात अगर इस सदन में कहेंगे तो अगले चुनाव में 70 के 70 आयेंगे। इसलिए धन्यवाद। दोहराते रहिएगा बार–बार। अराजकता की बात करेंगे तो आपके 3 मेयर आज जो हैं।.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अलका जी, आप कन्कलूड कीजिए।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, मैं खत्म कर रही हूं। इनके तीन तीन नगर निगम के जो मेयर हैं वो बाहर बैठे हैं वो धरने पर बैठे हैं मैं उन्हें अराजक नहीं कहूंगी। मैं उन्हें नक्सल भी नहीं कहूंगी जंगल जाने को भी नहीं कहूंगी। मैं गुप्ता जी से हाथ जोड़कर कहूंगी कि तीनों को साथ लीजिए, सात दिल्ली के सांसदों को साथ लीजिए, 10 लोग वो और 67 लोग हम वित्त मंत्री के पास चलते हैं और जो 600 करोड़ का दिल्ली नगर निगम का बकाया बाकी है वो भी मांगेंगे और 325 करोड़ जो 14 सालों से जो पैसा एक रुपया नहीं बढ़ा वो बनवास खत्म करेंगे और दिल्ली वालों का हक उन्हें दिलवायेंगे। यह उम्मीद करती हूं सदन का तहेदिल से शुक्रिया और धन्यवाद करती हूं। जय हिंद।

अध्यक्ष महोदय : सुश्री भावना गौड़।

सुश्री भावना गौड़ : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं इस बजट को बनाने में जिन जिन साथियों का योगदान रहा उनको और आदरणीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी द्वारा पेश किये गये लेखा अनुदान प्रस्ताव से यह साफ हो गया है कि विकास योजनाओं की राशि पानी और बिजली पर जो खर्च किया जाएगा ये बहुत ही अपने आप में एक उचित निर्णय है। देश की जनता दिल्ली की जनता विशेष तौर पर इस बात के लिए बड़ी राहत महसूस कर रही है। सरकार ने बिजली और पानी के लिए सालाना 1690 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण बात यह है कि चालू वित्त वर्ष में 4500 करोड़ के भारी घाटे के बावजूद सरकार सबसिडी के बोझ को उठा रही है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। इतना कर्जा होने के बावजूद भी हमारी सरकार ने ये हिम्मत रखी है कि पानी और बिजली के ऊपर बहुत ही भारी अमाउंट जनता के लिए रख छोड़ा है। पहले जितने भी बजट आये उनकी परिपाटी रही थी कि पहले बजट का अनुमान लगाया जाये फिर संसाधन के उपाय किए जायें लेकिन

अध्यक्ष महोदय, यह पहला बजट है जिसमें इस क्रम का उल्टा किया गया है। इससे पहले उपलब्ध साधनों की रूपरेखा को तैयार किया गया है और फिर अनुमानित साधनों के भीतर व्यय की कमी की योजना को इस प्रारूप को बनाया गया है। देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति और ईमानदारी से काम करने वाली सरकार की पीठ कभी भी थपथपाई नहीं जाती हम लोग स्वयं ही अपनी पीठ थपथपाते हैं। आम आदमी पार्टी की 49 डेज की सरकार जब हम गद्दी छोड़ी तो एक हजार करोड़ रुपये का मुनाफा दिया था जबकि पिछले एक साल में सरकार को 4500 करोड़ रुपये का राजस्व का नुकसान भुगतना पड़ा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बजट का प्रभाव केवल आवंटन के ऊपर निर्भर नहीं करता बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि ये बजट हम कितनी कुशलता से उसका व्यय हम करने के लिए जा रहे हैं और व्यय को सार्थक और सफल बनाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं इस बात के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। अध्यक्ष महोदय, पिछली जितनी भी सरकारें रहीं मुझे ऐसा लगता है कि विधि और व्यवस्था इन दोनों को बनाये रखने में पिछली सारी सरकारें असफल रही हैं लम्बी चौड़ी सरकारें और मुट्ठी भर प्रशासन, अनगणित सरकारी कर्मचारी और मुटठी भर जनसेवा, ढ़ेर सारे विधि विधान और मुटठी भर न्याय दिया इन पार्टियों ने। आम आदमी पार्टी का जनम इस सड़ी गली व्यवस्था को दूर करने के लिए हुआ है जनता ने हमें बड़ी उम्मीदों से चुनकर के भेजा है। सरकार सालाना नहीं बल्कि जरूरत के अनुसार तीन-तीन माह के अंदर बजट के रूप में लेखा अनुदान मांगों पर विश्वास करती है इससे न तो जनता का पैसा बरबाद होगा और जनता का पैसा जनता के मनमुताबिक खर्च होगा तो स्वराज का जो फार्मूला है उसको चरितार्थ करने में हमें बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 14th Finance Commission की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का सकल घरेलू उत्पाद 3.8 प्रतिशत पूरे भारत की जनसंख्या का भाग जो दिल्ली के अंदर रहता है, वह 1.4 प्रतिशत सैन्टर गवर्नमेन्ट को जितना टैक्स इकट्ठा

होकर आता है, उसमें 16 प्रतिशत जो उसका भाग होता है, उसमें दिल्ली की जनता का योगदान सीधा सीधा होता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस तर्क और वित्त आयोग के मानकों के आधार पर दिल्ली को लगभग 4 हजार करोड़ रु. दिल्ली को मिलने चाहिए यह राशि बजट के अनुसार और आने वाले 4 सालों में यह एमाउंट बढ़ कर 21 हजार करोड़ रु. होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगी कि दिल्ली के अंदर जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता है, वह वेट के द्वारा इकट्ठा होता है, एक्साइज के द्वारा इकट्ठा होता है। स्टैम्प ड्यूटी के द्वारा इकट्ठा होता है और इसके अलावा बाकी कुछ ग्राण्ट भी हमें समय-समय पर केन्द्र सरकारों से सैन्टर गवर्नमेन्ट से मिलती रहती है। केन्द्र सरकार जितनी भी हमारी राज्य सरकारें हैं, उनको बजट देता है। लेकिन जैसा कि अभी हमारी अल्का बहन ने बताया हरियाणा को 2014–15 में 3558 करोड़ रु. मिले। 2015–16 में इस राशि को बढ़ाकर 5685 करोड़ रु. दिए गए और 2015–16 में इसे बढ़ाकर 8273 करोड़ रु. किया गया। यानी सीधा-सीधा दुगुना किया गया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक सवाल करना चाहूंगी। हमारे यहां सदन में सारे लोग उपस्थित हैं, हमारे सारे विधायक गण उपस्थित हैं कि विशेष तौर पर दिल्ली के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों होता है, ये अपने आपमें बहुत बड़ा क्वैश्चन मार्क है। 14वीं लोक सभा का गठन हो गया। बजट भी आ गया। आदरणीय अरुण जेटली जी ने भी अपना बजट प्रस्तुत कर दिया। दिल्ली के अंदर, दिल्ली के 7 एम.पी. आज उस सदन के चुने हुए सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने दिल्ली से संबंधित किसी भी समस्या को वहां पर उजागर नहीं किया। कभी भी उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए वहां पर लड़ाई नहीं लड़ी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन की तरफ से, हमारे भाई बिजेन्द्र जी यहां पर उपस्थित हैं, सदन के माध्यम से कहना चाहूंगी कि कम से कम वे अपने साथियों से अपने मित्रों से जाकर बातचीत करें और वे केन्द्र सरकार से किस तरह से दिल्ली के लिए बजट लेकर आयें।

अध्यक्ष महोदय : मैडम कन्क्लूड कीजिए प्लीज।

सुश्री भावना गौड़ : इस पर हमारा विशेष तौर पर प्रयास हो। अध्यक्ष महोदय, मैं एक सेकेण्ड में खत्म कर रही हूं।

अध्यक्ष महोदय, विशेष तौर पर इस बजट में जो प्रस्ताव रखा गया शिक्षा पर लगाने के लिए, स्वास्थ्य पर लगाने के लिए, जन सुविधाओं पर लगाने के लिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसे मानवीय निवेश का नाम देती हूं इस सदन में खड़े होकर के और हमारे उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के लिए मैं दो पंक्तियां जरूर कहूंगी। कोई देवीय शक्ति है जिसके हाथों में है हमारे लक्ष्यों की डोर। कोई देवीय शक्ति है जिसके हाथों में है हमारे लक्ष्यों की डोर। वह दिखाती है हमें मार्ग ऊंची नीची पगडंडियों पर चलने का और हमेशा दिखाती रहेगी धन्यवाद। जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : श्री ओम प्रकाश शर्मा।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना अनुमान पेश किया। मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि नम्बर तीन में लिखा है कि हम भी यह चाहते हैं कि बजट तैयार करने की प्रक्रिया में आम जनता के साथ सलाह-मशविरा को अधिक से अधिक तवज्जो दी जाये और नम्बर 4 में लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली डायलॉग कमीशन का गठन किया गया है। यह कमीशन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए बेहतरीन सुझाव तौर-तरीके और नीतियों पर सरकार को सलाह देगा और योजनाएं तैयार करने के लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के कार्यदल और कार्य समिति गठित की जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें इतना कहना है कि ये जो आप जनता के बीच में जाकर इस बजट को बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। इसमें जो यहां

70 चुने हुए लोग बैठे हैं, क्या उनके विचारों के लिए भी कोई प्रावधान आपने रखा है? नम्बर एक। नम्बर दूसरे पर आपने लिखा है कि दिल्ली में सकल राज्य घरेलू उत्पादन नम्बर छः पर इसमें जो चालू वित्त वर्ष में 451154 करोड़ रु. के स्तर पर पहुँचने का अनुमान है जो गत वर्ष की तुलना में 15.35 प्रतिशत अधिक होगा। और पूरे के पूरे बजट की अगर हम बात करें तो जो अनुमानित बजट 14-15 में 371013 करोड़ का है और 15-16 के लिए जो अनुमानित बजट है वह 37719 करोड़ यानी कि अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो केवल 1.66 परसैंट ही ज्यादा है। इसकी ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सेवा की आपने जो सारी बातें कहीं कि उत्पाद कर 87.48 प्रतिशत है। तो इससे ये लगता है कि दिल्ली, पूरे देश की अगर हम तुलना करें तो दिल्ली जो उसका हिस्सा है, वह विकसित है और जहां विकसित प्रदेश होता है, उसको कम से कम संसाधनों की जरूरत होती है। अभी आपने इसमें एक बात और कही है कि... अभी मुझसे पहले भी सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया कि भूमि के लिए और जो संसाधनों का बहुत ज्यादा आपको जो उपलब्ध कराते हैं, उसके बारे में मेरी जानकारी जो मैंने डी.डी.ए. से ली है, उसके अनुसार 1 रु. पर एकड़ पर ईयर स्कूल और शिक्षण संस्थानों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण लेता है। नम्बर दो जो बिजली के ग्रिड के लिए आपने कहा है उसमें तीन करोड़ पर एकड़ जो उसमें उनका अपना इन्वेस्टमैन्ट है, उसको लेते हैं और वही दिल्ली सरकार डिस्कॉम्स को देती है। और हर साल उनसे 20 परसैंट पर ईयर चार्ज करती है। क्योंकि घाटे का नहीं बल्कि लाभ का सौदा है।

अध्यक्ष महोदय, अगर हम इस बजट में बात करें नशाखोरी की। तो इसमें 60 हजार का प्रोविजन 2014-15 में किया था और उतना ही प्रोविजन 2015 में किया गया है। इसमें किसी प्रकार की कोई बड़ोतरी नहीं हुई। तो दिल्ली में

नशाखोरी के निवारण के लिए दिल्ली की सरकार कितनी सचेत है, वह इससे समझ आता है। अगर हम बात करें जो आपने 500 स्कूल खोलने की अपने भाषण में बात की और जिनके लिए आप बार–बार आप बात करते हैं और डी.डी.ए. से जीमन के पैसे की भी बात करते हैं। इसमें एक लाख तीस हजार थाउजैण्ड का 2014–15 का बजट अनुमान था। जो कि 15–16 में घटकर 90 हजार करोड़ रु. हो गया है। तो इससे यह पता लगता है कि आप इस सब्जेक्ट के प्रति कितने गंभीर हैं। अगर हम टैक्नीकल एजुकेशन की बात करें तो 80 हजार से घटाकर 80 हजार लाख थाउजैण्ड से घटाकर 67500 हजार इसको कर दिया गया है। और अगर पी.डब्ल्यू.डी. की दिल्ली की सड़कों की बात करें तो 260000 करोड़ से घटाकर इसको 197000 करोड़ कर दिया गया है। अगर एजुकेशन, स्पोर्ट्स और कल्चर की अगर बात की जाये तो 250000 हजार से घटाकर 182520 हजार कर दिया गया है, जो कि कम है।

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी जो आप पढ़ रहे हैं, कुल बजट 37000 करोड़ का है। **...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : आप दो लाख करोड़ पढ़ रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, टैक्नीकल करैक्शन के लिए तो मौका देंगे न?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। चलिए।

श्री ओम प्रकाश : अध्यक्ष जी, इसी प्रकार मेरा यह कहना है कि चाहे सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो, टैक्नीकल एजुकेशन की बात हो, पी.डब्ल्यू.डी. की बात हो या एजुकेशन, आर्ट और स्पोर्ट्स क्लचर की बात हो, उन सभी

मद में जितना पैसा, पहले जो बजट का अनुमान था उससे आपने कम किया है तो इसके लिए आप विशेष रूप से ध्यान दें और पिछली बार अभी इससे पहले जिसके ऊपर बहस हो रही थी जिसके लिए अध्यक्ष जी ने मुझे मौका नहीं दिया। जो अभी जिसके लिए आप बात कर रहे थे केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार का जो झगड़ा है जो एक्ट के लिए तो मैं केवल आपसे यह कह रहा हूं कि इस विषय के ऊपर आज से 60 साल पहले चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और श्रीमान जवाहर लाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे इस पर लंबी बहस हो चुकी है और सामर्थ्य और सीमा दिल्ली का अगर किसी राज्य से अगर आप तुलना करेंगे, दिल्ली इस देश की राजधानी है और इसको ध्यान रखते हुए जो मौका अध्यक्ष जी आपने मुझे नहीं दिया है, वो बात मैंने अपनी भी इसमें पूरी कर दी है। आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : कपिल मिश्रा जी, थोड़ा संक्षेप में रखेंगे, समय का अभाव है।

श्री कपिल मिश्रा : बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अनुमति देने के लिए और सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद, उपमुख्यमंत्री महोदय, वित्त मंत्री महोदय का जो लेखा अनुदान उन्होंने यहां प्रस्तुत किया है। ज्यादातर बातें तो हमारे साथियों ने रख ही दी हैं जैसे कि दिल्ली को 325 करोड़ रुपए पर रोक दिया गया है और किस प्रकार से हरियाणा और पंजाब का बढ़ा है और हमारा नहीं बढ़ा है। डी.डी.ए. की बात भी है और किस प्रकार से एम.सी.डी. में जो भ्रष्टाचार हम लोग देख रहे हैं, 40 परसेंट पैसा भी खर्च नहीं हो पाता है तो बहुत ज्यादा बातें कहने को रह नहीं जाती हैं लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि तीन मेयर आज बाहर बैठे हुए हैं और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जब भाजपा के लोगों ने कहा कि हम धरना करेंगे। बहुत मजाक उड़ाया जाता था अब शायद इन्हें समझ में आ गया है कि जनता की बात रखने के लिए लोकतांत्रिक तरीके होते

हैं, जिनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी के द्वारा सिखाए गए ये तरीके हैं उन्हीं पर लड़ते हुए हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। छोटी सी विनती है ये सभी लोग अगर ये धरना आज भारत के वित्त मंत्री के सामने करते तो पांच मिनट में इनकी समस्या हल हो जाती और हमारी भी समस्या हल हो जाती। बहुत मुश्किल परिस्थितियों से दिल्ली गुजर रही है। मौहल्ला सभा और स्वराज की जिस स्थापना की परिकल्पना की जा रही है, ऐतिहासिक शुरुआत है और मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले का काम है जिसे हम लोग, सब लोग मिलकर आने वाले समय में करेंगे। इस लेखा अनुदान का समर्थन और इसके साथ खड़े हैं सब लोग। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : मिश्रा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जरनैल सिंह जी (राजौरी गार्डन)

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। तो हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने लेखा अनुदान पेश किया है क्योंकि कई बातें लगातार हो चुकी हैं, मैं उसको ज्यादा रिपीट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन कई मायने में ये जो लेखा अनुदान पेश किया गया है यह ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए कि पहली बार दिल्ली की जनता में तकरीबन जो डायरेक्ट उन लोगों को एक राहत दी गई है वो बिजली के बिल जो हैं, कम करके 29, 36 लाख लोगों को इसका फायदा हुआ है और इसके साथ ही तकरीबन 9 लाख जो पानी के बिल कम किए गए हैं, फ्री कर दिया गया है जो उसको, वो उनको लाभ सीधा हो रहा है, तो इसके लिए यह सरकार जो है प्रशंसा की पात्र है और ये एक और मायने में ऐतिहासिक है कि पहली बार ये participation करके, लोगों से बात करके बनाया जाएगा। हमारे माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि, किस तरह से दिल्ली डायलॉग करेगा, दिल्ली डायलॉग कमीशन क्या करेगा, उनको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली डायलॉग हमारी टीम

ने जब दिल्ली के अंदर लोगों से डायलॉग किया था, अपने आप में डायलॉग नहीं किया था। अगर ये दिल्ली डायलॉग कमीशन जो है अगर कोई विचार देगा तो ये दिल्ली के लोगों से, सभी विधायकों से और यहां तक कि आपसे भी बात करके, सबसे मिल जुलकर अपनी राय देगा और वो राय क्योंकि कई बार होता है कि मोदी सरकार ने आते वक्त ही सबसे पहला निशाना बनाया था योजना आयोग को, बोले की योजनाएं जो हैं दिल्ली में बनकर गांव में लोगों को मालूम नहीं होता कि क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए और यहां बन जाती है मालूम नहीं होता वहां सड़क है, सड़क तो है लेकिन उसको तो वहां स्ट्रीट लाईट चाहिए थी सड़क नहीं चाहिए थी। किसी गांव में अगर जो समस्या है उस हिसाब से लेकिन यहां योजनाएं बन जाती हैं। स्वागत करना चाहिए कि आज हमारी सरकार जो है, जो अपना बजट लेकर आना चाहती है तो वो जो है लोगों से बात करके लेकर आएगी। कहीं बात कही जा रही हैं कि जो योजना बजट है वो कम है और गैर योजना बजट जो ज्यादा है। 1700 करोड़ की सब्सिडी दी गई है लेकिन मेरा मानना है शायद वित्तमंत्री जी बताएंगे कि जब तक हम जनता से बात नहीं कर लेते, जब तक नई योजनाएं हम बना नहीं लेते, जब तक हमें यह नहीं मालूम कि दिशा किस तरफ देनी है और मुझे लगता है कि तीन महीने बाद जब वो बजट लेकर आएंगे तो योजना व्यय भी बढ़ा दिया जाएगा कि योजनागत ढंग से infrastructure में कहां-कहां काम करना है ताकि तब तक हम स्कीम्स को बना सकें और तब उसके साथ काम हो सकता है।

एक बात जो मेरे कई मित्र कर चुके हैं कि वैट कलैक्शन कम हुआ। मैं यह बात करना चाहता हूं कि वैट कलैक्शन जो है अनुमान से 4500 करोड़ रुपए कम हुआ है। इसका दोषी कौन है। आज दिल्ली की जनता जो भुगत रही है उसका दोषी वो है जो एक साल तक राजनीतिक अस्थिरता इस दिल्ली के अंदर रही वो दोषी है, जिसकी वजह से यह वैट कलैक्शन कम हुआ है।

अगर यहां पर सरकार होती तो वैट कलैक्शन बढ़ जाता। लेकिन कभी कांग्रेस ने तो कभी भाजपा ने मिलकर एक गेम खेलते रहे ताकि यहां पर चुनाव ना हो। काश जल्द चुनाव हो गये होते तो यहां पर एक सरकार बन जाती और वैट कलैक्शन बढ़ जाता। लेकिन एक साल तक नहीं अनिश्चित रही, राजनैतिक अस्थिरता रही और उसकी वजह से वैट कलैक्शन नहीं बढ़ सका, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो रियायतें दे रहे हैं और व्यापारी भाई भी चूंकि जिस तरह से मैं कल ही अपने विधानसभा क्षेत्र-राजौरी गार्डन में था तो व्यापारियों से बात हो रही थी तो जब मैंने उनको बताया कि हम वैट को carry forward करने का amendment ले आए हैं तो उन्होंने बहुत खुशी जताई तो इससे हम उनसे भी यह आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में वो वैट खुले दिल से देंगे एक rational ढंग से उसको दिया जाएगा।

Fourteenth Finance Commission की बार-बार बात हो चुकी है। Fourteenth Finance Commission ने कहा है कि 32 परसेंट से 42 परसेंट हिस्सेदारी राज्यों की कर दी जाएगी। लेकिन दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और बार-बार सौतेला व्यवहार है और मेरी बहन अलका लांबा ने पहले ही कह दिया कि 14 साल हो चुके हैं 325 करोड़ पर ही अटका कर रखा हुआ है। अब ये लोग कहते हैं कि भाई Union Territory की तरह treat किया जाता है। ये दिल्ली की विधानसभा का अपमान है। दिल्ली के लोगों से चुना है, विधायकों का अपमान है ये, कि आज तक हमें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। कहा जाता है कि पुलिस का खर्चा जो है केन्द्र सरकार उठाती है इसलिए आपको 325 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हम कहते हैं पुलिस हमको दे दी जाए जिस दिन हमको पुलिस दे दी जाएगी तो कम से कम लोग जो है उस रिश्वतखोरी से भी बच जाएंगे, कुछ हद तो लगाम कस दी है लेकिन उस दिन दिल्ली पुलिस पर पुरी तरह लगाम कस दी जाएगी। तो ये आप लोग

जरूर कर लीजिए क्योंकि आपकी सरकारें भी, आपका मनयूफैस्टो भी यही कहता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : जरनैल सिंह जी conclude करिए, Please.

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) : मैं इसको conclude कर रहा हूं। एक बात जो और है डी.डी.ए. की बात पहले भी उठाई मैं कहना चाहता हूं सात हजार एकड़ जमीन जो है उसकी मालिक डी.डी.ए. बनी हुई है। 40 हजार करोड़ रुपया डी.डी.ए. ने कमाया हैं। वो किसका है। वो दिल्ली की जनता का है, वो बैंकों में पड़ा है उसकी एफ.डीस हो रखी है। वो दिल्ली की जनता के काम आना चाहिए। वो मकान बनाकर बेचते हैं एक प्रोपटी डीलर की तरह लेकिन जब वहां पर स्कूल खोलना है, जब वहां पर सड़क लानी है, जब वहां पर टायलेट खड़ा करना है तो दिल्ली सरकार को खोलना है। तो उसके लिए जब जमीन चाहिए तो हम फिर उनसे खरीदने के लिए जाते हैं। ये सौतेला व्यवहार बंद होना चाहिए। आखिरी एक बात कहकर मैं समाप्त कर देता हूं जो बिजली के अंदर privatization 2002 में किया गया था, सही कह रहे थे कि 1999 में नोटिफिकेशन हुआ और डी.ई.आर.सी. का गठन किया गया। लेकिन आज दिल्ली की जनता के साथ धोखा हो रहा है। जब डी.ई.आर.सी. बनाया गया और privatization किया गया तो ये कहकर किया गया था कि दिल्ली की जनता के लिए बिजली के दाम कम हो जाएंगे, losses कम हो जाएंगें। लेकिन ये हो नहीं सका। ये वक्त आ चुका है कि उसका रिव्यू किया जाए। जो डी.ई.आर.सी. के चेयरमैन को बुलाने का आपने आदेश दिया है मैं उसका बहुत स्वागत करता हूं लेकिन आज बिजली के बिलों को लेकर लोग परेशान हैं। मैं फिर कह देता हूं कि जो आप इशारा कर रहे हैं और मैं आपकी आज्ञा मानते हुए, जो ये लेखा अनुदान पेश किया गया है मैं इसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद जरनैल जी। सौरभ भारद्वाज जी, संक्षिप्त में रखेंगे सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाज : धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं उपमुख्यमंत्री जी, जो हमारे वित्त मंत्री भी हैं, उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक अच्छा वोट आन एकाउंट प्रस्तुत किया। इसके अंदर कुछ बातें जो हैं वो चिंता की हैं हमारे लिए कि पिछले साल जब जनरली एल.जी. रूल रहा दिल्ली स्टेट के अंदर, उस वक्त हमारा जितना रेवन्यू इकट्ठा होना चाहिए था उतना इकट्ठा नहीं हुआ। करीब साढ़े चार हजार करोड़ रुपए का घाटा है और इसको पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि काफी ज्यादा सरकार को इस बार मेहनत करनी पड़ेगी। काफी रेवन्यू को increase करने के मौके तलाशने पड़ेंगें। Out of the Box सोच बढ़ानी पड़ेगी। सरकार के पास जो assets हैं जैसा D.U.S.I.B. बहुत सारी जमीनें हैं, डी.टी.सी. के पास बहुत सारे डी.टी.सी. के डिपो हैं। डी.टी.सी. के पास बस क्यू शैल्टर्स हैं इन सबसे कैसे ज्यादा से ज्यादा रेवन्यू इकट्ठा कर सकते हैं इसको सोचा जाना चाहिए। दूसरा क्योंकि इस बार सदन के अंदर अपोजीशन के बहुत कम लोग हैं, सिर्फ तीन लोग ही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे सदन की यह जिम्मेदारी रहनी चाहिए कि उनका हम बराबर सम्मान करें। उनको बोलने का मौका दें और क्योंकि हम लोग ज्यादा हैं इसलिए जिम्मेदारी हमारी ज्यादा बेहतर बनती है और लोग हमसे बहुत ज्यादा उम्मीद भी करते हैं कि इस तरीके का व्यवहार हम सदन में दिखाएं कि और पिछला सदन जिसके अंदर हम लोग minority में थे उसमें कुछ फर्क लोगों को नजर आए और मैं इसके साथ-साथ अपोजीशन के लोगों को भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि constructive अपोजीशन का वो रोल अदा करें। आज का जमाना ऐसा है कि आप अपने बच्चे को भी कोई गलत बात पे टोकेंगे और बदतमीजी से बात करेंगे या तीखी टिप्पणी करेंगे तो वो कोई भी accept करने

के लिए तैयार नहीं होता। इसी में मैं जगदीश प्रधान जी की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी बात बहुत शालीनता से रखी और जहां पर सही बात की उसका उन्होंने constructive way में उसको आगे बढ़ाया, मुझे लगता है कि इसी तरीके से अगर हमारा व्यवहार रहेगा एक दूसरे का अपोजीशन का और रूलिंग पार्टी का तो हम लोग अपना जो समय है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे।

इसी आशा के साथ मैं एक बात और एम.सी.डी. के विषय में कहना चाहूंगा क्योंकि एम.सी.डी. की बात बहुत आजकल चल रही है। मैं इस सदन को ये गुजारिश करना चाहूंगा और स्पीकर साहब को ये गुजारिश करना चाहूंगा कि दिल्ली के जो लोग हैं वो ज्यादा differentiate नहीं कर पाते कि क्या काम एम.सी.डी. के हैं और क्या काम दिल्ली सरकार के हैं। तो एम.सी.डी. के अंदर भी जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, एम.सी.डी. की जो inefficiencies हैं उसकी वजह से दिल्ली सरकार का और पूरी दिल्ली का नाम खराब होता है और तो कुछ इस तरीके की पॉलिसिस लाई जाए, कुछ इस तरीके की कोशिश की जाएं कि एम.सी.डी. का भ्रष्टाचार कम हो सके उसके लिए मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा।

इसी आशा के साथ मैं एक बात एम.सी.डी. के बारे में कहना चाहूंगा क्योंकि एम.सी.डी. की बात आजकल बहुत चल रही है। मैं इस सदन को गुजारिश करना चाहूंगा और स्पीकर साहब से यह गुजारिश करना चाहूंगा कि दिल्ली के जो लोग हैं वह ज्यादा differentiate नहीं कर पाते और क्या काम दिल्ली सरकार के हैं तो एम.सी.डी. के अंदर भी जो भ्रष्टाचार व्याप्त है क्या एम.सी.डी. की जो inefficiencies है उसकी वजह से दिल्ली सरकार का और पूरी दिल्ली का नाम खराब होता है। हां तो कुछ इस तरीके की पालिसीज लाई जायें, कुछ इस तरह की कोशिश की जाये कि एम.सी.डी. का भ्रष्टाचार कम हो सके उसके लिये मैं

एक मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि पिछले दो साल में जो भी टेन्डर एम.सी.डी. ने पास किये हैं जो भी वर्क आर्डर एम.सी.डी. ने निकाले हैं पिछले दो साल में चाहे वह सड़कों के हों, नाले के हों, ये सब मुझे लगता है कि लोकल एम.एल.ए. के साथ साथ शेयर करना चाहिए। और कम से कम पिछले दो सालों का जो काम हुआ है उसकी एक सोशल आडिट कराने का एक काम शुरू करना चाहिए उससे काफी transparency आ सकती है और दोबारा से मैं वित्तमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अच्छा वोट ऑफ एकाउंट प्रस्तुत किया। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कैलाश गहलोत।

श्री कैलाश गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और इसी के साथ जो कि पहले भी सदन में चर्चा हो चुकी है कि यह बजट वाकई में एक ऐतिहासिक बजट है और इसके लिए मैं Dy. CM और सी.एम. साहब का धन्यवाद करता हूं और बधाई भी देता हूं क्योंकि ये जो एक ऐतिहासिक बजट है इसमें participatory बजट का जो कान्सेप्ट इन्ट्रोडयूज किया है ये एक कदम है स्वराज की तरफ और जनता का पैसा है जनता का ही बजट होना चाहिए और जनता को पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो पैसा जो जनता का है वह पैसा कहां खर्च हो बाकी सब चीजें पहले भी काफी विधायकों ने कह दी हैं। एक चीज मैं कहूंगा और specially जो हमारे भाजपाई भाई यहां बैठे हुए हैं मैं उनका ध्यान यहां आकर्षित करना चाहूंगा कि दिल्ली को term of reference से जो exclude किया गया है और जिसके तहत जो adjoining states हैं उनको जो पैसा दिया गया है। हरियाणा को 2014-15 में 3848 जो कि 15-16 में 5685 करोड़ हो गया है और पंजाब का जो 14-15 में 4703 था वो लगभग 15-16 में डबल हो गया है मैं अनुरोध करूंगा हमारे यहां जितने भी बी.जे.पी. के

विधायक बैठे हैं कि वो जो हमारे बी जे पी के एम पी हैं सातों सीट आज बी.जे.पी. की हैं और जब बी.जे.पी. को इतना बड़ा mandate दिया है दिल्ली की जनता ने तो यह उनका कर्तव्य बनता है और उनकी ड्यूटी बनती है कि दिल्ली को जो पैसा मिलना चाहिए सेंट्रल सरकार से वो उसके लिये लड़ाई लड़ें पूरी नहीं तो ये दिल्ली की जनता के साथ एक गददारी होगी ये betrayal होगा उन्होंने जो ट्रस्ट और जो repose किया है उनको जीता कर अपनी अनुमति के साथ मैं एक मिनट और लूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी मैं नजफगढ़ विधानसभा को रिप्रजेंट करता हूं और नजफगढ़ विधानसभा में आज भी लगभग 18 से 20 गांव हैं कुछ गांव ओरगनाईज हो चुके हैं इसके बावजूद आप अगर जो युवा वहां पर हैं जो यूथ है वहां का उनका जोश देखें स्पोर्ट्स की तरफ और ये हकीकत है कि पूरे सदन को मैं बताना चाहूंगा कि नजफगढ़ ने भारत को International लेवल के प्लेयर्स दिये हैं सौभाग्य से सुशील पहलवान जैसे और लगभग पांच-छह प्लेयर्स हैं वो आई. पी.एल. को रिप्रजेंट कर रहे हैं domestic क्रिकेट में highest wicket taker सूरज यादव भी हमारे नजफगढ़ से हैं और आप ये जानकर चौकेंगे कि वहां पर आज के दिन एक भी स्पोर्टस स्टेडियम नहीं है। उसके बावजूद नजफगढ has given international players मेरा आपसे अनुरोध है humble request है कि वहां पर एक international लेवल का स्पोर्टस स्टेडियम की व्यवस्था की जाये ताकि वहां का हर बच्चा वीरेन्द्र सहवाग बन सके और हर बच्चा सुशील पहलवान बन सके और भारत का नाम इस दुनिया में रोशन कर सके। इसके लिये मैं आपसे दोबारा विनती करता हूं समय देने के लिये अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री बिजेन्द्र गुप्ता।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, इस सदन में काफी देर से बजट पर चर्चा चल रही है और जैसा पार्ट आदरणीय वित्तमंत्री जी ने अपने आर्ट से बढ़ाया

इसी सिलसिले को आगे बढ़ा दिया आदरणीय वित्तमंत्री जी ने इस बजट को धूम फार दिल्ली कहा धूम हम इस को कहते हैं doom for Delhi ये बजट वास्तविकता में दिल्ली के लिये निराशा का बजट है यह anti-development budget है यह जबट sustainable बजट नहीं है unsutainable बजट है इस बजट में नान प्लान को इनक्रीज किया गया है प्लान expenditure को decrease किया गया है 48 प्रतिशत शेयर Plan Expenditure था 2014-15 में 17700 और जिसको घटाकर 2015-16 में मात्र 15450 करोड़ रुपये कर दिया गया जो लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा है कुल बजट का जो दिल्ली के लिये एक बड़ी चुनौती है जिसको ओम प्रकाश शर्मा जी ने जिन फीगर्स को पढ़ा था इसका अर्थ ये है कि ये तमाम विकास के कार्य आने वाले वर्ष में नहीं होंगें और दिल्ली के लोगों को विकास से पिछड़ना पड़ेगा। अध्यक्ष जी इस बजट के अंदर अधिकारों की ज्यादा बात की गई है वित्त मंत्री जी के वक्तव्य में और जिम्मेदारियों पर ध्यान कम दिया गया है। कोई भी बजट किसी भी संस्था की किसी भी सरकार की लाइफ लाइन है वह एक बैरामीटर होता है बजट जब हम बनाते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह से हमारे पास प्राप्त होने वाली राशि और हमारे जिम्मे खर्चों का एक बैलेंसिंग है। एक बैलेंसिंग एक्ट है हम उसको जितने तरीके से जितने अच्छे तरीके से जितनी व्यवस्था से करेंगे वो उतना अच्छा बजट कहलायेगा। लेकिन यहां पर तथ्यों पर ही आक्रामक प्रहार किये गये। मैं आपकी जानकारी में उस तथ्य को यहां पर प्रस्तुत किये गये चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की बात बार-बार की जा रही है। मैं आपकी जानकारी में डाल दूं अगर आप सबका संविधान में विश्वास है। संविधान की धारा 80 के अंतर्गत वित्त आयोग की संस्तुति केन्द्र और राज्यों के मध्य बंटवारे का निर्णय कर सकती है। केंद्रशासित प्रदेशों में वो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है और वो असंवैधानिक प्रक्रिया कहलाएगी। हाँ, अगर आपका बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बनाये हुए संविधान में विश्वास नहीं है तो आप ठीक हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन संवैधानिक व्यवस्थाओं का

राजनीतिक दृष्टिकाण से उपयोग करना और राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं के लिए इस सदन की गरिमा को भी तार-तार करना और भारत के संविधान के प्रति भी अनादर प्रस्तुत करना हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अध्यक्ष जी, यहाँ पर वित्त मंत्री महोदय ने एक और प्रश्न खड़ा किया कि यदि, वो मैं पढ़कर बता रहा हूँ, 14वें केंद्रीय वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। दिल्ली को इस सिफारिश का लाभ नहीं मिल रहा है। यदि यह सिफारिश दिल्ली पर लागू होती तो उसे सिफारिश अवधि 2015-20 के दौरान 25000 करोड़ रुपये मिलते परंतु अब केंद्रीय करों में दिल्ली की हिस्सेदारी मात्र 325 करोड़ रुपये तय की है और इस पर वित्त मंत्री जी ने पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहा कि कहाँ 25000 करोड़ और कहाँ मात्र 325 करोड़। मैं उनकी जानकारी को सही करना चाहता हूँ यह राशि 325 करोड़ नहीं है यह लगभग 1720 करोड़ रुपया है। उसका मैं आपको ब्रेक-अप भी बता देता हूँ। Normal Central assistance और सेंट्रल टैक्सेस के कम्पनसेशन के 720 करोड़ रुपये इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा वर्तमान बजट में 1816 करोड़ रुपये केन्द्र की तरफ से दिल्ली और पांडेचेरी के लिए जिसमें से लगभग साढ़े 1100 या 1000 करोड़ रुपये जैसा कि मेरी जानकारी है वो और तो कुल मिलाकर के बनता है 325 करोड़ नहीं साढ़े 1700 करोड़ रुपया। अध्यक्ष जी, मैं राजनीति से ऊपर उठकर एक बात कहना चाहता हूँ यह दिल्ली हमारी है, यह बजट हम लोग बना रहे हैं इस सदन का हम भी हिस्सा हैं इसमें कोई भी कमी रहेगी, कोई भी दिल्ली वाले लोगों को परेशानी होगी तो उसमें हमारी सहभागिता भी मानी जायेगी, भले ही हम कितना भी विरोध क्यों न करें। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि यह बजट sustainable नहीं है, इसमें विजन की कमी है, इसमें स्कीम्स नहीं है और विजनरी नहीं है, अगर आपने जिस तरह से नॉन प्लान के खर्चे को लगभग ढाई हजार करोड़ रुपया अतिरिक्त इस वर्ष में रखा है और आपके पास प्लान एक्सपेंडिचर में 48 से 40 प्रतिशत राशि कर दी है, आय के नये स्रोत आपके सामने नहीं हैं। यह आप क्या समझते हैं यह आप हर

वर्ष क्या इस तरह से आप नॉन प्लान के खर्चे को बढ़ाकर के प्लान को कम करके क्या यह बजट sustain कर पायेगा, क्या यह सिस्टम sustain कर पायेगा बिल्कुल नहीं कर पायेगा। अभी आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, आप बहुत अच्छी शेरों-शायरी करते हैं। मुझे भी बड़ी अच्छी लगी थी कल, एक अखबार ने आपकी शेरों-शायरी, अंग्रेजी के एक अखबार ने उसको एक कॉलम बना कर लिखा। मुझे याद नहीं रहा, लेकिन मैं पढ़ना चाहता था, याद करना चाहता था आपके उन शब्दों को फिर से उनको मनन करना चाहता था कि बहुत अच्छा था लेकिन वो अंग्रेजी के अखबार के शब्द या तो गलत थे या मैं कुछ समझ नहीं पाया। कहने का अर्थ यह है कि अच्छी शेरों-शायरी करना, अच्छे विचार रखना एक दृष्टिकोण है, उनका क्रियान्वयन करना एक व्यवस्था है और अगर विचारों में और क्रियान्वयन में अंतर होता है तो निश्चित रूप से यह मानिये कि हम शायद किसी एक बड़े गड्ढे की ओर जा रहे हैं। वैसे तो दो बार बजट प्रिंट होगा। अब प्रिंटिंग पर दो बार खर्चा होगा और वैसे तो आम आदमी पार्टी में आज कल printing of latters काफी चल रहा है और सब एक दूसरे के खिलाफ लिख रहे हैं तो आप भी प्रिंटिंग का खर्चा पार्टी में भी बढ़ा हुआ है आपकी और आप यहाँ पर सरकार में भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे यह लगता है कि जो लेखानुदान है यह wastage of time है wastage of time है इसके अंदर कहीं भी सरकार के दृष्टिकोण की स्पष्ट नीति सामने नहीं आ रही है। मैं अध्यक्ष जी, एक बात और कहना चाहता हूँ और वो यह है.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बिजेंद्र जी, प्लीज कनक्लूड कीजिए।

श्री बिजेंद्र गुप्ता : एक बात मैं और कहना चाहता हूँ हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं। अभी डी.टी.सी. एम्प्लॉइज की सैलरी का मामला बीच में अटका हुआ है और एक 300 करोड़ रुपये की एफ.डी. हैं, जिससे 1380 बसें और सेमी लो-फ्लोर बसेस जिससे खरीदी जानी है लेकिन मंत्री जी ने अखबार

में विधिवत रूप से बयान दिया कि हमने उस एफ.डी. को तोड़ दिया है या तोड़ देंगे और उससे सैलरी, देंगे, यानी कि 1380 बसें जिस मद में वो धन है, वो न खरीद कर और आप सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं इसका मतलब साफ है कि आप दिल्ली के इनफ्रास्ट्रक्चर से एक घिनौना मजाक करने जा रहे हैं। मैं इसके साथ-साथ एक बात और कहना चाहता हूँ.....**(व्यवधान)** एक सेकेंड, एक सेकेंड।

अध्यक्ष महोदय : बिजेंद्र जी, प्लीज कनक्लूड कीजिए।

श्री बिजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मुझे लगता था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम वैट से 20 हजार करोड़ की जगह 30 हजार करोड़ जुटायेंगे, लेकिन इस बजट में.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बिजेंद्र जी, फिर आप उस विषय पर आ गये। यह पिछले सदन में बात हो चुकी।

श्री बिजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, 23 हजार करोड़ रुपया मात्र प्रपोजल में रखा गया है यानी कि 7 हजार करोड़ तो पहले ही दृष्टि में उसको आपने अपनी ही योजना को अगले पंद्रह दिन के भीतर समाप्त कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : बिजेंद्र जी, मैं बीच में टोक रहा हूँ तो आपका विषय .....**(व्यवधान)**

श्री विजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि सरकार जो एक वायदा करके आई थी कि कांट्रेक्ट के सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इस बजट के अंदर कहीं भी लेखानुदान के अंदर कहीं भी उनके नियमितीकरण को लेकर के किसी प्रकार की कोई चर्चा या बजट का प्रावधान नहीं है और छोड़िये, ये तमाम बातें तो एक तरफ हैं financial corruption की बात हो

या financial mismanagement की बात हो एक ही बात होती है। आप लोकपाल भूल गये, वित्त मंत्री जी ने जिक्र नहीं किया, करप्शन की आज, बहुत लम्बे-चौड़े पढ़े हैं आपने हेल्पलाइन की बात नहीं की, आपने sting की बात की, आपने हेल्पलाइन की बात नहीं की, इसके साथ-साथ आपकी नैतिकता पर भी प्रश्नचिह्न लग गया है।

अध्यक्ष महोदय : बिजेंद्र जी, आप कनक्लूड कीजिए प्लीज।

श्री बिजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं कनक्लूड कर रहा हूँ। मैं अपने अंतिम दौर में हूँ, आपने किसी को नहीं टोका। अभी सौरभ भारद्वाज भी चले गये, मुझे लगता है कि जब हम बोलते हैं तो सदन में एक स्पीकर नहीं होता, कई सारे हो जाते हैं और यही बात अभी आपके अपने सदस्य, पूर्व मंत्री ने कही थी, विपक्ष को सुनने का भी दम रखिये। आप संख्या में 67 हैं, इस घमंड में, इस अहंकार में मत रहिये विपक्ष को भी बोलने का मौका दीजिए। आपके कानों को अपने विरोध में भी बात सुनने की इतनी शक्ति होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ दो और विषय एक विषय है.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बिजेंद्र जी, आप कनक्लूड कीजिए प्लीज।

श्री बिजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, एक विषय है दिल्ली मेडिकल काउंसिल के constitution का। जिसके गठन में जिस तरह से चार डॉक्टर्स की नोमिनेशन दिल्ली की सरकार को करनी थी उनको लास्ट मिनट में जैसे चेंज किया गया वो एक बहुत बड़ा immoral act उसको मैं कहूंगा नैतिकता-अनैतिकता की पराकाष्ठा और दूसरा इसी सदन में एक मंत्री बैठे हैं जिनका नाम है श्री xxxx .....**(व्यवधान)** अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं, मुख्यमंत्री.....**(व्यवधान)**

xxxx चिन्हित शब्द अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से कार्यवाही से निकाले गये।

अध्यक्ष महोदय : ये बजट पर चर्चा है .....**(व्यवधान)** ये कार्यवाही में नहीं आएगा यह इस कार्यवाही में नहीं आयेगा। सदन 15 मिनट के लिये स्थगित किया जाता है।

(सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित की गई)

सदन अपराह्न 5:25 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय वित्त मंत्री जी बजट पर चर्चा का उत्तर देंगे।

वित्त मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल जो बजट रखा। उस पर यहाँ पर हमारे साथी सदस्यों ने...

श्री जनरैल सिंह (आर.जी.) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सर मेरा एक निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, अभी एक जानकारी मिली है कि 1984 के कत्लेआम में श्री जगदीश टाइटलर को तीन महीने पहले मोदी सरकार ने क्लीन चिट दे दी थी। तीन महीने तक छिपा कर रखा गया। कारण दिल्ली के चुनाव हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। एक तरफ एस.आई.टी. बनाई जाती है, कहते हैं कि एस.आई.टी. बनायेंगे। दूसरी तरफ सी.बी.आई. ने क्लीन चिट देकर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। और दिल्ली की जनता को बताया नहीं जाता है, यह बहुत बड़ा धोखा है और इस धोखे को मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता था। अरविन्द जी से भी विनती करता हूं कि इस मामले को जोर शोर से उठाया जाये और गृह मंत्री जी से इसका जवाब मांगा जाये। धन्यवाद।

श्री जनरैल सिंह (T.N.) : दिल्ली की जनता को बताया नहीं जाता है, यह बहुत बड़ा धोखा है और इस धोखे को मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता था और यह भी विनती करना चाहता हूँ कि इस मामले को जोर-शोर से आगे उठाया जाये और गृह मंत्री से इसका जवाब मांगा जाए।

वित्त मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो बजट यहाँ प्रस्तुत किया गया, उसके बारे में सदन में काफी अच्छी चर्चा हुई। जिस तरह के मुद्दे साथियों ने उठाये। क्योंकि वस्तुतः ये लेखा अनुदान था। और अगर बहुत ईमानदारी से देखें तो लेखा अनुदान का हिस्सा बहुत छोटा था उसके अंदर। लेकिन इसके माध्यम से इस अवसर का उपयोग मैंने दिल्ली की आर्थिक स्थिति और दिल्ली की आर्थिक स्थिति के कारण को भी इस सदन के सामने रखने का प्रयास किया। आज जिस तरह से हमारे साथियों ने कुछ मुद्दों को जिस स्पष्टता के साथ दुबारा से सदन के सामने रखा, मुझे बहुत खुशी है कि जो बात मैं कहना चाहता था। सदन के माध्यम से सदन के संज्ञान में और आपके माध्यम से देश के संज्ञान में लाना चाहता था। वह बात पहुँची है। वह चाहे केन्द्र सरकार का सौतेला व्यवहार रहा हो। ये सारी चीजें सदस्यों के माध्यम से पहुँची हैं। मीडिया के माध्मय से भी पहुँची होंगी। आगे भी जब भी मौका मिलेगा, हम केन्द्र सरकार के सामने इन चीजों को रखेंगे। यहाँ बजट पर चर्चा के दौरान हमारे साथी श्री सोमनाथ भारती जी, ने अपनी बात रखी, अलका जी ने रखी, भावना जी ने और ओम प्रकाश जी ने रखी, वे इस समय सदन में नहीं हैं अपने साथियों के साथ में। उन्होंने भी अपनी बात रखी। श्री सौरभ भारद्वाज जी, कैलाश गहलोत जी, कपिल मिश्रा जी और भाई जनरैल सिंह जी ने भी रखी। बिजेन्द्र गुप्ता जी ने भी अपनी बात रखी। इन सब से जो सवाल निकल कर आये, जो मुद्दे निकलकर

आये, उस पर मैं कुछ रौशनी डालना चाहता हूॅ। भाई सोमनाथ भारती जी भी अभी यहाँ नहीं हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से इस बजट की स्प्रिट को समझते हुए, इस लेखा अनुदान की स्प्रिट को, इस लेखा अनुदान के साथ-साथ इस बजट के बारे में जो मैंने लिखा कि हम bottom up approach लेकर चलना चाहते हैं। bottom up approach को अच्छे से रेखांकित किया। साथ-साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि जो westeful expenditure हैं सरकार के। उनकी ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। वह भी ठीक कहा उन्होंने क्योंकि उस तरफ करप्शन भी उतना है। करप्शन भी अगर देखे सरकार तो दोहरी मार देता है। जब टैक्स कलैक्शन में करप्शन होता है, तो सरकार के पास पैसा कम आता है। और जब बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए गए पैसे को उसमें अधिकारियों की मेहनत भी लगती है, कर्मचारियों की भी लगती है, जो टैक्स पेयर है, वह अपनी पूरी जिन्दगी की खून-पसीने की कमाई टैक्स के रूप में दे रहा है। उसमें से लीकेज होता है, तो सरकार के पास पैसा कम आता है। जब सरकार के पास इकट्ठा हुआ पैसा खर्च किया जाता है तो उसमें अगर करप्शन होता तो भी वह बजट पर एक तरह से बहुत भारी पड़ता है। तो ये दोनों तो सरकार की प्राथमिकताओं में हैं ही। लेकिन तीसरे बिन्दु जिसकी ओर सोमनाथ भाई ने इंगित किया, कि वेस्टफुल जो एक्सपैंडीचर्स हैं, उनको भी हम पूरी तरह से संज्ञान में लेकर चल रहे हैं। सरकार बहुत जिम्मेदारी के साथ एक-एक मद को एक-एक खर्चे को बहुत पैनी नजर के साथ देख रही है। इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। एक एक मद में हो रहे खर्चे को बहुत पैनी नजर से देख रही है। जहाँ भी गैर जिम्मेदाराना खर्चे की परम्पराएं शुरू हो गई हों, या किसी समय जिम्मेदाराना खर्चा रहा होगा, आज वह irrelevent हो गया हो, यदि परम्परा में शुरू हो गया था जो चल रहा है। ऐसे तमाम खर्चों को हम रोक रहे हैं और आगे भी देखेंगे। तो ये मैं सदन की आश्वस्त करना चाहता हूं। हमारे विपक्ष के साथी यहां नहीं हैं, उन्होंने कुछ मुद्दे उठाये थे। मैं चाहता हूं कि सदन के

समक्ष उनका जवाब दूं। और अगर वे कहीं सुन रहे हों तो मैं उम्मीद करूंगा कि थोड़ी देर में वे सदन में रहेंगे, उम्मीद है कि वाक आउट करके नहीं जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश शर्मा जी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया, बड़ी बात कही कि साहब हम तो मिथ्या कह रहे हैं, बजट भाषण में मिथ्या आरोप लगाये गये हैं और डी.डी.ए. तो दिल्ली के विकास के लिए बहुत अच्छा पैसा देता है, बहुत अच्छी जमीन...एक रुपये के हिसाब से दे देता है। अध्यक्ष महोदय, मैं अधिकारिक रूप से ये बात सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ये बात सही नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकरण से जब हम कॉलेज के लिए जमीन मांगते हैं, अस्पताल के लिए जमीन मांगते हैं, शौचालय के लिए जमीन मांगते हैं, बस स्टॉप बनाने के लिए जमीन मांगते हैं, या खेल का मैदान बनाने के लिए जमीन मांगते हैं तो सिर्फ...अभी मैं अधिकारिक रूप से आपको आंकड़े देता हूं कि 9 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से हमसे मांगा जाता है। चार करोड़ रु. प्रति एकड़ तो सामान्य दर है। जो दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में अस्पताल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, ये सब कहने के लिए मांगी जाती हैं। शौचालय के लिए, बस स्टॉप के लिए, पार्क के लिए, बच्चों के लिए कुछ खेलने का कुछ बनाना हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनानी हो। इस सब के लिए 4 करोड़ प्रति एकड़ तक भी जमीन मांगी गई, मांगी जाती है। नौ करोड़ जो मैंने आपको बताया। किसलिए? अभी दिल्ली की जनता के उपयोग के लिए, बिजली के लिए, एक छोटा सा द्वारका में बिजलीघर बनाने के लिए नौ करोड़ रु. एकड़ के हिसाब से जमीन के लिए मांगे जा रहे हैं। इसको कौन यूज करेगा? वही लोग यूज करेंगे न इस बिजलीघर को। जिनके फ्लैट बने हैं, जो डी.डी.ए. ने बनाकर बेचे थे। जिनका डेवलपमैन्ट चार्ज कमा-कमा करके डी.डी.ए. 24 हजार करोड़ अपने एकाउन्ट में लेकर बैठा है। तो ये दिल्ली की जनता के विकास के नाम पर

इकट्ठा किया गया पैसा है। दिल्ली की जनता की जमीन है। तो इसको तथ्यों में न उलझाया जाये। दिक्कत ये है कि कॉलेज बनाना हो, अस्पताल बनाना हो, इन सब चीजों के लिए दिल्ली सरकार को दिल्ली के टैक्स की कमाई खर्च करनी पड़ेगी। और ये on record खर्च करनी पड़ेगी। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं कमीशन पर खर्च करनी पड़ेगी। अधिकारिक फाइलों में दर्ज है। नौ करोड़ की फाइल मैंने आपको अभी लेटेस्ट बताई है।

अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश शर्मा जी ने एक और मुद्दा उठाया। prohibition पर सरकार शिक्षण संस्थानों के माध्यम से स्कूलों में कॉलेजेज में और भी तरह तरह से एजुकेशन के हिसाब से भी कार्यक्रम चलाती रहती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अभी देख रहा था। जो हमारी डिमाण्ड ऑन ग्रान्टस की बुक है। उसमें मुझे ये समझ में नहीं आया फिर भी पेज नं. 193 पर Prohibition के लिए जो publicity का खर्चा है, वह हमने 29 परसैंट बढ़ाया है। हालांकि लेखा अनुदान है। मैं फिर से अण्डर लाइन करता हूँ कि यह अभी फाइनल बजट नहीं है, जिस किस्म की आम आदमी पार्टी से अपेक्षा है। क्योंकि ये तो लेखा अनुदान है। लेखानुदान एक तरह से सरकार की मौजूदा स्थिति को दो-महीना तीन महीना आगे बढ़ाने के लिए होता है, ताकि एक विज़न के अनुसार प्रयास किया जा सके। लेकिन फिर भी इसमें भी लगभग 30 परसैंट...29.3 परसैंट और मैं उनके संज्ञान में लाने के लिए बता दूं कि डिमाण्ड ऑन ग्राण्टस की जो बुकलेट है, उसमें 185 पेज पर और 193 पेज पर ड्रग ब्यूज के बारे में खर्चे की बात कही गयी है। ड्रग एब्यूज रोकने के लिए उसमें 130.3 परसैंट बढ़ोतरी हुई है। अगर खर्चा कम करने की बात है। हालांकि ये राशियां बहुत बड़ी नहीं होती हैं और बड़ी नहीं हैं। परन्तु मैं सिर्फ संज्ञान में लाने के लिए कह रहा हूं कि उन्होंने सदन के रिकॉर्ड में लाने के लिए कहने की कोशिश की कि उसमें खर्चे कम किए जा रहे हैं।

यह तो लेखानुदान है सरकार के काम काज को आगे ले जाने के लिए तीन महीने के लिए, एक तरह से सदन के सामने रखा जा रहा है, एकाउंट है जो भी विज़न होगा उसमें क्या बदलेगा, उसके आगे का स्वरूप क्या होगा। हमारे बजट के खर्चों का, जनता के पैसे का मैनेजमैंट का स्वरूप आम आदमी पार्टी कैसे करेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार है। पर इस लेखा अनुदान में बहुत कुछ होता नहीं है, ऐसा जिसको आप बहुत कुछ कह सके और ऐसा ही मुझे हमारे साथी बिजेन्द्र गुप्ता के वक्तव्य से भी प्रतीत हुआ। जो कि बजट के बारे में जब उनकी बारी आई, बात करने की तो जब बहुत ज्यादा चीजें उनको नहीं लगी। मैं समझता हूं कि उसमें उनको बहुत सारी चीजें नजर नहीं आईं, कहने के लिए इसलिए उन्होंने मुद्दा उठाया कि साहब प्रिंटिंग की कोस्ट बढ़ गई है कि आप लेखा अनुदान ला रहे हैं फिर बजट लाएंगे तो प्रिंटिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये शायद अच्छा संकेत है, मैं इसको उपलब्धि मानता हूं कि जब बजट का, इन प्रस्तावों का, उसके कंटेंट पर चर्चा होनी चाहिए और जब कंटेंट में कुछ प्रश्न करने के लिए नहीं बचेगा तो निश्चित रूप से फिर यही सवाल उठेंगे कि साहब इसका जो साइज था, वो आधा इंच कम क्यों रह गया, बुकलेट का। साहब प्रिंटिंग दुबारा होगी। साहब तीन बार प्रिंटिंग हो जाएगी। फिर भी बिजेन्द्र गुप्ता जी ने कुछ मुद्दे उठाए। मैं पत्रकारिता में रहा हूं। थोड़ा बहुत बजट को, बजटीय प्रक्रियाओं को, जब सरकारें बजट पेश करती थीं, सुनने का आदी रहा हूं। अभी-अभी मौका लगता था तो विपक्ष के नेताओं के पास जाकर उनसे रिएक्शन भी लेता था। वहां से और आज तक किसी भी बजट के बारे में विपक्ष के जो शब्द होते हैं, वहीं बिजेन्द्र गुप्ता जी ने भी दोहराए। आज तक कभी भी मैंने किसी विपक्ष के नेता को यह कहते नहीं सुना कि बजट अच्छा था। या बजट के बारे में कोई और कुछ ऐसी constructive या creative चीजें analytical चीजें बहुत सामान्य जो शब्द रहते है, निराशाजनक था, unsustainable है। ये सब सामान्य शब्द हैं। किसी भी बजट के बाद विपक्ष के नेताओं के पास सबसे पहले देने के लिए दो शब्द होते है और उन्होंने दिए, बहुत शुक्रिया।

उन्होंने एक मुद्दा उठाया, अपनी बातचीत का। उन्होंने कहा जी, नान प्लान बढ़ा दिया और प्लान कम कर दिया। मैं सदन के सामने एक विचार रखना चाहता हूं और विचार क्या है, एक सवाल है आपके माध्यम से, हमारे देश के विकास की परिभाषा बहुत confusing होती है। हम कहते हैं शहर का विकास हो रहा है, गांव का विकास हो रहा है, कस्बे का विकास हो रहा है। विकास का मतलब क्या है, क्या विकास का मतलब सिर्फ इतना है कि हमने वहां एक सड़क और पुल अधिक बना दिया या जो सड़क 10 फीट चौड़ी थी, उसको हमने 14 फीट चौड़ी कर दिया कि नहीं कर दिया। अगर विकास सिर्फ इतना ही है तो मुझे लगता है विकास की यह बहुत संकुचित परिभाषा है। मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम लोगों से जो विकास की इतनी संकीर्ण सोच के साथ चलते हैं कि अगर दिल्ली की 90 परसेंट आबादी को बिजली आधे दाम पर मिलने की व्यवस्था सरकार कर रही है तो विकास की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा। मैं जानना चाहता हूं कि अगर दिल्ली की आधी आबादी को, दिल्ली के आधे घरेलू उपभोक्ताओं को पानी के सरकार व्यवस्था करके, जो कम पानी खर्च करते हैं, उनको कम पानी खर्च करने के लिए, जो ज्यादा पानी खर्च करते है उनको कम पानी खर्च करने के लिए प्रेरित करके और जो कम खर्च कर रहे हैं उनको एक तरह से प्रोत्साहन देकर, अगर सरकार यह योजना लेकर आती है कि दिल्ली की जनता को, ऐसी जनता को जो कम पानी खर्च करती है, अपने घरेलू उपभोक्ता कनैक्शन में उनको पानी मुफ्त मिलेगा। ये विकास की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा। मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि यह बजट पर सवाल नहीं था, यह विकास की परिभाषा पर सवाल था। उन्होंने कहा कि नान प्लान बढ़ा दिया, प्लान कम किया। हमसे पहले जो सरकार रही, आदरणीय सदस्य माननीय सदस्य की पार्टी की, उसने दिल्ली का रेवन्यू डुबो दिया। उसने दिल्ली के रेवन्यू की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पता नहीं किस पालिटिक्स में बिजी रही, पता नहीं क्या करते रहे कि दिल्ली में रेवन्यू कलैक्शन साढ़े चार हजार करोड़ रुपए नीचे आ गया। ये कौन सा विजन था, ये कौन सा विकास

था। अब अगर साढ़े चार हजार करोड़ रूपए का घाटा होगा, रेवन्यू कलैक्शन में तो अध्यक्ष जी कहीं तो दिखेगा। डेटा में तो दिखेगा। commitment में हमने कल भी कहा था, हमारा दावा है कि यह घाटा भी पूरा करेंगे, इस साल और अपने विजन के हिसाब से हमने जो-जो चीजें कहीं हैं, वो भी पूरा करेंगे। एक और चीज माननीय विजेन्द्र गुप्ता जी ने, हमारे साथी ने कही कि केन्द्र के बजट को लेकर, केन्द्र के जो अनुदान हैं उनको लेकर, केन्द्र की सहायता राशि को लेकर काफी confusing statement दिया। उन्होंने कहा 1720 करोड़ रुपए का बजट आता है, केन्द्र की सरकार से। मैं आपकी सूचना के लिए कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, जब यह बजट का वक्तव्य मैं तैयार कर रहा था तो उसमें पहले हमने 1720 करोड़ ही लिखा था पर मुझे पूरी उम्मीद थी कि यह ब्रेक-अप देना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें मैंने ब्रेक-अप लिखा है कि यह 1720 करोड़ रुपए हैं जिसमें 325 करोड़ रुपए सेंट्रल टैक्सिस हैं, टैक्स कलैक्शन है उसका शेयर तो 325 यह जो 25 हजार करोड़ की हम बात कर रहे हैं और जिसके बदले में सिर्फ 325 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, यह तो सेंट्रल टैक्सिस का है। यह मैं आपको बता दूं कि लगभग-लगभग 70 हजार करोड़ रुपए का सेंट्रल टैक्स हैं। सेंट्रल टैक्स में योगदान है, दिल्ली का। उस 70 हजार करोड़ रुपए में से देने की बारी आती है, यह तो आप सारी जगह दे रहे हैं। स्कीम्स तो सारे राज्यों में चल रही हैं पर वो 42 परसेंट की बात आती है तो वो स्कीम्स के लिए नहीं है, वो 900 करोड़ के लिए नहीं हैं। वो 394 करोड़ के लिए नहीं है। ये तो 325 करोड़ जो आप सेंट्रल टैक्सिस में दिल्ली को 2001 से देते आ रहे हैं, उसके लिए और इसमें आप ही नहीं, आपकी पार्टी कुछ अनोखा नहीं कर रहीं। उससे पहले जो सरकारें रही वो भी ऐसे ही अनोखे काम करती रहीं। 16 साल से, 15 साल से, 2001 से दिल्ली के लोग इतना कमा के दे रहे हैं, मैंने कल भी कहा दिल्ली और देश की राजधानी होने के नाते हम जिम्मेदारी समझते हैं, राष्ट्र के विकास में और तहेदिल से हम कहते

हैं कि हम कमाएं बैठकर, हम दिल्लीवाले कमाएं तो हमारी कमाई का हिस्सा देश के कोने-कोने तक, वहां तक जाना चाहिए जहां इस देश का अन्नदाता रहता है, जहां इस दश के संसाधनों के असली मालिक रहते हैं। चाहें वो आदिवासी हो, वहां तक जाना चाहिए, वहां के विकास तक जाना चाहिए। इसमें हमें कहीं से कोई गुरेज नहीं है बल्कि फक्र के साथ कहते हैं कि जाना चाहिए। लेकिन हम क्या मांग रहे हैं। चौदहवें वित्त आयोग में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, सिफारिशों में उसके अनुसार अगर कैलकुलेट करें तो दिल्ली को इसमें से एक परसेंट नहीं, पौना परसेंट नहीं, 0.65 परसेंट तो मिलना चाहिए। वो ही दे देंगे तो अगले पांच साल में 25 हजार करोड़ रुपए होगा और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यह 325 करोड़ जिसकी बात मैंने कहीं है, विजेन्द्र गुप्ता जी उसी को replace करेगा, यह। आपने कहा अच्छे विचार रखते हैं तो मैं कहता हूं जी विचार ही नहीं, क्रियान्वयन की हिम्मत भी रखते हैं। वो करके दिखाएंगे। एक और चीज सवाल उठाया, डेटा को लेकर हम सब नए हैं। कई सारे साथी यहां जरूरी नहीं कि बजट को, बजट के शब्दों को उतने अच्छे से समझ पाते हों, कोई भी किसी वक्त नया ही होता है। मुझे लगता है कि जब नया हो और कुछ चीजें स्पष्ट ना हों तो स्पष्टता के लिए पूछा भी जा सकता है और मैं उसी क्रम में स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि जब बजट में तुलना होती है तो पिछले साल के B.E. से लेकर इस साल के B.E. की नहीं, जब साल खत्म हो रहा होता है तो पिछले साल के आरई से इस साल के B.E. की तुलना होती है। जब आप पिछले साल के आरई से, जाते हुए साल के R.E. से इस साल के B.E. की तुलना करेंगे तो बिजेन्द्र गुप्ता जी आप देख पाएंगे कि यह 1.66 नहीं 8. 5 परसेंट है तो मैं इसमें बहुत कुछ, क्योंकि जब उसके पास ही कुछ कहने के लिए नहीं था तो मैं किनके सवालों के जवाब दूं। मैं बहुत लंबी बातें नहीं कहना चाहता। मैं बस इस सदन से उसी भरोसे के साथ कि घाटा भी पूरा करेंगे और पूरे इरादे के साथ करेंगे। जो इरादा लेकर, जो भरोसा लेकर दिल्ली की जनता ने यहां भेजा है, उस भरोसे को कायम रखने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, पूरा काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी चीज सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वो रिकार्ड में भी रहे और जो मेरी अनुशंसा है, जो मेरा प्रस्ताव है अगर सदन उसका समर्थन करे, सदन उसके साथ रहे तो वो भी रहे। जब बजट तैयार होता है तो बहुत सारे लोग उस कार्य में लगते हैं। जब हमारे विजन के हिसाब से बजट तैयार होगा तो उसमें तो बहुत–बहुत लोग लगेंगे। क्षेत्रीय स्तर के विधायक से लेकर बाकी कर्मचारी, वहां के सरकारी मशीनरी से लेकर सब तरह के लोग लगेंगे। लेकिन अभी भी जो बजट तैयार हुआ, उसमें बहुत सारे लोग लगे। सरकारी मशीनरी का एक बड़ा हिस्सा लगा। जब सारी फाइलों के हिसाब से, discussions के हिसाब से बजट तैयार हो जाता है तो उस पर सिग्नेचर कराने का अभियान शुरू हो जाता है। पहले कुछ अधिकारियों के सिग्नेचर होते हैं फिर मंत्री के सिग्नेचर होते है, मुख्यमंत्री जी के सिग्नेचर होते है और फिर एल.जी. साहब के सिग्नेचर होते है। फिर होम मिनिस्ट्री जाता है। होम मिनिस्ट्रि से वापस आता है फिर एल.जी. साहब के पास आता है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसका संदर्भ है। परसों कल हमको ये बजट यहां सदन में प्रस्तुत करना था। परसों हमारे एक साथी, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिप्टी सैकेटरी (बजट) श्री के.एन. शर्मा जी को जिम्मेदारी हमारी तरफ से दी गई थी, वह जो सिग्नेचर की प्रक्रिया है, वह पूरी करवाएं। बहुत जिम्मेदारी का काम है। बजट को बहुत जिम्मेदारी भरा दस्तावेज माना जाता है। श्री के. एन. शर्मा जी को जब जिम्मेदारी हमारी तरफ से दी गई और वे एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री, या एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जा रहे थे उसी दौरान उनके पास संदेश आया कि उनकी माताजी का देहांत हो गया। मैं सलाम करना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से उस जिम्मेदार अधिकारी को, कि अपनी माताजी के निधन के बावजूद वे अपने परिवार से मिलने नहीं गए, अपना काम बीच में छोड़कर नहीं गए, उन्होंने कहा कि मैं इस जिम्मेदारी को समझता हूं। बजट एक गोपनीय कागज होता है। जब तक वो सदन में न रख दिया जाए और उसकी

गोपनीयता को बरकरार रखते हुए अगर वो मेरे हाथ में कागज है तो मैं इसे अंतिम परिणति तक पहुंचाने के बाद ही जाऊंगा और वो परसों पूरे समय रात को 10.00 बजे तक और कल जिस वक्त तक सदन में पटल पर बजट नहीं रख दिया गया उस वक्त वह लगातार इस प्रक्रिया में भागीदार रहे। मैंने इसलिए लंबा उल्लेख किया क्योंकि जो कर्मचारी, जो साथी पूरी तन्मयता के साथ, तन मन धन अर्पित करके, इस काम को करने में लगे हैं उनका सम्मान करना, उनको सलाम करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं इस सदन में श्री के.एन. शर्मा जी जो डिप्टी सैकेटरी (बजट) है, उनके इस समर्पण के लिए, उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा का प्रस्ताव रखता हूं और अपील करता हूं कि लिखित में उनकी प्रशंसा सदन की तरफ से आपके माध्यम से उनकी फाइल में लिखी जाए। जो उन्होंने किया है।

मैं इसी के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं उन्होंने लेखा अनुदान प्रस्तुत किया। लेकिन उससे ज्यादा बधाई मैं उन्हें जो वेट का amendment बिल उन्होंने प्रस्तुत किया उसके लिये देना चाहता हूं। हमारे देश में एक फैशन सा हो गया है सारी पार्टियां बड़े-बड़े लोग इसकी चर्चा करते हैं ease of doing business कि business करने को व्यापार करने को सरल कैसे किया जाये। कहते तो सारे हैं चुनाव के पहले बड़े-बड़े भाषण भी होते हैं करता कोई नहीं है क्यों न business व्यापार करने को आसान कर दिया तो रिश्वतखोरी कहां से आयेगी। भ्रष्टाचार कैसे चलेगा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछली बार भी 49 दिनों के अंदर व्यापारियों के ऊपर रेड राज बंद किया था इसलिये वही व्यापारी जो normally भाजपा का

वोट बैंक माने जाते हैं इन चुनावों में उन्होंने जमकर आम आदमी पार्टी को वोट दिया। अब सरकार बनने के तुरंत बाद व्यापारियों के लिये दो concrete step सरकार ने उठाये एक तो फिर से रेड राज बंद किया अधिकारियों को साफ-साफ कहा गया है कि जब तक उनके पास specific information ना हो ये सारे रूटीन की जो रेड होती हैं हर हफ्ते जो रेड की जाती हैं वो सारी रेड बंद होनी चाहिये। और दूसरा जो Vat Amendment Bill माननीय वित्तमंत्री जी ने प्रस्तुत किया कि पहले व्यापारियों को मार्च के महीने में फोर्स किया जाता था refund देने के लिये अब ये refund carry forward किया जा सकता है इससे सभी व्यापारियों के अंदर एक हर्ष की लहर दौड़ी है। पूरी दिल्ली के अंदर हम इस मुहिम को जारी भी रखेंगे। दिल्ली के व्यापारियों के लिए हम व्यापार करना सरल करते जायेंगे। रेड राज बंद करेंगे। हम एक बहुत बड़ा information network बनाने जा रहे हैं। व्यापारियों के व्यापार के बारे में ज्यादा से ज्यादा तकनीकी का इस्तेमाल करके computerization का इस्तेमाल करके information network बनाया जायेगा, और व्यापारियों के बारे में information ली जायेगी, और किसी व्यापारी को सरकारी दफ्तर में आने की जरूरत नहीं है। सरकारी दफ्तर में बुलायेंगे तो उनको दिखायेंगे कि ये आपका सबूत है कि आपने यह टैक्स की चोरी की है उसके अलावा उन्होंने कोई तंग करने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं दिल्ली के व्यापारियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वह कंधे से कंधा मिला के सरकार की भागीदारी करें। जैसा मैंने पहले भी कहा था पिछली सरकारें जो थीं किसी पार्टी की रही हों वह भ्रष्टाचार में डूबी हुई थीं। अब आप इसलिये कई व्यापारियों को लगता था कि क्यों पैसे दें हम, क्यों टैक्स दें। हमारा टैक्स तो चोरी हो जाता है। कई सारे व्यापारी हैं उनसे जब मैं बात किया करता था वह कहते थे कि धर्मशाला बनवा देंगे, मंदिर बनवा देंगे, मस्जिद बनवा देंगे, लेकिन सरकार को पैसा क्यों दें। सरकार का पैसा तो सारे नेता और अफसर मिलकर चोरी कर लेते हैं। मैं उनको यह यकीन दिलाना

चाहता हूं कि आपके एक-एक पैसे से आप ही का विकास करेंगे एक भी पैसा चोरी नहीं होने देंगें। आप जब टैक्स देते हैं सरकार को तो इसे आप देश भक्ति का काम मानिये, इसे आप धर्म का काम मानिये जैसे आप धर्मशाला में पैसा लगाते हैं, मंदिर में पैसा लगाते हैं, मस्जिद में पैसा लगाते हैं इसीलिये अब टैक्स को देने को भी आप पुण्य का काम मानिये। आप देशभक्ति का काम मानिये। मैं अभी थोड़े दिन पहले वैट कमीश्नर साहब से बात कर रहा था उन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली के अंदर लगभग दस लाख व्यापारी हैं लेकिन उनमें से केवल 1200 से भी कम व्यापारी 75 प्रतिशत से ज्यादा वैट देते हैं यानी की बाकी सारे 10 लाख व्यापारी मिलकर 25 प्रतिशत वैट देते हैं। गड़-बड़ तो बहुत हैं लेकिन ये सबको मिलकर करनी पड़ेगी। ये रेड मारने से नहीं होगी। सबको साथ ले के चलने से उनको गले लगाने से होगी। उनको विश्वास पैदा करने से होगी। जो ये सरकार करेगी। अभी मेरे पास कुछ exact figures आई हैं कि दिल्ली के लोग मिल के केन्द्र सरकार को 60 से 65 हजार करोड़ रुपये का इन्कम टैक्स और सर्विस टैक्स मिलाकर दोनो देते हैं। 60 से 65 हजार करोड़ रुपये के बीच का। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बता दूं कि संविधान के हिसाब से इन्कम टैक्स और सर्विस टैक्स वो टैक्स है जो केन्द्र सरकार इकट्ठा करती है केन्द्र सरकार collect करती है, लेकिन केन्द्र सरकार खर्च नहीं करती। इन्कम टैक्स और सर्विस टैक्स को केन्द्र सरकार collect करके उसको सारे राज्यों के बीच में बांटती है उसको खर्च करने का अधिकार राज्य सरकारो का है को उसकी ownership राज्य सरकारों की है राज्य सरकारों का टैक्स है तो हम 65 हजार करोड़ के करीब का टैक्स देते हैं वह जब पूरे देश में बंटता है अभी माननीय वित्तमंत्री जी ने बताया उसमें से 65 हजार करोड़ में से 325 करोड़ रूपये अपने को मिलता है। ये तो गलत है। ये तो वही हो गया कि अंडा देने वाली मुर्गी का गला घोंट दिया। अगर आप हमें दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां economic activity बहुत ज्यादा है। Bombay एक ऐसी जगह है जो financial

capital कहलाती है। अगर आप हमें ज्यादा टैक्स देंगे, ज्यादा पैसा देंगे, इसमें शेयर में तो यहां की economy और boom करेगी और आपको और टैक्स मिलेगा। आप हमें टैक्स ही देना बंद कर देंगे तो ये 65 हजार करोड़ घट के 50 हजार करोड़ हो जायेगा। 50 हजार करोड़ घटके 40 हजार करोड़ हो जायेगा। आप हमें ज्यादा इस में से शेयर देंगे तो हम सड़कें बनायेंगे, पुल बनायेंगें, कंपनियां, नई-नई फैक्ट्रियां खुलेंगी, रोजगार मिलेंगे, इकोनोमी activity बढ़ेगी तो टैक्स भी मिलेगा लेकिन ये जो सौतेला व्यवहार है वह केवल मौजूदा एन.डी.ए. की सरकार के बारे में नहीं कह रहा ये पिछले 2001 से शायद 2001 से 325 करोड़ के ऊ दिल्ली का शेयर फ्रीज कर दिया गया है। मुझे लगता है यह गलत है, इसको खोला जाये और दिल्ली का जो शेयर है सेंट्रल टैक्सेस में अगर हम 65 हजार करोड़ दे रहे हैं उसका कुछ तो दे दो हमको, 10 परसेंट दे दो, 5 परसेंट दे दो, कुछ तो दे दो हमको, 6 हजार करोड़ दे दो, 7 हजार करोड़, कुछ तो दे दो। 325 करोड़ रुपये तो एक तरह से दिल्ली के लोगों को भीख देने के बराबर है। उसके बाद कल वित्त मंत्री जी ने बताया कि 600 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार को देने थे हमें, दिल्ली के स्थानीय निकायों के लिए, एम.सी.डी. के लिए। वो भी नहीं दिये, वो ही दे दो, हम आपको दे देंगे सर। वो 600 करोड़ भी नहीं दिये उन्होंने। अब जैसा कि हमारी माननीय सदस्या अल्का लांबा जी ने सुझाव दिया, मुझे वो सुझाव बड़ा अच्छा लगा। हम सारे जनें चलते हैं, हम सब लोग चलते हैं, आप लोग भी चलिये, सातों एम.पी.ज. को लेकर चलते हैं और आपके सभी काउंसलर्स को लेकर चलते हैं और हम केंन्द्रीय वित्त मंत्री जी के पास जाकर कहते हैं भई बी.जे.पी. वाले भी गए, कांग्रेस वालों को भी ले चलते हैं और आम आदमी पार्टी वाले भी आ गये आप हमको पैसा दे दीजिए। मेरे पास एम.सी.डी. के तीनों मेयर आये थे, उन्होंने कहा जी घाटा हो गया, सैलरी नहीं दे पा रहे, थोड़ा सा पैसा दे दीजिए। मैंने कहा जी हम कहाँ से पैसा दे दें, पिछली बार .....**(व्यवधान)** तो मैंने कहा जी हम कहाँ से दे दें पिछली बार

अच्छी-खासी सरकार छोड़कर गये थे, फायदे में सरकार छोड़ कर गये थे लेकिन पिछले एक साल के अंदर आपने साढ़े चार हजार करोड़ का revenue shortfall कर दिया। एम.सी.डी. को घाटे में कर दिया, दिल्ली सरकार को घाटे में, वो कहते हैं ना कि कइयों का जहाँ हाथ लगा दे वहीं घाटा हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी जिस सरकार को, जिस आर्गेनाइजेशन को हाथ लगा दे, वहीं घाटा हो जाता है। मैं यह कहना चाहता हूँ अगर घाटा हुआ तो सर जवाबदेही तो आपकी है, आपको उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। यह नहीं कि .....**(व्यवधान)**

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : 4350 करोड़ रुपया आप कह रहे हो ना कि घाटा, तो दो महीने से आपने रिकवरी क्यों नहीं की। आप बताइये। R.E. जो बनती है, क्यों बनती है और फाइनल एफर्ट क्यों होते हैं 31 मार्च से पहले के जो एफर्ट है वो कहाँ हुए।

मुख्यमंत्री : मैं यह कहना चाहता हूँ अपने सभी माननीय सदस्यों से कि जब विपक्ष बोले तो हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और माननीय विपक्षी दलों से भी कहना चाहता हूँ कि जब हम बोलें तो आप बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। उनको जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, एम.सी.डी. को अपने लोस की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सुनने में आ रहा है कि दिल्ली की हर मार्किट के अंदर दुकानों को सील किया जा रहा है। एम.सी.डी. वाले जा रहे हैं और उनको सील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कनवर्जन चार्ज दो नहीं तो तुम्हारी दुकान बंद कर देंगे। यह ease of doing business है, ऐसे व्यापार चलाया जाता है, सारे व्यापारियों को बंद कर दोगे तो फिर कहाँ से टैक्स आयेगा, कहाँ से व्यापार चलेगा, कहाँ से इकनॉमी चलेगी। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं.....**(व्यवधान)** सर, आप भी सुनने की थोड़ी सी आदत डालो जी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर

एम.सी.डी. नहीं चल रही, भाजपा इस्तीफा दे दे, आम आदमी पार्टी एक साल के अंदर एम.सी.डी. को हम फायदे में लाकर दिखा देंगे। एम.सी.डी. को फायदे में चलायेंगे, सब को टाइम पर तनख्वाह देंगे। क्यों नहीं चल रही एम.सी.डी. फायदे के अंदर चलने लग जाएगी। हम लोगों ने वायदा किया था चुनाव के दौरान कि हम बिजली और पानी की सब्सिडी देंगे, बिजली और पानी के बिल कम करेंगे। हमने अपना वायदा पूरा किया, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ है कि हमने सब्सिडी क्यों दी। एक महानुभाव ने कहा है those who have less in life should have more in law जिसको भगवान ने जिंदगी में कम दिया है, सरकार की और कानून की जिम्मेदारी है उन लोगों का ख्याल रखना। कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार तो गरीबों की सरकार है, हमें गर्व है इस बात पर कि हम गरीबों की सरकार हैं। इस देश में कोई एक सरकार तो है जो गरीबों की सरकार है नहीं तो बाकी सारी की सारी सरकारें बड़े–बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, धन्नासेठों की सरकारें हैं। चुनाव के पहले गरीबों की बातें करते हैं और चुनाव के बाद फिर इन बड़े–बड़े अमीर लोगों की, हम गरीबों की सरकार हैं, मिडिल क्लास की सरकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अमीरों के खिलाफ हैं। अमीर होना कोई गुनाह नहीं है, ईमानदारी से पैसे कमाओ, अमीर बनो, बड़ी अच्छी बात है। दो बात मैं पानी के विषय में कहना चाहता हूँ दिल्ली में पानी की कमी है हम सब लोग जानते हैं 19 दिसंबर, 2014 जो अभी दिसम्बर गया है, उसको दिल्ली हाई कोर्ट का एक आर्डर आया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इतना इतना पानी दिल्ली का हक बनता है, दिल्ली को दिया जाये। हरियाणा ने देना चालू कर दिया। चुनाव का टाइम था, जैसे ही एग्जिट पोल आने लगे और 10 फरवरी को नतीजे आये, हरियाणा ने पानी कम कर दिया। यह तो ठीक नहीं है, यह तो गलत है। राजनीति पानी से तो मत करो कम से कम। मैं दिल्ली जल बोर्ड से निवेदन करूँगा कि आने वाले समय में अगर पानी की कमी होती है दिल्ली के अंदर तो वो पानी की

कमी केवल जनता के ऊपर न थोपी जाये, उस पानी की कमी को दिल्ली के सारे वी.आई.पीज. के अंदर भी बाँटा जाये। मेरे घर की भी कमी करो पानी की, राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय, अस्पताल, एम्बैसी जो 24 घंटे वाली है वो छोड़ देते हैं बाकी चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे हमारे मंत्री हो या जो मर्जी हो सब के यहाँ पानी की कटौती लगनी चाहिए। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस उम्मीद के साथ दिल्ली की जनता ने हमें इतना प्रचण्ड बहुमत दिया उन उम्मीदों को हम लोग पूरा कर पायें। 24-24 घंटे हमारे विधायक, मंत्री काम पर लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत लेखानुदान का समर्थन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब वित्त मंत्री अप्रैल, 2015 से जून, 2015 की अवधि ा के लिए लेखानुदान माँगों का प्रस्तुतीकरण एवं उन पर मतदान। वित्त मंत्री अप्रैल, 2015 से जून, 2015 की अवधि के लिए लेखानुदान माँगें सदन में प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री : Honourable Speaker, Sir, I present Vote on Account for the year 2015-16 before the House.

अध्यक्ष महोदय : अब सदन डिमांड्स पर डिमांड वाइज विचार करेगा। डिमांड नंबर 1 लेजिस्लेटिव असेम्बली जिसमें रेवेन्यू में 4 करोड़ 30 लाख रुपये हैं सदन के सामने हैं-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

डिमांड नंबर 1 पास हुई।

डिमांड नंबर 2 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें रेवेन्यू में 37 करोड़ 53 लाख 75 हजार रुपये हैं सदन के सामने ह–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

डिमांड नंबर 2 पास हुई।

डिमांड नंबर 3 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जिसमें रेवेन्यू में 1 अरब 56 करोड़ 53 लाख 62 हजार रुपये और कैपिटल में 25 लाख रुपये हैं सदन के सामने हैं–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

डिमांड नंबर 3 पास हुई।

अध्यक्ष महोदय : हाँ दोबारा बोल देता हूं, Administration of Justice जिसमें revenue में एक अरब 56 करोड़ 53 लाख 62 हजार रुपये और कैपिटल में 25 लाख रुपये हैं सदन के सामने ह–

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

डिमांड नम्बर 3 पास हुई।

अध्यक्ष महोदय : डिमांड नम्बर-4 Finance जिसमें revenue में 61 करोड़ 3 हजार रुपये और कैपिटल में 3 करोड़ 21 लाख 25 हजार रुपये हैं, सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

डिमांड नम्बर 4 पास हुई।

अध्यक्ष महोदय : डिमांड नम्बर-5 Home जिसमें revenure में 1 अरब 14 करोड़ 50 हजार रुपये और कैपिटल में 6 करोड़ 75 लाख रुपये हैं सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

डिमांड नम्बर 5 पास हुई।

अध्यक्ष महोदय : डिमांड नम्बर-6 Education जिसमें revenue में 15 अरब 12 करोड़ 30 लाख 12 हजार रुपये और कैपिटल में 42 करोड़ 96 लाख रुपये हैं सदन के सामने ह–

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

डिमांड नम्बर 6 पास हुई।

अध्यक्ष महोदय : डिमांड नम्बर-7 Medical & Public Health जिसमें revenue में 9 अरब 64 करोड़ 25 लाख 80 हजार रुपये और कैपिटल में 37 करोड़ 34 लाख 58 हजार रुपये हैं सदन के सामने ह–

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

डिमांड नम्बर 7 पास हुई।

अध्यक्ष महोदय : डिमांड नम्बर-8 Social Welfare जिसमें revenue में 8 अरब 62 करोड़ 34 लाख 25 हजार रुपये और कैपिटल में 3 अरब 54 करोड़ 80 लाख रुपये हैं सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

डिमांड नम्बर 8 पास हुई।

अध्यक्ष महोदय : डिमांड नम्बर-9 Industries जिसमें revenue में 60 करोड़ 67 लाख 85 हजार रुपये और कैपिटल में 9 करोड़ 6 लाख 75 हजार रुपये हैं सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

डिमांड नम्बर 9 पास हुई।

अध्यक्ष महोदय : डिमांड नम्बर-10 Deveopment जिसमें revenue में 4 अरब 71 करोड़ 39 लाख 15 हजार रुपये और कैपिटल में 75 करोड़ 99 लाख 50 हजार रुपये हैं सदन के सामने ह–

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं वे ना कहे
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

डिमांड नम्बर 10 पास हुई।

अध्यक्ष महोदय : डिमांड नम्बर-11 Urban Development & Public Works जिसमें Public Warks में 30 करोड़ 77 लाख 75 हजार रुपये और कैपिटल में 11 अरब 80 करोड़ 90 लाख रुपये हैं सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

डिमांड नम्बर 11 पास हुई।

अध्यक्ष महोदय : डिमांड नम्बर-12 Lonas जिसमें कैपिटल में 62 लाख 50 हजार रुपये हैं सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

डिमांड नम्बर 12 पास हुई।

अध्यक्ष महोदय : डिमांड नम्बर-13 Pensions जिसमें revenue में 31 करोड़ 25 लाख रुपये हैं सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

डिमांड नम्बर 13 पास हुई।

अध्यक्ष महोदय : हाउस ने रिवैन्यू में 64 अरब 26 करोड़ 37 लाख 82 हजार रुपये और कैपिटल में 17 अरब 11 करोड़ 21 लाख 33 हजार रुपये की डिमांड को मंजूरी दे दी है।

विधेयक का प्रस्तुतीकरण, विचार एवं पारित करना

अध्यक्ष महोदय : श्री मनीष सिसोदिया जी माननीय वित्त मंत्री जी सदन की अनुमति से दिल्ली विनियोजन लेखानुदान विधेयक 2015, 2015 का विधेयक संख्या 2 को सदन में पुनःस्थापित करेंगे। वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिल्ली विनियोजन लेखा अनुदान विधेयक 2015 पर विचार किया जाये। यह भी प्रस्ताव करेंगे की विधेयक को पारित किया जाये।

Finance Minister : Hon'ble Speaker Sir, I seek permission of the House to introduce Apporpriation Vote on Account Bill 2015, to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the consolideted funds of the Govt. of NCT of Delhi for the services of the months of April to June, 2015.

अध्यक्ष महोदय : अभी किसी सदस्य को कुछ कहना है, उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने हैं–

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

अब उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री बिल को सदन में introduce करेंगे।

वित्त मंत्री : Hon'ble Speaker Sir, I introduce Appropriation (Vote on Account) Bill, 2015 to the House.

अध्यक्ष महोदय : अब बिल पर clause wise विचार होगा।

प्रश्न है कि खंड दो, खंड 3 व Schedule Bill का अंग बने–

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

खंड दो, खंड 3 व Schedule Bill का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खंड 1, Preamble और Title Bill बिल का अंग बने-

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

अतः खंड 1, Preamble और Title Bill बिल का अंग बन गये।

अब उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि Appropriation (Vote on Account) Bill, 2015 को पास किया जाये।

Finance Minister : Hon'ble Speaker Sir, the House may now please pass the Appropriation (Vote on Account) Bill, 2015.

अध्यक्ष महोदय : उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने हैं–

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Appropration (Vote on Account) Bill, 2015 पास हुआ।

अध्यक्ष महोदय : आज सदन काफी देर चला मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चित काल के लिये स्थगित करूं स्वस्थ संसदीय परम्पराओं का निर्वाह करते हुए सदन के नेता एवं मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी व उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी एवं सभी मंत्रीगण और विपक्ष के सभी हमारे सदस्य और माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं इसके अलावा विधान सभा सचिव तथा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं दिल्ली सरकार के सभी अधिकारी, कर्मचारियों का भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं विधान सभा की कार्यवाही को मीडिया व समाचार पत्रों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने

में अहम भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार साथियों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं, अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है, राष्ट्रगान के लिए हम सब अपने स्थान पर खड़े हों।

जन-गण-मण

(सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई)

विषय-सूची

सत्र-01 (भाग-2) बुधवार, 25 मार्च, 2015/चैत्र05, 1937 (शक) अंक-04

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	सदन पटल पर प्रस्तुत पत्र	3
3.	विशेष उल्लेख (नियम–280)	4–31
4.	नियम 90 के अन्तर्गत संकल्प	31–60
5.	विधेयक पर विचार एवं पारित करना दिल्ली मूल्य कर संवर्द्धित (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या–03)	60–63
6.	बजट (लेखा अनुदान)–2015–2016 पर चर्चा	64–109
7.	अप्रैल, 2015 से जून, 2015 की अवधि के लिए अनुदान मांगों (लेखानुदान) का प्रस्तुतीकरण एवं उन पर मतदान	109–114
8.	विनियोजन (संख्या–1) विधेयक, 2015 पर विचार एवं पारित करना	114–117